एच. ई. सी.

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2018-19

उत्पादकता हेतु प्रतिबद्धता
Committed to Productivity

CHANDRAYAAN 2

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

HEAVY ENGINEERING CORPORATION LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)

एच. ई. सी.

गुणवत्ता नीति

ग्राहक की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पादों, प्रणालियों एवं सेवाओं के विश्वसनीय सप्लायर के रूप में अग्रणी स्थान प्राप्त करना तथा उसे बनाये रखना

Quality Policy

To achieve and maintain a leading position as supplier of reliable quality products, systems and services to meet customer needs and expectations

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
HEAVY ENGINEERING CORPORATION LTD.

निदेशक मंडल

(27.09.2019 के अनुसार)

मृदुल कुमार सक्सेना
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अति. प्रभार)
एवं निदेशक (कार्मिक)

अरून्धती पंडा
निदेशक (वित्त)

राणा शुभाषीश चक्रवर्ती
निदेशक (विपणन)
एवं निदेशक उत्पदान (अति. प्रभार)

प्रवीण एल. अग्रवाल
निदेशक

नीलम एस. कुमार
निदेशक

ए. एस. षाङंगी
निदेशक

एच. एन. रामाकृष्णा
निदेशक

तारन कुमारी रॉय
निदेशक

अभय कुमार कंठ
कम्पनी सचिव

अनुक्रमणिका

1. वार्षिक आम सभा की सूचना 2
2. निदेशको का प्रतिवेदन 3
   – अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी समावेश, समायोजन, इनोवेशन और ऊर्जा संरक्षण 13
   – निगमित शासन की रिपोर्ट 15
   – लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का उत्तर 18
   – नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं प्रबंधन का उत्तर 32
   – वार्षिक रिटर्न का एक्सट्रैक्ट (फार्म नं. एम.जी.टी.–9) 34
3. वार्षिक लेखा 39
   – अंकेक्षित लेखा के साथ टिप्पणियां

निदेशक मंडल
(27.09.2019)

अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (कार्मिक)	:	श्री मृदुल कुमार सक्सेना
निदेशक (वित्त)	:	श्रीमती अरून्धती पंडा
निदेशक (विपणन) एवं निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार	:	श्री राणा शुभाशीष चक्रवर्ती
निदेशकगण	:	श्री प्रवीण एल अग्रवाल श्रीमती नीलम एस कुमार श्री ए. एस. षाडंगी श्री एच. एन. रामाकृष्णा डॉ. (श्रीमती) तारन कुमारी रॉय
कम्पनी सचिव	:	श्री अभय कुमार कंठ
सांविधिक लेखा परीक्षक	:	मेसर्स वी. के. जिन्दल एवं कम्पनी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)
बैंकर्स	:	भारतीय स्टेट बैंक
पंजीकृत कार्यालय	:	प्लांट प्लाजा रोड, धुर्वा, राँची–834004 (झारखण्ड)

एच. ई. सी. एंव एम. एस. टी.सी. के बीच करार हुआ

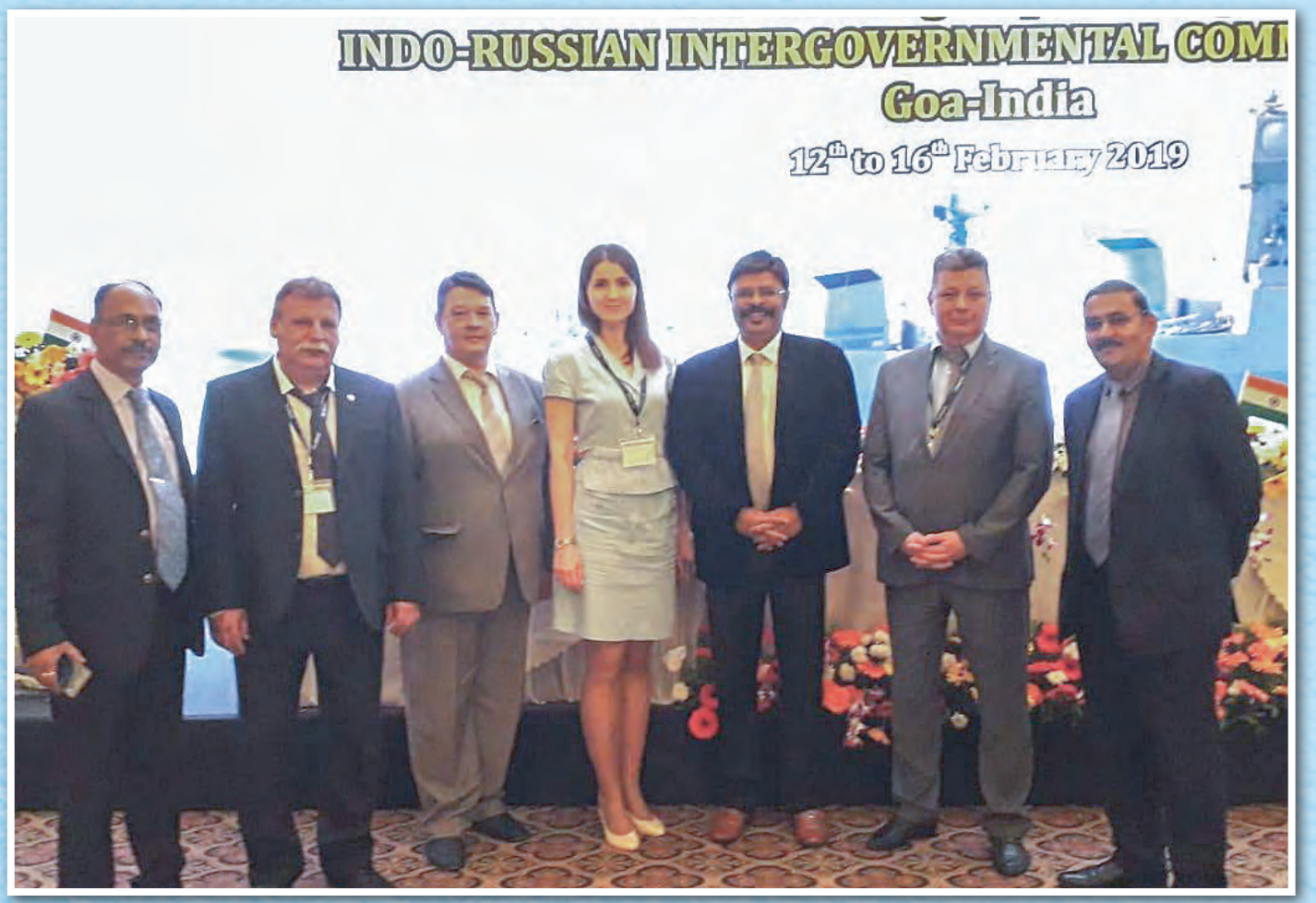

इंडो राशियन इंटर गर्वनमेन्टल समिति के दौरान राशियन प्रतिनिधि से गोवा में मुलाकात

वार्षिक आमसभा की सूचना

एतद् द्वारा हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 60वीं वार्षिक आमसभा शुक्रवार, दिनांक 27.09.2019 को पूर्वाह्न 11.30 बजे, राँची स्थित पंजीकृत कार्यालय में निम्नलिखित करोबार के संपादन के लिए होगी :

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शेयरधारकों हेतु निदेशकों के प्रतिवेदन को प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना।
2. 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के अंकेक्षित वित्तिय विवरण को प्राप्त करना, विचार और स्वीकार करना।
3. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत् सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के अन्तर्गत सांविधिक अंकेक्षक का पारिश्रमिक हेतु निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

बोर्ड के आदेशानुसार

दिनांक : 17.08.2019

(अभय कुमार कंठ)
कम्पनी सचिव

टिप्पणी : सभा में उपस्थित होने तथा मत देने के आधिकारिक कंपनी सदस्य अपने बदले में उपस्थित होने तथा मत देने के लिए प्रतिनिधि (प्रौक्सी) नियुक्त करने के लिए अधिकृत हैं और उक्त प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

नोर्दन कोल्फील्ड्स लिमिटेड मे 'वाकींग ड्रैगलाईन के लिए बकेट का प्रेषण

नोर्दन कोल्फील्ड्स लिमिटेड मे 'वाकींग ड्रैगलाईन 24/88, अग्नि का उद्घाटन

एच. ई. सी. मे स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन

एच. ई. सी. मे आंतकवाद विरोधी दिवस मनाया गया

निदेशकीय प्रतिवेदन

सेवा में,
शेयरधारकों
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

देवियों एवं सज्जनों,

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने 60 साल पूरे कर लिए हैं और कंपनी के निदेशक मंडल को आपके समक्ष 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तिय वर्ष की 60वीं वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित लेखा के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. प्रदर्शन के मुख्य बिन्दु :

कम्पनी का मुख्य व्यवसाय खंड अर्थात इस्पात एवं खनन के क्षेत्र में एचईसी विनिर्माण क्षेत्र की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, एसे में इन क्षेत्रों से मुख्य आर्डर बुकिंग प्रभावित हो रही है। हालांकि, दूसरों, रेलवे एवं परमाणु क्षेत्रों के कुछ कार्यादेश आर्डर बुकिंग स्थिति के बढ़ाए हैं। लंबे समय से लंबित उन्नयन/आधुनिक साथ ही साथ गंभीर कार्यशील पूँजी की समस्या कंपनी के प्रदर्शन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इन सबके बावजूद गत वर्ष की कुल बिक्री 399.02 करोड़ की तुलना में कंपनी इस वर्ष के दौरान 356.02 करोड़ की कुल बिक्री की है।

2. उत्पादन एवं बिक्री

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के लिए उत्पादन एवं कारोबार के आंकड़े एवं एम.ओ.यू. लक्ष्य इस प्रकार हैं :-

(करोड़ रु. में)

	2018-19		2017-18	
विवरण	एम.ओ.यू.	वास्तविक	एम.ओ.यू.	वास्तविक
कारोबार	618.01	356.21	695.00	399.02
उत्पादन	628.20	340.22	704.15	393.37

3. वित्तीय परिणाम

लक्ष्य और पिछले वर्ष की तुलना में उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

विवरण	2017-18		2017-18	
	एमओयू	वास्तविक	एमओयू	वास्तविक
सकल मुनाफा	-41.99	–220.36	2.69	-63.95
ब्याज	28.48	27.72	26.72	26.70
मूल्यह्रास	7.92	6.87	8.10	7.03
आपवादिक मद व्यय(+) /आय(–)	0.00	1.29	0.00	14.26
असाधारण मद से पूर्व मुनाफा	–78.39	–256.24	–32.12	–111.94
असाधारण मद आय(+)/ व्यय(–)	0.00	162.57	0.00	621.02
कर पूर्व मुनाफा	–78.39	–93.67	–32.12	509.09
कर	0.00		0.00	63.09
शुद्ध लाभ	–78.39	-93.67	–32.12	446.00
नकद लाभ (असाधारण मदो के बाद)	-70.47	-249.37	-24.03	438.97

31.03.2019 को कंपनी की प्रदत्त पूंजी 606.07 करोड़ रुपये था, जबकि नेट वर्थ रु. 10.38 करोड़ पर पहुँचा।

वर्ष के दौरान कंपनी ने केन्द्र और राज्य कोष को 21.26 करोड़ रुपये का योगदान किया जबकि पिछले वर्ष यह 93.13 करोड़ रुपये था।

वर्ष 2008-09 के बाद से कारोबार, उत्पादन, कर्मचारी उत्पादकता एवं लाभ का विवरण निम्नवत है। :

वर्ष	कुल करोबार (करोड़ रु.)	उत्पादन (करोड़ रु.)	प्रति कर्मचारी कारोबार (लाख रु.)	शुद्ध लाभ (करोड़ रु.)
2008-09	417.39	419.47	14.55	18.37
2009-10	496.56	537.72	17.30	44.27
2010-11	640.90	700.55	23.14	38.14
2011-12	681.61	687.74	28.35	8.58
2012-13	682.83	676.77	28.58	20.38
2013-14	384.02	447.71	18.88	299.31
2014-15	361.58	319.58	20.61	(-) 241.68
2015-16	374.48	340.68	24.19	(-) 144.77
2016-17	390.11	364.84	26.81	(-) 82.27
2017-18	399.02	393.37	28.29	446.00
2018-19	356.21	340.22	23.42	-93.67

लाभांश की गैर घोषणा

वित्तिय वर्ष 2018-19 के दौरान कर पश्चात लाभ -93.67 करोड़ रूपये है एवं दिनांक 31.03.2019 को नेटवर्थ 10.38 करोड़ रू. है। निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय के द्वारा ओ.एम. नं. 5.2.2016 नीति दिनांक 27.05.2016 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशानुसार केंन्द्रीय लोक उपक्रमों को कर पश्चात लाभ का 30% या नेटवर्थ का 5% जो भी उच्च है, का भुगतान करना होता है। तथापि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी लाभांश भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है।

4. विपणन गतिविधियाँ :

एचईसी के वित्तिय वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित उपकरण एवं घटकों का आदेश प्राप्त हुआ।

1. इसरो के पी एसवली एकीकरण सुविधा परियोजना हेतु फोल्डिंग प्लेटफार्म एवं क्षैतिज स्लाइडिंग द्वार (डोर) इसरो
2. भारतीय रेलवे के लिए 6 वर्कसाइट टेम्पर का परिक्षण आदेश
3. निम्न मिश्र धातु इस्पात पलेट आकांक्षा
4. 40 टन EOT क्रेन - आरएसपी
5. 31 स्लैज कप (BSP, DSP एवं ISP)
6. फार्जड रोल्स (VSP)
7. इस्पात संयंत्र एवं खनन उपकरण के लिए करोड़ स्पेयर्स ब्रर्थ का आदेश

वाकिंग ड्रेगलाइन, एचएमबी-15 का निर्माण पूरा हो गया है एवं उपकरण को NCL को सुपुर्द कर दिया गया है। इसका उदघाटन कोल इण्डिया लिमिटेड के अध्यक्ष के द्वारा दिनांक 28.03.2019 को किया गया।

इस उपकरण को एससीएल (NCL) ने 'अग्नि' से नामांकित किया है। यह एनसीएल (NCL) के अमलहरी परियोजना में संतोषप्रद रूप में काम कर रहा है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा के सामने 102 करोड़ का ड्रेगलाइन बकेट निर्माण का जो आदेश लिया गया था, एचईसी ने मेसर्स सिम्को, आस्ट्रेलिया के सहयोग से 15 मे से 13 ड्रेगलाइन बकेट भेज दिया है।

आर्डर :

- 31.03.2018 को 994.88 करोड़ का आर्डर है।

व्यावसायिक विकास की पहल:

- एचईसी अन्य संभावित क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास कर रहा है। जहाँ एच.ई.सी. की सुविधा का प्रयोग स्वदेशीकरण साथ ही साथ मेक इन इन्डिया कार्यक्रम के लिए किया जा सकता है।

Russian फर्म OKBM जो की परमाणु शक्ति संयत्रों के घटक एवं उपकरणों के निर्माण में सहयोग करेंगे के साथ संवाद स्थापित कर और समझौता कर एच.ई.सी. ने परमाणु क्षेत्र में शुरूआती मील का पत्थर प्राप्त किया है।

एचईसी भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के प्रणोदन प्रणाली के स्वदेशीकरण के लिए मेसर्स मैजगॉन ठॉक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। एमडीएल और एचईसी मेसर्स Rosoboror Rxport, Russia के साथ प्रणोदन प्रणाली के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के रूपात्मकता में फेरबदल कर रहे हैं। एचईसी एवं मेसर्स Rosoboror export ने इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन एवं गोपनीयता समझौता भी स्थापित किया है।

खनन क्षेत्र में पदचिन्हों को बढ़ाने हेतु एचईसी ने वाकिंग ड्रेगलाइन्स एवं उच्च क्षमता वाले शॉवेल का निर्माण संयुक्त रूप से करने के लिए BEML के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। साथ ही एचईसी एवं EML स्वदेशी आपूर्ति बढ़ाने एवं आयात को कम करने कि दिशा में प्रतिबद्ध है।

रेलवे ट्रेक अनुरक्षण उपकरण के अनुबंध समझौते को अन्तिम रूप देने हेतु एचईसी Cascade Techonology, Russia के साथ वार्ता में है।

पहले कम्पनी ने उद्योग-संस्थान इंटरफेस द्वारा सहायता प्राप्त कर संगठन की डिजाइन ताकत बढ़ाने के लिए कदम लिया था।

5. एम.एस.एम.ई. से खरीद

कम्पनी एमएमई, एनएसआइसी एवं एसएसआई फर्म से खरीद पर जोर देनी है। इस वर्ष के दौरान 5370.77 लाख की खरीद हुई है।

6. डिजिटल पेमेन्ट प्रमोशन :

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहल कि सफलता के लिए बीएचआईएम क्यूआर कोड को लागू किया गया है और Bharat QR कोड का स्थिर मुद्रण भी प्राप्त भुगतान रसीद पर प्रदर्शित होता है ताकि ग्राहक स्केन और भुगतान कर सके। भुगतान रसीद को सक्षम करने के लिए पीओएस मशीन स्थापित की गई है।

7. सुरक्षा, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण

हमेशा की तरह, आपकी कंपनी, पेशेवर सुरक्षा और कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा महत्व देती है। कर्मचारियों के बीच सुरक्षा चेतना को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वैधानिक नियमों के अनुसार नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वैधानिक नियमों के अनुसार नियमित रूप से संपूर्ण चिकित्सा जांच संचालित किए जाते हैं। कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण जैसे हाथ के दस्ताने, चश्मे, सुरक्षात्मक कपड़े, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी जूते आदि दिए जाते हैं। कंपनी पर्यावरण प्रदूषण से समझौता नहीं करती है इसलिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीचे वर्णित सभी सावधानियां करती जाती है।

1. सुरक्षा प्रमुख संकेतक (खतरों को पहचान, असुरक्षित स्थिति एवं निकटस्मरण) एवं मुख्य अंतराल संकेतक (जैसे काम करते समय उपकरण के सुरक्षा का उल्लंघन) की पहचान करने के लिए शाप फ्लोर का दैनिक निरक्षण।
2. क्लास रूम प्रशिक्षण के साथ-साथ शाप फ्लार पर भी TWI एवं टूल बाक्स के प्रशिक्षण के अन्तर्गत कोई विषयों का टॉक है।

स्लीप, ट्रीप एवं फाल	J.S.P. (जैसे और जब आवश्यक हो)
HMI (कार्य का आदेश)	RCA (दुर्घटना विश्लेषण के मुल कारण)
ऊँचाई पर काम	व्यक्तिगत सुरक्षा
संयंत्र के अंदर सड़क सुरक्षा	PPES का प्रयोग

3. कारखानों के निरीक्षण, राँची, झारखण्ड को दुर्घटना की रिपोर्टिंग एवं दुर्घटना से बचने हेतु रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए मूल कारण विश्लेषण की जाँच।
4. सुरक्षा संस्कृति विकसित करने के लिए त्रैमासिक ''प्लांट सेफ्टी कमेटी'' का संचालन, यह एक ऐसा मंच है जहां कर्मी एवं प्रबंधन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं एवं समाधान में सहयोग कर सकते हैं।
5. वर्तमान स्थिति एवं खतरों की पहचान हेतु प्रबंधन योजना के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों का ऑडिट किया जा रहा है ताकि निवारक एवं सुधारात्मक आय किया जा सके।

स्वाथ्य एवं पर्यावरण

क) श्रमिकों के स्वास्थ्य संरक्षण, नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए कारखाना अधिनियम के अनुसार वैधानिक प्रावधान का पालन।

ख) परिवेशी वायु एवं ढेर की गुणवत्ता की निगरानी।

ग) दैनिक आधार पर ए.बी. एवं सी नालियों के माध्यम से निकली पानी की गुणवत्ता की निगरानी।

घ) एचईसी के क्षेत्र को हरा भरा रखने एवं प्रदूषण को कम करने के लिए वन विभाग की मदद से नियमित रूप से वृक्षारोपण गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

ङ) स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमों के तहत कई स्वास्थ्य एवं पर्यावरण गतिविधियों को कवर किया जा रहा है।

च) वायु एवं जलप्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए TSPCB द्वारा ही गई शर्त को लागू करना।

छ) प्रदूषकों के लिए नियमित रूप से पानी के प्रवाह के नमूनों का परीक्षण, जिसके आधार पर अंतर्देशिय निकाय में पानी के निर्वहन के लिए सहमती प्रदान की जाती है।

- **कम्बाइण्ड इफल्यूंट ट्रिटमेंट प्लांट** को FFP प्लांट में फेनोल बाटा एवं नाली द्वारा प्लांट के बाहर निकलने वाले पानी जो प्रोड्यूसर गैस प्लांट से निष्काशित होता है का लिक्विड प्रवाह प्रोड्यूसर गैस प्लांट से निष्काशित अन्य लिक्विड प्रवाह के सफाई के लिए लगाया गया है। उसी पर प्लांट इस दूषित पानी को फिर से शुद्ध पानी में परिवर्तित कर प्रदान करेगा।

8. कार्यबल की स्थिति

31 मार्च 2019 को कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 1502 है जबकि 31 मार्च 2018 को यह 1388 थी। वर्ष के 2018-19 में कंपनी में 9 अधिकारियों एवं 196 नियमित कर्मी (टेक्निकल) को नियुक्त किया है।

9. औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, औद्योगिक संबंधों का माहौल आमतौर पर सामान्य रहा।

10. कर्मचारी कल्याण

स्थायी कर्मचारियों के लिए कंपनी के पास अपना टाउनशिप, प्लांट हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी है। ठेका श्रमिकों को ईएसआई योजना के तहत चिकित्सा लाभ दिया जाता है जिसके लिए कंपनी द्वारा सदस्यता शुल्क संबंधित ठेकेदारों

को दिया जाता है। एचईसी प्लांट हॉस्पिटल में ओपीडी और इनडोर सुविधाओं के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराया जाता है।

11. मानव संसाधन विकास

कंपनी मानव संसाधन विकास को अत्यधिक महत्व देती है। प्रबंधन विकास कार्यक्रम 5 S प्रशिक्षण, अभिवृत्ति विकास, आरक्षण नीति, द्वितीयक मार्ग के माध्यम से इस्पात निर्माण, सामग्री संरचना हीट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी और स्टील के लिए उपयुक्त ही ट्रीटमेंट साइकिल का चयन, लीडरशिप क्वालिटी डेवलेपमेंट, विकासशील सुपरवाइजरी स्किल के माध्यम से सक्षम अधीनस्थ विकास, फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी में उभरती हुई प्रौद्योगिकी आदि पर जोर दिया गया। इसके अलावा, काम करने वालों को उनकी मल्टी स्किलिंग और कार्यकारी के लिए व्यक्तिगत उत्कृष्टता, कॉर्पोरेट प्रशासन, गैर-वित्त कार्यकारी के लिए वित्त, अनुबंध प्रबंधन और बातचीत कौशला और रणनीतियाँ, जोखिम प्रबंधन, संचार और दक्षता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुति कौशल, वित्तीय प्रबंधन, विपणन प्रबंधन कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियाँ, सतर्कता जागरूकता। निवारक विंग, अभ्यास, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और कार्यस्थल पर लिंग समानता पर प्रशिक्षण दिया गया था।

कंपनी कर्मचारियों के बच्चों तथा आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले अन्य बच्चों के लिए स्कूल चला रही है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा एचईसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट (एचटीआई) संचालित किया जा रहा है जहां छात्रों को दो वर्ष का टेक्निकल कोर्स कराया जाता है और आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री धारकों को 1 वर्ष की अप्रेंटिंस प्रशिक्षण कक्षाएं/कोर्स की सुविधा प्रदान की जाती है। कंपनी स्थानीय बालिकाओं के लिए एचईसी हॉस्पिटल में जीएनएम कोर्स की सुविधा भी प्रदान करती है।

12. सी.ई.एफ.सी. फाउंडेशन

एचइसी भारत में रक्षा, परमाणु, ऊर्जा, इस्पात एयरो स्कोप एवं अन्य मुख्य क्षेत्रों में भारी अभियंत्रण उद्योग के महत्वपूर्ण घटक एवं निर्माण के लिए CNIITMASH, रूसी संघ के राज्य शोध संस्था के साथ करार किया है। जहाँ CEFC कैपिटल गुड्स के क्षेत्र में विकास के कार्य में सहयोग हेतु एवं बहुत से आवेदन उन्मुख फोर्स प्रदान कराती है।

सीईफसी प्रथम फाउंडेशन मॉइयूलर पाठ्यक्रम प्रदान करना है जो भारतीय पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में कौशल अंतर को संबोधित करने के उद्देश्य से उद्योग के इंजीनियरों एवं अधिकारियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।

- निर्माण प्रयोजनों के लिए इस्पात गलन एवं माध्यमिक परिष्करण।
- इस्पात अंगूठी कास्टिंग प्रौद्योगिकी एवं उपकरण।
- कोरा फॉर्जिंग एवं मुद्रांकन प्रौद्योगिकी तथा उपकरण।
- कास्ट उत्पादों के लिए फाउंड्री प्रौद्योगिकी।
- इस्पात के लिए ताप उपचार प्रौद्योगिकी एवं उपर्युक्त ताप उपचार चक्र का चयन।
- विद्युत लावा पुनर्गलन प्रौद्योगिकी एवं उपकरण।
- वेल्डिंग प्रौद्योगिकी एवं उपकरण।
- गुणवत्ता मूल्यांकन प्रौद्योगिकी एवं विनाशकारी एवं गैरविनाशकारी गुणवता नियंत्रण के लिए मापदंड।
- गियर ड्रेनो कि रचना एवं निर्माण प्रौद्योगिकी।

सी.ई.एफ.सी. प्रथम फाउंडेशन द्वारा पेश किए गए इन पाठ्यक्रमों का वैज्ञानिकों एवं CNIITMASH के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय उद्योग के अत्यधिक अनुभवी डोमेन विशेषज्ञों के साथ-साथ भारत के प्रमुख संस्थान के संकाय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर और फाउंड्री और फोर्ज प्रौद्योगिकी राँची से समर्थित है। सीइएफसी में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्मार्ट क्लास रूम का निर्माण किया जा रहा है। CNIITMASH के वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ इन पाठ्यक्रमों के लिए मुख्य प्रशिक्षक होंगे।

''वेल्डिंग प्रौद्योगिकी एवं उपकरण'' पर पहला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 06 जून 2018 को लान्च किया गया है। निफ्ट, राँची ने इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को आयोजित करने के लिए कक्षा कक्ष एवं संबद्ध सुविधाएँ प्रदान कराकर इस पहल में सीइफसी का समर्थन किया है।

भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय ने सभी संपत्तियों एवं देनकारियों को एचईसी को हस्तांतरित करने के बाद कॉमन इंजिनियरिंग फैसिलिटी सेंटर को सीइएफसी प्रथम फाउंडेशन से एचईसी के हस्तांतरण की मंजूरी दी है।

13. एचइसी में अपरेंटिस एक्ट 1961 (समय–समय पर संशोधित) के तहत निम्नलिखित योजनाओं लागू हो रहे हैं।

1. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीस)
2. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीस)
3. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस)

उपर्युक्त योजनाओं में डिग्री, डिप्लोमा, आई.टी.आई. और

मैट्रिक अहर्ता प्राप्त उम्मीदवारों को विभिन्न विषयों/व्यापारों में कक्षा/कार्यशाला/इन-प्लांट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इन योजनाओं के तहत पदो की संख्या है :

सीटीएस	116
एटीएस	183
एनटीएस	169
कुल	**468**

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम एचईसी प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किए जा रहे है। उपर्युक्त संख्या उस अधिनियम की आवश्यकता का अनुपालन करती है। हालांकि अधिनियम/योजनाओं के प्रावधानों में कोई भी संवर्धन हमेशा हमारे द्वारा लागू की जायेगी।

उपर्युक्त के अलावे अन्य प्रशिक्षणों (कार्य/नौकरी प्रशिक्षण के साथ-साथ) कौशल विकास मिशन प्रेरणा के साथ आयोजित किए जा रहे है।

14. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की स्थिति

i. 31.03.2019 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 328 और 335 थी।

ii. कुल कर्मचारियों की तुलना में एससी तथा एसटी कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः 21.83% और 20.30% था।

iii. वर्ष 2018–2019 के दौरान की गई 205 नियुक्तियों में से, 38 उम्मीदवार एससी और 61 उम्मीदवार एसटी समुदाय के थे।

15. हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

राजभाषा विभाग भारत सरकार के निर्देशों के तहत आपकी पूरी कंपनी में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को व्यापक कार्यान्वयन के लिए एक आवश्यक प्रयास के रूप में बढावा देता है।

वर्ष के दौरान आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में कंपनी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए।

- कर्मचारियों को एक व्यावहारिक भाषा के रूप में हिन्दी भाषा में दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षित तथा प्रेरित किया जा रहा है। इस संबंध में, सर्कुलर या तो हिन्दी भाषा में जारी किए गए या फिर द्विभाषीक।
- हिन्दी भाषा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों /समारोहों का आयोजन हिन्दी में किया गया।

राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया गया और विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे निबंध लेखन, भाषण, कविताएं, नोट करना, मसौदा तैयार करना, टाइपिंग के साथ ही हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजभाषा शील्ड आदि का आयोजन किया गया। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिया गया।

16. एचईसी दिवस उत्सव

एचइसी दिवस 15 नवम्बर को पूरे धूम-धाम से मनाया गया। एचइसी के पुनर्स्थापना के लिए जुलुस सी.एम. डी., एचइसी के नेतृत्व में शहीद मैदान से मैत्री मार्ग तक आयोजित किया गया था एवं जुलुस में बड़ी संख्या में कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, (पति/पत्नी), परिवार, अनुबंध कर्मचारी, महिला समिति के सदस्य एचइसी के यूनियन नेता, एचइसी परिसर के स्थिति विद्यालयों के विद्यार्थी एवं कर्मचारी ने भाग लिया था।

17. सार्वजनिक क्षेत्र सप्ताह

भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान को दर्शाने के लिए, सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (एससीओपीई) ने हर साल 10 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र दिवस मनाने की शुरुआत की। इसी उद्देश्य के आधार पर, वर्ष 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र दिवस (10 अप्रैल) का आयोजन एचईसी में किया गया।

कर्मचारियों/ठेका श्रमिकों तथा स्कूली बच्चों ने स्किट, कविता, स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्हें सीएमडी द्वारा सम्मानित किया गया।

18. विश्व पर्यावरण दिवस उत्सव

5 जून 2018 को 44वें विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एचबीपी, एफएफपी, एचएमटीपी, एचइसी प्रशिक्षण संस्थान, एचइसी प्लांट अस्पताल और टाउनशीप में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया जहाँ सीएमडी, प्लांट मुख्य एवं अन्य कर्मचारियों ने पौधे लगा कर एचइसी पर्यावरण में हरियाली बढ़ायी।

19. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस/सप्ताह मनाया गया

21 जून 2018 को मुख्यालय लॉन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दिनांक 23.06.2018 से 30.06.2018 तक एचईसी में योग सप्ताह मनाया गया।

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया और कार्यक्रम से लाभान्वित हुए।

उपरोक्त कार्यक्रम के प्रशिक्षक डॉ. रामदेव सप्ताह गुप्ता, वरीय योगा प्रशिक्षक, पतंजली योग समिति, राँची थे।

20.5 S का कार्यन्वयन

i) 5 S प्रणाली को दुकानों और कार्यालयों में छंटनी, अलगाव वस्तुओं की प्रभावी हाउसकीपींग, सफाई और आत्म अनुशासन पर जो देकर लागू किया गया है।

ii) हर प्लांट एवं मुख्यालय में प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित की गई।

21. स्वच्छ भारत मिशन

एचईसी में स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के लिए समय-समय पर स्वच्छता अभियान चलाया गया 13.07.2018 से 12.08.2018 (स्वच्छता माह) एवं 15.09.2018 से 02.10.2018 (स्वच्छता ही सेवा) तथा 16.12.2018 से 31.12.2018 तक (स्वच्छता पखबाड़ा) एचईसी के विभिन्न प्लांटों/डिवीजनों एवं एचइसी टाउनशीप विद्यालयों, आसपास के गाँव में सफाई अभियान चलाया गया जिसमें सभी कर्मचारी/ठेका कर्मचारी/विद्यार्थी/आम नागरिक शामिल थे। इस गतिविधि के तहत एचईसी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए :

(i) सभी कर्मचारियों/ठेका श्रमिकों ने स्वच्छ भारत की शपथ ली। सभी ने स्वयं अपने कार्यस्थल तथा आस-पास के स्थानों की सफाई की।

(ii) प्लांट स्तर पर प्रत्येक प्लांट में सफाई के रखरखाव के लिए सर्वश्रेष्ठ शॉप पर आधारित इंटर-शॉप/डिपार्टमेंट प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएमडी द्वारा विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

(iii) पौधों और अन्य प्रभागों में पड़ी अप्रचलित/अपरिहार्य वस्तुओं की पहचान और निपटान के लिए कार्रवाई हुई है।

(iv) पौधों में सामग्री/वस्तुओं पर नाम बोर्ड लगाने के लिए ड्राइव चलाई गई।

(v) दुकानों, मुख्यालय और प्लांट अस्पताल में रखे गए निपटान/अपशिष्ट डिब्बे की सफाई हुई। प्रत्येक दुकान मुख्यालय और प्लांट अस्पताल में दो प्रकार के अपशिष्ट डिब्बे एक को बायोडिग्रेडेबल के लिए और दूसरे को नॉनडिग्रेडेबल के लिए उचित रंग और उस पर लिखे गए निर्देशकों के साथ रखा गया है।

(vi) इस अभियान में सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली एवं बैनर लगी वाहन एचइसी टाउनशीप एवं आस-पास के क्षेत्रों में घुमी थी जिससे स्वच्छता संबंधी संदेश बड़े पैमाने पर जनता को दिया गया। कर्मचारियों एवं टाउनशीप के निवासी तथा आस-पास के गाँव में बढ़ती स्वच्छता संबंधी जागरूकता के प्रसार के लिए कर्मचारियों द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसके अलावे कारखाना, विभाग के कर्मचारी एवं स्कूली बच्चों के परिवार को उनके कार्यस्थल, दुकानों के आस-पास इमारतों को साफ करने के लिए एकत्रित किया गया।

(vii) स्वछता और साइकिल यात्रा का भी आयोजन किया गया था।

कर्मचारियों/संविदा कर्मचारियों और स्कूली बच्चों ने स्किट, कविता, नारे और पेंटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया और गांधी जयंती 2018 को सीएमडी द्वारा स्वच्छता मिशन के तहत अनुकरणीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया।

औद्योगिक/सड़क सफाई के उद्देश्य से मोबाईल वैक्यूम क्लीनर डीएचई के स्वच्छ कार्य योजना (एसएपी) के फंड़ योजना के तहत खरीदी गई। मशीन की लागत रू. 56 लाख है। मशीन हमारे स्टोर पर प्राप्त की जा चुकी है एवं जल्द ही लाँच की जानी है। रेत के विशाल मैन्यूवल संग्रह से बचने, कीचड़ तरल पदार्थ, मोटी मिट्टी एवं गिली घास, मशीन से निकली चिप्स का संग्रह एवं सफाई के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाना है।

22. राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का प्रेक्षण

राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12 से 18 फरवरी 2019 तक मनाया गया था। इसी दौरान उत्पादकता सुधार समिति को वर्ष (2019-20) के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु संयंत्र स्तर पर स्थापित किया गया था।

आगे, इस सप्ताह के दौरान निबंध, चित्रकला एवं नारा प्रतियोगिताओं का आयोजन विभिन्न प्लांट विभागों में किया गया था। विजेताओं को सीएमडी 20.02.2019 को विदाई समारोह के दौरान सम्मानित किए थे।

23. अंतराष्ट्रीय महिला दिवस उत्सव

अंतराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2018 को सभी कर्मचारियों/अनुबंध श्रमिकों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ''उद्योगों एवं समाज कि विषय पर एक डिबेट/भाषण प्रतियोगिता आयोजित कि गई थी।

24. मुफ्त चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर और नेत्र शिविर

एचईसी प्लांट हास्पिटल द्वारा समय-समय पर निकटवर्ती ग्रामीणों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के बीच स्वास्थ्य में सुधार के लिए एचईसी एवं एचईसी के आसपास निःशुल्क चिकित्सा स्वस्थय शिविर का आयोजन किया गया है।

25. वृक्षारोपण अभियान

एचएमबीपी, एफएफपी, एचएमटीपी, एचईसी प्रशिक्षण केंद्र, एचईसी प्लांट हॉस्पिटल और टाउनशिप में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया जहां सीएमडी, डायरेक्टर्स, प्लांट हेड तथा अन्य कर्मचारियों ने पौधे लगाए और एचईसी के हरित वातावरण में और हरियाली बढ़ाने में योगदान दिया।

26. ऑनलाइन वार्षिक प्रदर्शन

कार्यालयों को पेपरलेस बनाने के लिए वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट एवं वार्षिक सम्पती विवरण विकसित किया गया है।

27. इलेक्ट्रिकल वाहन का उपयोग

इलेक्ट्रिकल कार के प्रयोग के लिए EFSC और HEC के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ है।

28. सहायक उद्योगों और लघु उद्योग इकाइयों का विकास

अपने सामाजिक दायित्व के एक हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने रोजगार के साथ ही व्यक्तिगत उद्यमशीलता के अवसरों के सृजन हेतु रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण की मदद से तुपुदाना के समीप एक सहायक क्षेत्र का विकास किया है।

आपसी सहयोग तथा एचईसी के विकास के अनुरूप नए क्षेत्रों में प्रवेश की विभिन्न गुंजाइशों का पता लगाने के लिए लघु उद्योग इकाइयों (एसएसआई यूनिट्स) के साथ नियमित रूप से बातचीत का आयोजन किया गया।

29. कॉर्पोरेट सामाजिक जवाबदेही

खराब वित्तीय हालात के बावजूद कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों को जारी रखा जैसे (1) नर्सिंग स्कूल का संचालन (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन और (3) अपने वेलनेस केन्द्र के सहयोग से चिकित्सा शिविरों का आयोजन। 2018-19 के दौरान एचईसी हॉस्पिटल द्वारा आयोजित की गई गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :

- निःशुल्क नेत्रहीनता राहत शिविर जहां स्क्रिनिंग किए गए 300 से अधिक मरीजों में से 55 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। इनमें ज्यादातर मरीज बीपीएल परिवार के थे।
- नियमित अंतराल पर रक्तदान शिविर का आयोजन।
- दिसंबर 2017 में आयु फाउंडेशन, रांची के सहयोग से निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन किया गया जहां शिविर में कुल 40 लोग लाभान्वित हुए।
- नियमित अंतराल पर टीकाकरण कार्यक्रम।
- सामुदायिक स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम ''आपके घर के पास अस्पताल'' की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत सीनियर नर्सिंग स्टाफ तथा चिकित्सों ने एचईसी टाउनशिप के सैटेलाइट गांव में घर-घर का दौरा किया और ग्रामीणों को स्वास्थ्य जागरुकता संबंधी सुझाव दिए, खासतौर पर महिलाओं को और जरूरत के अनुसार उन्हें उपलब्ध दवाइयां प्रदान की गई। जिन गांवों का दौरा किया गया उनके नाम हैं : जगन्नाथपुर, कुटे, तिरिल, नयासराय, पुदांग, सिथिया, हटिया, तुपुदाना, डुंगरी, टोंको, सतरंजी, बाल्सरिंग, बरमाड और जोजोसरिंग (14 गांव)।

30. सतर्कता गतिविधियाँ :

एचइसी, मुख्यालय का सतर्कता संगठन का समग्र प्रशासनिक एवं कार्यात्मक नियंत्रण नियमित मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा संचालित है। सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता के मामले में चौकस करने हेतु समय-समय पर औचक निरिक्षण किया जाता है।

पारदर्शी एवं निष्पक्ष कार्यप्रणाली के लिए कर्मचारियों के बीच में केन्द्रिय सतर्कता आयोग के विभिन्न दिशा-निर्देश/प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण के माध्यम से अनुशासनिक जाँच प्रक्रिया एवं भ्रष्टाचार निवारण में उनकी भूमिका बताकर जागरूकता पैदा कि गई।

सतर्कता अधिकारियों ने एचइसी के वरीय कार्यपालकों/कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त कार्य एवं कार्य में पारदर्शिता लाने एवं सकरात्मक सोच में विकास के लिए पारस्परिक वार्तायें की है। वर्ष के दौरान बहुत शिकायत प्राप्त हुए एवं उनकी जाँच तथा उचित कारवाई की अनुशंषा कि गई।

समय पर शिकायत एवं जाँच के निष्पादन के प्रयास किया

गया है, इसके अलावे अधिकरियों द्वारा दर्ज किए गए वार्षिक सम्पत्ती ब्यौरा की जाँच किया गया था।

सीएमडी एवं सीवीओ के बीच संरचित बैठक एवं त्रिमासिक समीक्षा 15.9.2018 को विजिलेंस पर रखा गया।

एक पत्रिका ''स्पार्क-VII'' जिसमें सी.वी.सी. के नवीनतम दिशानिर्देशों एवं अन्य विजिलेंस संबंधी आलेखों से समाहित तैयार किया गया और इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 के अवसर पर निगम के सभी अधिकारियों के बीच वितरित किया गया। कम्पनी के बेबसाइट पर विजिलेंस पोर्टल नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

सीवीसी दिशानिर्देश के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

कर्मचारियों के बीच सतर्कता संबंधित जागरूकता में वृद्धी लाने के लिए निबंध। क्विज प्रतियोगिता आयोजित किया गया।

सतर्कता विभाग शिकायत एवं निरक्षण निष्पादन आधारित व्यवस्था में सुधार के उपाय के सुझाव दिए।

31. आरटीआई अधिनियम के तहत अनुरोध/अपील का निपटान:

कंपनी पारदर्शिता पर जोर देती है और समय पर मांगी गई जानकारी को प्रस्तुत करने को प्राथमिकता दी गई है।

32. गुणवत्ता का आश्वासन

आपकी कंपनी कभी भी निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता से समझौता नहीं करती है। कंपनी अपने ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि के लिए अपने उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सभी उपाय करती है, इसे ध्यान में रखते हुए तीन संयंत्रों (प्लांट्स) के लिए क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को केंद्रीकृत कर दिया गया है। प्रासंगिक भारतीय मानकों एवं आई.एस.ओ. 9001 : 2015 के अनुसार उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता के मानकों को बरकरार रखा जा रहा है।

33. एनर्जी ऑडिट (ऊर्जा अंकेक्षण) :

जैसा कि फाउंड्री फोर्ज यूनिट मुख्य ऊर्जा खपत यूनिट है, एक बाहरी एजेंसी मेसर्स एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (ईईपीएल) के सहयोग से इस यूनिट का एनर्जी ऑडिट किया गया। फंड की कमी के कारण, सुझावों को प्राथमिकता दी गई और निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की गई:

1. 2 एचटी ट्रांसफॉर्मर के ओवरहालिंग का काम पूरा कर लिया गया।
2. रूक रूक की स्विचिंग बंद करने के लिए कम्प्रेसर के ऑपरेटिंग सिस्टम में संशोधन का काम पूरा किया गया।
3. वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस द्वारा ईओटी क्रेन के एमजी सेट का प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) चरणों में किया जाएगा और मशीन टूल्स के एमजी सेट का प्रतिस्थापन थ्रेशर रेक्टिफायर द्वारा किया जाएगा।

भारत सरकार को आधुनिकीकरण की योजना सौंप दी गई जिसमें ऊर्जा दक्ष उपकरणों के साथ पुराने उपकरणों का प्रतिस्थापन शामिल है।

34. अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी समावेश, अनुकूलन तथा नवोन्वेशन : ऊर्जा संरक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत, कंपनियों के आर एंड डी, तकनीकी समावेश, अनुकूलन और नवोन्वेशन के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण के संबंध में आवश्यक ब्यौरो को **अनुलग्नक - अ** में प्रस्तुत किया गया है।

35. निदेशकों का जिम्मेदारी वक्तव्य

अ. वार्षिक लेखा की तैयारी में, माल को भेजने के संबंध में लागू लेखा मानकों का उचित स्पष्टीकरण के साथ पालन किया गया।

ब. निदेशकों ने ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार लागू किया और निर्णय और अनुमान लगाये जो उचित और विवेकपूर्ण हो ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज के मामलों और उस अवधि के लिए कंपनी को हुए लाभ और हानि के प्रति निष्पक्ष राय दी जा सके।

स. निदेशक मंडल ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों (अकाउटिंग रिकॉर्डस) के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त उपाय किए थे।

घ. निदेशकों ने विकासमान करोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया था; और

ड. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली (सिस्टम) तैयार किया था और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

36. विदेशी विनिमय

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय 5.67 करोड़ रुपए था।

37. कॉर्पोरेट गवर्नेंस (निगम संचालन)

कंपनी कार्पोरेट प्रशासन के न्युनतम मानकों को बनाए रखने एवं कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित कार्पोरेट गवनेंस आवश्कता का पालन हेतु प्रतिबद्ध है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट **अनुलग्नक-ब** में दिया गया है।

38. वैधानिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

39. सी ऐंड एजी और सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी और उसपर प्रबंधन का जवाब

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत कंपनी के खातों पर सी ऐंड एजी की टिप्पणी, सी ऐंड एजी और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी कंपनी के खातों की समीक्षा के साथ प्रबंधन के उत्तर के साथ-साथ टिप्पणियों को **'अनुलग्नक-स'** में दर्शाया गया है।

40. वार्षिक विवरण का उद्यतन (MGT-9)

कम्पनी अधिनियम 2013 के द्वारा 92 के तहत वित्तिय वर्ष समाप्ती 31 मार्च 2019 के लिए वार्षिक विवरण का अद्यत्तन (फार्म MGT-9) **एनेक्सर डी** पर है।

41. निदेशक मंडल

एचईसी लिमिटेड के बोर्ड में आठ निदेशक शामिल हैं। जिन्हें तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात (i) कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक) (ii) सरकार द्वारा नामित सरकारी अधिकारिक निदेशक बोर्ड (iii) गैर सरकारी निदेशक। बोर्ड शामिल करता है (a) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अतिरिक्त प्रभार, तीन कार्यकारी निदेशक जो निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक) एवं निदेशक (विपणन) (b) दो भारत सरकार द्वारा नामित सरकारी निदेशक एवं भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम से चार अंशकालिक निदेशक शामिल करता है। श्री मृदुल कुमार सक्सेना, निदेशक (कार्मिक) ही अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सम्भाल रहे हैं।

वर्ष के दौरान श्री सीया शरण सीसीए/डीएचआई एवं श्री विश्वजीत सहाय जेएसए/डिएचआई निदेशक पद त्याग किए हैं एवं श्री प्रवीण एल. अग्रवाल जेएस/डिएचआई एवं श्रीमती नीलम एस कुमार सीसीए/डिएचआई भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए।

42. अंकेक्षण (लेखा परीक्षा) समिति

बोर्ड ने 6 फरवरी 2017 को आयोजित अपनी 318वी बैठक में अंकेक्षण समिति का पुनर्गठन किया। समिति में स्वतंत्र निदेशक श्री अरधेन्दू शेखर षाड़ंगी को समिति के अध्यक्ष के रूप में एवं सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री सिया शरण, सीसीए/डीएचआई, स्वतंत्र निदेशकगण, श्री के. के. सिंह और डॉ (श्रीमती) तारन कुमारी रॉय अंकेक्षण समिति के अन्य सदस्य के रूप में थे।

श्री सिया शरण दिनांक 07.08.2018 के प्रभाव से निदेशक पद त्याग किये हैं एवं उनके निदेशक पद त्यागने के प्रभाव से अंकेक्षण समिति में एक पद खाली हो गया है।

कंपनी के निदेशक (वित्त) अंकेक्षण समिति की बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

43. व्यवसाय विकास समिति

बोर्ड ने 6 फरवरी 2017 को आयोजित अपनी 318वीं बैठक में नए कारोबारी अवसरों की तलाश करने के लिए एक बोर्ड स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसमें एचईसी प्रवेश कर सकती है।

समिति में शामिल हैं श्री एच. एन. रामाकृष्णा, जो 30 जून 2017 के प्रभाव से समिति के अध्यक्ष हैं, उनके साथ इसके सदस्य के रूप में श्री अरधेंदु शेखर षाङंगी और श्री अविजित घोष हैं। श्री के सूत्रधार, चीफ, कॉर्पोरेट मार्केटिंग सदस्य सचिव के रूप में नामित किए गये हैं।

श्री अविजीत घोष अपने सेवा निवृति उपरांत 31.12.2018 को कंपनी के सेवा से मुक्त हो गये हैं। और इसी प्रभाव में व्यवसाय विकास समिति से एक पद खाली हो गया।

44. अभिस्वीकृति (धन्यवाद ज्ञापन)

बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन का कृतज्ञता से आभार मानता है।

बोर्ड भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का इस कंपनी के पुनरुद्धार में उनके निरंतर समर्थन के लिए विशेष रूप से आभारी है।

बोर्ड झारखण्ड सरकार को कंपनी के पुनरुद्धार की प्रक्रिया में उनके हर प्रकार के समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती है।

बोर्ड अपने अभिलेख में अपने सभी हितधारकों से मिले उनके निरंतर सहयोग की सराहना करना चाहती है जिनमें भारतीय स्टेट बैंक, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक वित्तीय संस्थान, नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक शामिल हैं।

बोर्ड एचईसी परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती है जिन्होंने इस कंपनी को लाभ और विकास का एक और साल प्रदान करने हेतु बहुत ही ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(मृदुल कुमार सक्सेना)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक – अ

अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी समावेश, समायोजन, इनोवेशन और ऊर्जा संरक्षण

I. वर्ष के दौरान कंपनी की अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ

- हाइड्रोलिक उत्खनन की उत्पाद अवधारणा जिसे 2016-17 के दौरान कल्पना की गई थी, को विभिन्न ग्राहक और बाजार सर्वेक्षण के बाद आकर दिया गया था। 2017-18 में किए गए उत्पाद के लिए मूल इंजीनियरिंग डिजाइन रहा। उत्पाद विशिष्ट विशेषताओं को देने के लिए किए गए किनेमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स और ऑटोमेशन का एकीकरण, जो 2018-19 के दौरान उत्पाद के वाणिज्यिक किनारे को तेज करता है। उसी समय आर्थिक उत्पादन के लिए विनिर्माण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इसमें विभिन्न जिग्स और जुइनार, वेल्डिंग प्रोसेस शीट, मशीनिंग नॉर्म्स आदि के डिजाइन और निर्माण शामिल थे। निर्माण और काम पूरा करने वाले प्रमुख घटकों के निर्माण और मशीनिंग ने उत्पाद को आकार देना शुरू किया।
- HEC ने 450 किलोग्राम श्रेणी के बॉम्बशेल के लिए ऑर्डर प्राप्त किया। कास्टिंग बनाने और प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए कई प्रयोगात्मक प्रयास किए गए। उत्पाद को कड़े रासायनिक संरचना और यांत्रिक गुणों की आवश्यकता होती है। रासायनिक संरचना सफलतापूर्वक प्राप्त हुई। हालांकि, यांत्रिक गुणों (बढ़ावा) में से एक को छोड़कर अन्य सभी गुण और शर्तों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक प्रयोग के साथ सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया है और तदनुसार प्रक्रिया मापदंड़ों को ठीक किया गया है। अंतिम प्रयोग में बढ़ाई गई संपत्ति स्वीकार्य सीमा के पास दिखाई दी। विनिर्माण प्रक्रिया को त्रुटिरहित और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ठीक किया जा रहा है।
- दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के (डीएचआर) लोको घटक के लिए घटकों के विकास हेतु एचईसी ने दूसरा बड़ा आदेश स्वीकार किया। 1886 में शुरु किए गए इंजनों को अभी भी ऑपरेशन में रखा गया है; आवश्यक पुर्जे OEM से उपलब्ध नहीं है। एचईसी ने घटकों को फिर से डिज़ाइन किया और विनिर्माण चित्र तैयार किए। आइटम सफलतापूर्वक निर्मित और आपूर्ति किए गए हैं।

II. वर्ष के दौरान आयात प्रतिस्थापन निर्माण और आपूर्ति

- स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया अवधारणा की दिशा में एक कदम के रूप में, एचईसी ने 2018-19 के दौरान ड्रेगलाइन बकेट्स की 12 संख्या कीमत रु. 43.2 करोड़ है का निर्माण हुआ।
- कम मिश्र धातु इस्पात प्लेट्स कीमत 17 करोड़ रूपये है का आकांक्षा को आपूर्ति की गई।
- 12 रुपये के जाली रोल कीमत 1.73 करोड़ का 2018-19 के दौरान VSP और RSP को आपूर्ति की गई।
- ड्रैगलाइन घटक जैसे कि पिनियन दस्ता (22), वॉक दस्ता (1), इंटरमीडिएट गियर व्हील (5) और मुख्य गियर व्हील (2) जो कीमत 13 करोड़ रुपये जो आयात प्रतिस्थानिक आइटम हैं का निर्माण और NCL को आपूर्ति की गई।
- 90 लाख रुपये मूल्य के होलोव दस्ता (1) का निर्माण एवं बोकारो सेल लिमिटेड को आपूर्ति की गई, जो एक आयात प्रतिस्थानिक वस्तु है।

III. ऊर्जा संरक्षण

कंपनी की फाउंड्री फोर्ज यूनिट सबसे ज्यादा ऊर्जा सघन इकाई है जहां कुल विद्युत ऊर्जा का 75 प्रतिशत से ज्यादा और कोयले की शत-प्रतिशत खपत होती है।

पिघलने के चक्र (मेल्टिंग साइकल) में कमी लाने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों से मेल्टिंग एरिया में विशिष्ट बिजली की खपत में काफी कमी लाने में मदद मिली। हालांकि, उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के उत्पादन के साथ विशिष्ट ऊर्जा की खपत बढ़ गई। बिजली की खपत करने वाले प्रमुख फर्नेस के प्रतिस्थापन/उन्नयन को आधुनिकीकरण योजना में शामिल किया गया है।

फाउंड्री फोर्ज यूनिट में उठाए गए विभिन्न कदमों से समग्र ऊर्जा की खपत और विशिष्ट ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करने में मदद मिली, जो इस प्रकार है :

- सही लोड प्लानिंग के द्वारा बिजली की अधिकतम मांग में कमी।
- दिन के समय के दौरान विभिन्न सब स्टेशनों के निष्क्रिय ट्रांसफार्मर बंद करना।

- ऑटोमैटिक पावर फैक्टर कंट्रोल (एपीएफसी) पैनलों की सतत निगरानी के द्वारा जहां तक संभव हो उच्च औसत पावर फैक्टर को बनाए रखना।
- स्टैटिक ट्रांसफॉर्मर्स तथा रेक्टीफायर्स द्वारा एमजी सेट्स का रिप्लेसमेंट।
- फर्नेसों में सिरामिक परत का इस्तेमाल और इलेक्ट्रिक पिट फर्नेस में प्रोग्राम करने योग्य नियंत्रक स्थापित करके।
- लोड सेंटरों में विकेन्द्रीकृत एयर कंप्रेसर के साथ केंद्रीकृत कंप्रेसर इकाई का प्रतिस्थापन।
- लोड की जरूरत के हिसाब से सेंट्रलाइज्ड कंप्रेसर को विराम देने हेतु बंद करना।
- प्रोडक्शन शॉपस के रूफ टॉप पर पारदर्शी शीट्स का प्रावधान जिससे सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल रोशनी के लिए किया जा सके।
- ऊर्जा संरक्षण चेतना तथा विभिन्न उपायों के लिए कर्मचारियों को परामर्श। इससे पिछले साल के मुकाबले कुल बिजली की खपत तथा विशिष्ट ऊर्जा की खपत कम करने में मदद मिली है।
- ऊर्जा संरक्षण चेतना और विभिन्न उपायों के लिए कर्मचारियों को परामर्श।

ईंधन और साथ ही निवेश से बच्च कर होने वाले व्यय को कम करने के लिए निम्नलिखित पहल की गई है।

(क) मौजूदा निर्माता गैस से एलपीजी/सीएनजी तक गर्मी उपचार भट्टियों के रूपांतरण के लिए मेसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ एक समझौता।

(ख) प्रमुख उत्पादन उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु ऊर्जा व्यवहार्यता मूल्यांकन अध्ययन के लिए मेसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ इंगेजमेंट।

(ग) इलेक्ट्रिक कारों के उपयोग के लिए EESL और HEC के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है।

अनुलग्नक–ब

निगमित शासन पर रिपोर्ट

(31.03.2019 के अनुसार)

निदेशकगण कॉर्पोरेट गवर्नेंस (निगमित प्रशासन) पर कंपनी की गतिविधियों को प्रस्तुत करते हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी लि.) पारदर्शी कारोबारी गतिविधियों में विश्वास करती है, जिसका उद्देश्य शेरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, भारी उद्योग एवं उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार मालिक या किसी अन्य रूप में विभिन्न राज्य सरकारों, अन्य सरकारी एजेंसियों/विभागों तथा बड़े पैमाने पर समाज के रूप में कंपनी से जुड़े उन सभी लोगों के लिए मूल्य संवर्धन करना है। मूलतः इसमें अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीतियों के अभ्यासों को शामिल किया गया है और एचईसी पारदर्शिता, जवाबदेही और उद्यमों के संवर्धन के अधिकतम स्तर को प्राप्त करने के माध्यम से ईमानदारी और निष्ठा पर विश्वास करती है। एचईसी ने अपने घरेलू के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करके वैश्विक मान्यता भी प्राप्त की है।

एचईसी सभी प्रकार के कानूनों का अनुपालन करती है और एक प्रतिस्पर्धी बाजार में अपने मामलों का प्रबंधन करती है साथ ही अपनी रणनीतियों को क्रियान्वित करने के लिए प्रबंधन की नीतियों/निर्णय की निगरानी तथा नियंत्रित करती है। एचईसी ने कंपनी के उद्देश्यों को हासिल करने की आकांक्षा में अपने वरिष्ठ प्रबंधन को जवाबदेह बनाया है।

एचईसी अक्षरशः अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अभ्यास करने के लिए प्रतिबद्ध है। संहिता में निहित भावना को आत्मसात करते हुए, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार गठित समितियों के दायरे को बढ़ाया है और मजबूत किया है।

निदेशक मंडल :

निदेशक मंडल कंपनी द्वारा किए जाने वाले सभी प्रमुख कार्यों/प्रस्तावित गतिविधियों की देखरेख करते हैं। बोर्ड सामरिक और कारोबारी योजनाओं की भी समीक्षा करते हैं तथा मंजूरी देते हैं, जिसमें कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी भी शामिल है।

एसोसिएशन के आलेख के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या दो से कम नहीं होनी चाहिए और ना ही पंद्रह से ज्यादा। निदेशकों को किसी अर्हता शयरों को अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है।

रिपोर्टिंग की तारीख को, एचईसी लिमिटेड के बोर्ड में आठ निदेशक शामिल होते हैं जिन्हें तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् (1) कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक) (2) सरकार द्वारा नामित सरकारी निदेशक तथा (3) गैर-सरकारी निदेशक। बोर्ड में शामिल हैं (क) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अतिरिक्त प्रभार, तीन कार्यकारी निदेशक यानी निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक) एवं निदेशक (विपणन) (ब) भारत सरकार द्वारा नामित भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से दो सरकारी निदेशक तथा तीन गैर-सरकारी निदेशक।

श्री मृदुल कुमार सक्सेना निदेशक (कार्मिक) ही अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के अतिरिक्त प्रभार पर हैं।

वर्ष के दौरान श्री सिया शरण, सीसीए/डिएचआई एवं श्री विश्वजीत सहाय ज्वाइंट सेक्रेटरी/डीएचआई, निदेशक पद का त्याग किए हैं एवं श्रीमती निलम एस कुमार सीसीए/डीएचआई एवं श्री प्रवीण अग्रवाल ज्वाइंट सेक्रेटरी/डीएचआइ सरकार द्वारा नामित सरकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं।

सीएमडी सहित निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियमों, शर्तों तथा कार्यकाल पर निर्णय भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लिया जाता है।

निदेशकों को देय पारिश्रमिक/मुआवजा भी भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं और सीएमडी तथा कार्यकारी निदेशकों को जो मासिक पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित होता है।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

i) श्री अविजीत घोष : सीएमडी (01.04.2018 से 31.12.2018)

ii) श्री मृदुल कु. सक्सेना : सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) (01.01.2019 से प्रभाव)

कार्यकारी निदेशकों की सूची

i) श्रीमती अरून्धती पंडा : निदेशक (वित्त)

ii) श्री मृदुल कुमार सक्सेना : निदेशक (कार्मिक)

iii) श्री राणा शुभाशीष चक्रवती : निदेशक (विपणन)

भारत सरकार द्वारा नामित अंशकालिक आधिकारिक निदेशक

i) श्री सिया शरण, सीसीए (डीएचआई), निदेशक पद त्याग 07.08.2018
ii) श्रीमती नीलम एस कुमार, सीसीए/डिएचआई, निदेशक पद ग्रहण 14.11.2018
iii) श्री विश्वजीत सहाय, जेएस/डीएचआई, निदेशक पद त्याग 22.03.2019
iv) श्री प्रवीण एल अग्रवाल, जेएस/डिएचआई, निदेशक पद ग्रहण 22.03.2019

भारत सरकार द्वारा नामित गैर–आधिकारिक (अंशकालिक) निदेशक

i) श्री कृष्णा कुमार सिंह
ii) श्री अरधेंदु शेखर षाडंगी
iii) श्री एच. एन. रामकृष्णा
iv) डॉ (श्रीमती) तारन कुमारी रॉय

श्री कृष्ण कुमार सिंह - गैर-अधिकारिक/स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल 16.06.2019 को समाप्त हो गया है।

बोर्ड की बैठक

बोर्ड की बैठकों का आयोजन रांची स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किया जाता है या ऐसी जगहों में जिसपर प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया गया हो। कंपनी के सचिव, बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

बोर्ड की बैठकों की संख्या :–

वर्ष 2018-19 के दौरान, छह (6) बैठकें आयोजित की गईं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	तिथि	बोर्ड के सदस्य (स्ट्रेंथ)	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	15.05.2018	10	09
2	30.06.2018	10	07
3	12.09.2018	09	07
4	02.11.2018	09	08
5.	10.12.2018	10	08
6.	26.03.2019	09	08

बोर्ड की बैठकों में प्रत्येक निदेशकों की उपस्थिति

निदेशकों का नाम	अवधि	आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	बोर्ड मीटिंग में शामिल लोगों की संख्या	अन्य बोर्ड में निदेशक की संख्या
(क) कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक)				
1. श्री अविजीत घोष, (सेवानिवृत 31.12.2018)	01.04.2018 से 31.12.2018 तक	05	05	01
2. श्रीमती अरून्धती पंडा, निदेशक (वित्त)	01.04.2018 से 31.03.2019 तक	06	06	
3. श्री मृदुल कुमार सक्सेना, निदेशक (कार्मिक)	01.04.2018 से 31.03.2019 तक	06	06	01
4. श्री राणा एस चक्रवर्ती, निदेशक (विपणन)	01.04.2018 से 31.03.2019	06	06	
(ख) भारत सरकार द्वारा नामित अंशकालिक आधिकारिक निदेशक				
श्री विश्वजीत सहाय (पदत्याग 22.03.2019)	01.04.2018 से 22.03.2019 तक	05	03	05
श्री सिया शरण (पदत्याग 07.08.2018)	01.04.2018 से 07.08.2018 तक	02	01	02
श्रीमती नीलम एस कुमार (पदभार ग्रहण 14.11.2018)	14.11.2018 से 31.03.2019 तक	02	00	
श्री प्रवीण एस अग्रवाल (पदभार ग्रहण 22.03.2019)	22.03.2019 से 31.03.2019 तक	01	01	
(ग) अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक				
श्री के. के. सिंह	01.04.2018 से 31.03.2019 तक	06	06	
श्री ए. एस. षाडंगी	01.04.2018 से 31.03.2019 तक	06	04	
श्री एच. एन. रामकृष्णा	01.04.2018 से 31.03.2019 तक	06	05	
डॉ (श्रीमती) तारन कुमारी रॉय	01.04.2018 से 31.03.2019 तक	06	04	

बोर्ड कार्यसूची एवं सामग्री:–

बोर्ड का विश्वास है कि प्रभावी बोर्ड मीटिंग्स के लिए एक सुनियोजित एजेंडा का होना बेहद महत्वपूर्ण है। एजेंडे में शामिल सभी प्रमुख मुद्दों पर बोर्ड को निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए व्यापक पृष्ठभूमि में जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। किसी भी अप्रत्याशित विकास को समायोजित करने के लिए यह एजेंडा काफी लचीला है, जिसपर बोर्ड का ध्यान आकर्षित करने और इसके निर्णय की आवश्यकता है। एजेंडा के कागजात आमतौर पर पहले से ही बोर्ड के सदस्यों के बीच वितरित कर दिए जाते हैं। अध्यक्ष (चेयरमैन) के परामर्श से बोर्ड के सदस्य, बोर्ड के विचारार्थ किसी भी प्रासंगिक मामले को ला सकते हैं।

अंकेक्षण समिति (ऑडिट कमिटी)

ऑडिट कमिटी की बैठकों का आयोजन रांची स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किया जाता है या ऐसी जगहों में जिसपर प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया गया हो।

ऑडिट कमिटी बैठकों की संख्या :–

वर्ष 2018-19 के दौरान, चार (4) बैठकों का आयोजन हुआ, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या	तिथि	स्ट्रेंथ	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	30.06.2018	04	02
2.	18.08.2018	03	03
3.	29.12.2018	03	03
4.	26.03.2019	03	03

ऑडिट कमिटी की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति

सदस्यों के नाम	अवधि	आयोजित बैठकों की सं.	बैठक में उपस्थिति की संख्या
श्री अरधेन्दु शेखर षाड़ंगी	01.04.2018 से 31.03.2019 तक	04	04
श्री सिया शरण (07.08.2018 को पदत्याग)	01.04.2018 से 07.08.2018 तक	01	00
श्री के के सिंह	01.04.2018 से 31.03.2019 तक	04	04
डा. (श्रीमती) तारण कुमार रॉय	01.04.2018 से 31.03.2019 तक	04	03

व्यवसाय विकास समिति अबिजनेश डेवलपमेंट कमिटी

व्यवसाय विकास कमिटी की बैठक का आयोजन राँची स्थित कंपनी के पंजिकृत कार्यालय में ऐसी जगह जिस पर प्रबंध द्वारा निर्णय लिया गया हो।

व्यवसाय विकास कमिटी के बैठकों की संख्या :-

क्रम सं.	तिथि	स्ट्रैंथ	उपस्थित सदस्यों की संख्या
01	10.04.2018	04	04
02	18.08.2018	04	04
03	29.12.2018	04	04
04	26.03.2019	03	03

व्यवसाय विकास समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	अवधि	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिती की संख्या
01	श्री एच एन रामाकृष्णा	01.04.2018 से 31.03.2019	04	04
02	श्री अरघेंदु षाडंगी	01.04.2018 से 31.03.2019	04	04
03	श्री अविजीत घोष (31.12.2018 में सेवानिवृत)	01.04.2018 से 31.12.2018	03	03
04	श्री राना एस. चक्रवर्ती	01.04.2018 से 31.03.2019	04	04

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण,
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राँची

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखा परिक्षा पर रिपोर्ट

हमने इसके साथ संलग्न हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कम्पनी के वित्तीय विवरण का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2019 तक का बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, उस समय समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य विवरणात्मक जानकारियां भी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुरूप और हमें दी गयी व्याख्या के अनुसार, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के लिए अपेक्षित वांछित जानकारी प्रदान करता है, अधिनियम के धारा 133 के साथ कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 संशोधित (AS) एवं अन्य और लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा एवं निष्पक्ष राय प्रदान करता है जो भारत में सामान्यतया मान्य हैं। 31 मार्च 2019 को समाप्त हुई तिथि जो कंपनी की कार्यकाल का लाभ एवं नकदी प्रवाह है।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट मानकों पर ऑडिटिंग (एसएएस) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तिय विवरणों की हमारी ऑडिट की। उन मानकों के तहत जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुशासन के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटैंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आधार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ हैं, जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। वहाँ के तहत बनाया गया है, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आधार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं :-

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा मानक के अनुरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का ऑडिट किया था। उन मानकों में अनिवार्य था कि हम नैतिक अनिवार्यताओं का अनुपालन करें और योजना बनाएं और ऑडिट करें ताकि उचित आश्वासन हासिल किया जा सके कि वित्तीय विवरण वस्तुगत गलतबयानी (मटेरियल मिस स्टेटमेंट) से मुक्त हो।

हमारा विश्वास है कि जो ऑडिट साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वे वित्तीय विवरण पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

संबंधी मामलों पर जोर

हम वित्तीय विवरण में वर्णित निम्नलिखित मुद्दों की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:

क्रम सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	जवाब
1	कानूनी मामले के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। रांची गौशाला के भूमि अधिग्रहण (भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में वृद्धि) के 15/981 (नोट नं. 33.1.7 देखे।(ए))	हमारे अधिवक्ता द्वारा राँची गौशाला से संबंधित 157.42 एकड़ जमीन तत्कालीन सरकार बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी। एच. ई. सी. की स्थापना एवं सार्वजनिक उद्देश्य और एनसीलरी के लिए 3500 रु0 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा का भुगतान किया गया था। वर्ष 1971 को राँची गौशाला द्वारा बाद में मुआवजा बढ़ाने हेतु एफ आई ए केस संख्या 22/1971 दायर किया एवं दिनांक 12.01.1998 को मुआवजा बढ़ाने का निर्णय लिया गया और इसे दिनांक 19.01.1998 को पुरस्कृत किया गया था। लोअर डिवीजन कोर्ट (एल. डी. कोर्ट) द्वारा मुआवजा बढ़ाने के लिए 20000/- प्रति एकड़ किया साथ ही प्रीलेटुम 30% ब्याज, 9% सालाना एवं वर्ष तक (17.10.1958 से 16.10.1959) और 15% प्रतिवर्ष दिनांक 17.10.1959 से रकम की प्राप्ति तक।

क्रम सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	जवाब
		इस प्रकार मुआवजा के समायोजन के बाद 468029.19 रु0 पहले ही भुगतान कर चुका था। दिनांक 31.12.1997 का प्रोलेटुम एवं ब्याज सहित मुआवजा की राशि 24721749.80 रू. राँची गौशाला को भुगतान करना था। इस निर्णय के कारण एच.ई.सी. ने समाधान हेतु माननीय उच्च न्यायालय में एफ ए संख्या 43/98 अपील की और राँची गौशाला द्वारा भी सिविल कोर्ट में उक्त निर्णय बहाल हेतु केस संख्या एक्ट 15/1998 दायर किया। उक्त कोर्ट में दोनों केस लम्बित है। अतः उपरोक्त विचार से लेखाकरण में दर्शाये गए आकस्मिक देयताऐं उचित लगता है।
2	नवम्बर 1999 के बाद से नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के लिए अघोषित रूप से बकाया राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।	सचिव, लोक उद्यम विभाग द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा मूल पुरस्कार पारित किया गया था। इसकी पुष्टि भारत सरकार के कानून एवं न्याय विभाग एवं कम्पनी मामलों के विभाग के अपर सचिव द्वारा की गई थी। अतएव पुरस्कार विवादित नहीं है। एन.सी.एल. ने माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में अपील की जिसे खारिज कर दिया। इसे पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 13 जुलाई 2016 को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया। क्योंकि मामला सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है एवं अभी तक कोई प्रतिकूल फैसला नहीं आया है हालांकि मामला 20 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित है। इसके बावजूद इस स्तर पर कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, वित्तीय विवरण के क्रम संख्या 33.7 के अन्य नोट में खुलासा किया गया है।
3	w.ef. के कारण वेतन पुनरीक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 01.01.2017 (संदर्भ नोट सं.)	डीएचई के किसी निर्देश के न होने से 01.01.2017 प्रभाव से पे रिवीजन के संबंध में लेखा में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
4	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अवैतनिक ग्रेच्युटी पर परिणामी देयता, यदि कोई हो, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। (नोट संख्या 333.3 का संदर्भ लें।)	कम्पनी गंभीर नगदी के कमी के कारण उपदान की दायित्व नहीं चुका पा रही थी। भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार निगम भूमि के मुद्रिकरण से प्राप्त राशि से उपदान का भुगतान शुरु कर दिया गया है। इसके अलावा उपदान पर ब्याज न तो निगम द्वारा भुगतान किया जाता है और न ही उपदान के देरी भुगतान के कारण ब्याज की देनदारी प्रदान की गई है। वित्तीय विवरण के क्रम संख्या 33.13 में अन्य नोट पर यह खुलासा किया गया है।
5	टाउनशिप रेंट और अन्य शुल्क प्राप्तियां शेष राशि और वायु विश्लेषण के संबंध में सहायक रिकॉर्ड के साथ सामंजस्य के अधीन हैं।	सुधार के लिए नोट किया गया।

क्रम सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	जवाब
6	ऋण की कुछ शेष राशि, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ, अन्य चालू और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ, व्यापार प्राप्य और देयताएँ, अन्य वित्तीय देनदारियाँ और अन्य वर्तमान देनदारियाँ पुष्टि के अधीन हैं। इस तरह के संतुलन की पुष्टि/सुबह/समायोजन पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई पता नहीं है।	नोट किया गया

कृते वी. के. जिंदल एवं कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(आर.एस. अग्रवाल)
पार्टनर सदस्यता सं. - 076081
फर्म पंजीयन सं. - 001468C
UDIN : 190776081AAAAAQ7060

तिथिः 26.07.2019
स्थानः रांची

आर. के. श्रीवास्तव
वरीय उप महाप्रबंधक (वित्त)
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि., राँची

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमारे ऑडिट के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने निम्न वर्णित अपने रिपोर्ट के अंकेक्षण विषय में सूचित किए गए विवरित तथ्यों का निश्चितता किए हैं।

क्र.सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	ऑडिटर की प्रतिक्रिया
01	लेखांकन मानक 7 "निर्माण अनुबंध" के तहत राजस्व और अन्य संबंधित संतुलन की मान्यता, माप, प्रस्तुति और खुलासे की सटीकता।	प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया हमने निम्नलिखित मूल प्रक्रियाओं का पालन कियाः निरंतर और नए अनुबंधों के एक नमूने का चयन किया और आंतरिक नियंत्रण के संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया, अलग-अलग प्रदर्शन दायित्वों की पहचान और लेनदेन मूल्य के निर्धारण से संबंधित। हमने जांच और टिप्पणियों से संबंधित प्रक्रियाओं का एक संयोजन किया, और इन नियंत्रणों के संचालन के संबंध में सबूतों का निरीक्षण किया। इन नियंत्रणों में अलग-अलग प्रदर्शन दायित्व को पढ़ें, विश्लेषण और पहचान की। राजस्व की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने और चर विचार के आकलन के आधार का परीक्षण करने के लिए किसी भी परिवर्तनीय विचार सहित लेनदेन मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों पर विचार किया। निर्माण/कमीशन के साथ आपूर्ति वस्तुओं की खरीद के समय का मूल्यांकन किया। परियोजना की गतिविधियों को CPM/PERT विश्लेषण द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इसे समय-समय पर अपडेट किया जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि वास्तविक उपयोग के समय आपूर्ति की गई वस्तुओं की अशुद्धि से बचने के लिए गतिविधियों को नियंत्रित करने और नागरिक आपूर्ति की खरीद की प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता है। परियोजना के निष्पादन के दौरान अलग-अलग प्रदर्शन दायित्वों की पहचान। सिविल कार्य, उपकरणों के निर्माण और कमीशनिंग के बीच उचित आंतरिक नियंत्रण तंत्र। हमने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की पहचान, डिजाइन और इंजीनियरिंग में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन आदि की प्रक्रियाओं से संबंधित प्रक्रियाओं का संयोजन किया, ताकि कार्य की प्रगति के दौरान ग्राहकों द्वारा जारी किए गए परिवर्तन क्रम की तुलना में अलग-अलग प्रदर्शन किया जा सके। एचईसी और वर्ष के दौरान किए गए ग्राहकों के बीच देरी के विश्लेषण की विश्लेषणात्मक समीक्षा। प्रकार और सेवा प्रसाद द्वारा प्रकट राजस्व की तर्कशीलता के लिए विश्लेषण ात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया। हमने सूचनाओं के एकत्रीकरण की समीक्षा की और बजटीय प्रणाली से उत्पन्न रिपोर्ट के तर्क का खुलासा प्रकटीकरण संबंधी दायित्व को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है, बैलेंस शीट की तारीख के बाद संतुष्ट हो जाएगा। **निष्कर्ष** निम्नलिखित प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने सं हमारे ऑडिट के दौरान सामग्री के मुद्दे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट सहित अनुबंध की रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक जवाबदेही रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इसके बारे में आश्वासन के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करते समय, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस बोर्ड रिपोर्ट में एक सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। आमतौर पर भारत में स्वीकृत एएस और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड्स की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए ज़िम्मेदार चिंता, प्रकटीकरण, लागू होने, चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का इरादा रखता है या युद्ध संचालन, या ऐसा करने के लिए को☞ वास्तविक विकल्प नहीं है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोटिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एक पूरे के रूप में भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन आश्वासन का उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार एक ऑडिट हमेशा किया जाएगा।

मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएं। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी

- स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भौतिक गलतफहमी के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने

वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता।
- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखा के प्राप्त होने वाले चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला और, प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों के आधार पर, क्या ऐसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चिंता का विषय बना रह सकता है।
- खुलासे सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों में, ऑडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों के लिए यथोचित उम्मीद की जाएगी। इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभ पल्ला झुकना।

अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. यथा कंपनियों हेतु वांछित (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश 2016 संशोधित, जो भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 के उपधारा (11) के संबंध में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुरूप हमने ऑर्डर के अनुच्छेद (पैराग्राफ) 3 और 4 में वर्णित विषयों पर अनुलग्नक 1 में विवरण का उल्लेख किया है।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कॉम्ट्रोलर ऐंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) के निर्देश और उपनिर्देश के आलोक में हमने उन मामलों को अनुलग्नक 2 में निर्दिष्ट किया है जो कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 143 (5) के लिए वांछित है तथा कंपनी के वित्तीय विवरण और लेखा में इन निर्देशों तथा उपनिर्देशों का कोई प्रभाव नहीं है।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) हेतु वांछित है, हमने सूचित किया

(a) हमने अपने अंकेक्षण के उद्देश्य से सभी आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा और प्राप्त किया जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

(b) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित समुचित बही-खाता कंपनी के पास है जो हमारे द्वारा उन बही खातों के परीक्षण से प्रतीत होता है।

(c) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बही-खाता के अनुरूप है।

(d) हमारी राय में, उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक के अनुरूप है, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का नियम 7 पढ़ें।

(e) 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, जिसे निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, 31 मार्च 2018 तक किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत एक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के मामले में अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(f) कम्पनी की वित्तीय रिर्पोटिंग और इस तरह के नियंत्रण संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में अनुलग्नक-3 में हमारा अलग से रिपोर्ट देखें।

(g) कम्पनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पर्याप्त खुलासा नहीं किया है।

(h) कंपनी के ऑडिट एवं ऑडिटर्स के नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर्स रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी बेहतर जानकारी में, और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार

1. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित विवादों का इसके वित्तीय स्थिति पर प्रभाव उचित प्रकटीकरण नहीं किया है- जिसका वित्तीय विवरण के नोट सं. 34.3 के क्रम सं. 7 में सम्बन्धी मामलों पर जोर के प्वाइंट संख्या-II एवं अन्य मामलों के प्वाइंट संख्या (स) में हवाला दिया गया है।
2. कंपनी के पास डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सहित किसी प्रकार का दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके कारण किसी प्रकार का नुकसान की सम्भावना नहीं है।
3. कंपनी के द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में राशि स्थानांतरित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

कृते वी. के. जिंदल एवं कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(आर.एस. अग्रवाल)
पार्टनर सदस्यता सं. - 076081
फर्म पंजीयन सं. - 001468C
UDIN : 190776081AAAAAQ7060

तिथिः 26.07.2019
स्थानः रांची

भारी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड वर्ष 2018–19 के स्वतंत्र लेखाकारों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक ''अ''

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आज की तरीख में कंपनी के वित्तीय विवरण की हमारी रिपोर्ट में अन्य कानूनी एवं नियामक शीर्षक के अंतर्गत परिच्छेद यहाँ तक कि तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैरा 1 में संदर्शित

क्रम संख्या	ऑडिटरों की रिपोर्ट	जवाब
1	अ) कंपनी ने अचल संपत्तियों की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित संपूर्ण ब्यौरा दिखाकर समुचित रिकॉर्ड को बनाए रखा है।	नोट किया गया
	ब) वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। हालांकि, यह परीक्षण जाँच के आधार पर किया गया है, यद्यपि कंपनी का आकार और इसके व्यापार की प्रकृति एक और मज़बूत भौतिक सत्यापन की माँग करती है। अचल संपत्ति की कोंडिंग व्यक्तिगत संपत्तियों पर नहीं की गयी है, इसलिये इसे सत्यापित करना असुविधाजनक है।	एचईसी में अचल संपत्तियों को सही तरीके से कोड किया गया है जिसमें प्रत्येक परिसंपत्ति की पहचान करने के लिए इन्वेंट्री संख्या और मद संख्या अंकित है।
	स) अचल संपत्ति का मालिकाना हक कंपनी के नाम पर दिया जाता है।	नोट किया गया
2	अ) जैसा कि हमें बताया गया है, वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान ही आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा करवाया गया था।	नोट किया गया
	ब) कारोबार के आकार और प्रकृति को देखते हुए कच्चे माल के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया और आवृत्ति को मज़बूत करने की ज़रूरत है।	नोट किया गया
	स) हमारी राय में हमें जो जानकारी और विवरण उपलब्ध करायी गयी है, उसके आधार पर वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन और किताब में जो रिकॉर्ड है, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ नहीं पायी गयी है और उन्हें रिकॉर्ड बुक में सही तरीके से दर्शाया गया है।	नोट किया गया
3	कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत वैसी कंपनी, फर्म या अन्य दूसरी पार्टियाँ जो रजिस्टर में पंजीकृत है, उन्हें कंपनी ने किसी भी प्रकार की सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की स्वीकृति नहीं दी है। अतः उपरोक्त आदेश के क्लॉज़ (अ) से (ब) के प्रावधान कंपनी के लिये उपयुक्त नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं है।
4	हमारी राय में हमें जो जानकारी और विवरण उपलब्ध करायी गयी है, उसके आधार पर कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।	कोई टिप्पणी नहीं है।
5	अधिनियम की धारा 73, से 76 के तहत बनाए गये अधिसूचित सीमा में रहते हुए कंपनी ने जनता से कोई भी जमाराशि स्वीकार नहीं की है।	कोई टिप्पणी नहीं है।

<table>
<tr><td>6</td><td>लागत रिकॉर्ड :
प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है कि कंपनी के उत्पादों के लिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत रिकॉर्ड कंपनी द्वारा संभाल कर रखा गया है।</td><td>कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के नियम, 2011 के तहत लागत रिकॉर्ड स्वयं कंपनी के द्वारा संभाल कर रखा जा रहा है।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">कम्पनी द्वारा दी गई सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार संविधिक एवं अन्य बकाया निम्नलिखित हैं।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>अ) हमारे द्वारा कंपनी के रिकॉर्ड के सत्यापन एवं जो स्पष्टीकरण एवं जानकारी कंपनी को दी गयी थी उसमें उपयुक्त अधिकारी के साथ कंपनी द्वारा नियमित रूप से बकाया राशि जमा करते हैं। जिसके अंतर्गत भविष्य निधिकोष, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सीमा शुल्क, जब्ती और दूसरे अन्य उचित वैधानिक बकाया आते हैं। विगत छ महिने से अधिक अवधि तक बकाया नहीं है। इसके अलावा जमा के विषय में जानकारी दी गयी है।
<table>
<tr><th>अधिनियम का नाम</th><th>राशि (बकाया)</th><th>अवधि</th></tr>
<tr><td>नगरपालिका कर</td><td>19.50 लाख</td><td>अक्तूबर 2000 से दिसंबर 2005 तक</td></tr>
<tr><td></td><td>12.00 लाख</td><td>अप्रैल 2017 से सितम्बर 2019 तक</td></tr>
<tr><td>पानी का बकाया राशि</td><td>3820.71 लाख</td><td>मार्च 2018 तक</td></tr>
</table></td><td>नोट किया गया</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">ब) कम्पनी द्वारा दी गई सूचनाएं एक स्पष्टीकरण के अनुसार संविधिक बकाया जो विवादों के कारण दिनांक 31 मार्च 2019 से जमा नहीं किया गया है, संलग्न परिष्टि में हो</td></tr>
<tr><td>8</td><td>हमारी राय में और जो जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दी गई थी, कंपनी द्वारा बैंकों को देय राशि की अदायगी में चूक नहीं की गई है।</td><td>नोट किया गया</td></tr>
<tr><td>9</td><td>लेखा प्रक्रिया के प्रदर्शन एवं प्रबंधन द्वारा जों स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी थी उसके आधार पर, कंपनी ने इनिसियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर सहित ऋण प्रपत्रों एवं सावधि ऋण के माध्यम से धन की उगाही नहीं की है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (9) कंपनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।</td><td>नोट किया गया</td></tr>
<tr><td>10</td><td>लेखा प्रक्रिया के प्रदर्शन एवं प्रबंधन द्वारा जो स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी थी उसके आधार पर हम सूचित करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की घटना नहीं पायी गयी है और न ही इस तरह का कोई मामला दर्ज किया गया है।</td><td>नोट किया गया। हालांकि, प्रासंगिक दस्तावेज साक्ष्य जैसे एफआईआर के आधार पर, एफआईआर में वर्णित मूल्य, अंकेक्षण के लिए उपलब्ध कराया गया है।</td></tr>
</table>

11	लेखा प्रक्रिया के प्रदर्शन एवं प्रबंधन द्वारा जों स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी थी उसके आधार पर, कंपनी अधिनियम की अनुसूची 5 के साथ धारा 187 के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य अपेक्षित मंजूरी के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक भुगतान किया गया है या प्रदान किया गया है।	नोट किया गया।
12	हमारी राय में, यह कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, यह क्लाउज कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
13	हमारी राय में, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन देन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया गया है और लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित जानकारी का खुलासा वित्तीय विवरण में किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
14	लेखा प्रक्रिया के प्रदर्शन एवं प्रबंधन द्वारा जो स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी थी उसके आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई तरजीही आवंटन या शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है।	कोई टिप्पणी नहीं
15	लेखा प्रक्रिया के प्रदर्शन एवं प्रबंधन द्वारा जो स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी थी उसके आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्ति के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, यह क्लाइज कंपनी पर लागू नहीं होती है।	कोई टिप्पणी नहीं
16	हमारी राय में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 45 IA के तहत कंपनी के लिए पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं

कृते वी. के. जिंदल एवं कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(आर.एस. अग्रवाल)
पार्टनर सदस्यता सं. - 076081
फर्म पंजीयन सं. - 001468C
UDIN : 190776081AAAAAQ7060

तिथि : 26.07.2019
स्थान : रांची

आर के श्रीवास्तव
वरीय उप महाप्रबंधक (वित्त)
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि., राँची

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक अपरिशिष्ट ''क''

हेवी इंजिनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड

वर्ष 2018-19 विवादित वैधानिक दायित्व का विवरण राशि

अधिनियम का नाम	अवधि जिसका संबंध है	फोरम	कुल रकम लाख में
Value Added Tax Act , 2005 (VAT)	2008-2009	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	10.78
	2009-2010	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	19.63
	2010-2011	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	92.41
	2011-2012	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	80.13
	2012-2013	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	25.80
	2013-2014	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	7.03
	2014-2015	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	10.71
Central Sales Tax (CST)	2008-2009	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	10.35
	2009-2010	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	57.76
	2010-2011	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	137.18
	2011-2012	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	849.06
	2012-2013	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	759.62
	2013-2014	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	298.77
	2014-2015	आयुक्त वाणिज्यकर, राँची	80.20
Service Tax Act	Oct 2006 - March 2007	CESTAT, Kolkata	617.96
	Oct 2007 - March 2010	CESTAT, Kolkata	816.05
	2012-2013 & 2013-2014	आयुक्त (अपील), राँची	221.05
	July 2012 to June 2017	आयुक्त (अपील), राँची	106.03
Central Excise Act	2010-11 to 2014-15	CESTAT, Kolkata	1180.18
The Employees Provident Fund & Miscellaneous Provision Act , 1952	क्षती मार्च 1976 से सितम्बर 1999	झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची	9501.54
Jharkhand Municipal Act, 2011	होल्डिंग टैक्स अप्रैल 2016 से मार्च 2019	झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में मामला को खारिज कर दिया एवं उपयुक्त पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर करने का निर्देश दिया	615.33

अनुलग्नक–'ब' पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वर्ष 2017–18 के लिए

कम्पनीज एक्ट, 2013 के तहत सेक्शन 143 (5) के अन्तर्गत दिशा निर्देश परिच्छेद 2 के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट		
क्रम सं.	**प्रश्न**	**जबाब**
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, तो वर्णित किया जाये।	आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित सभी लेखांकन लेनदेन ORAFINA नामक है। ईआरपी सिस्टम नहीं है। हालांकि हालाँकि टाउनशिप में किराए और अन्य शुल्कों के प्राप्ति के लिए अलग से सहायक रिकॉर्ड बनाए रखा गया हैं।
2.	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण या छूट/ऋणों/ ऋणों/ब्याज आदि के मामलों का कोई पुनर्गठन होता है। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को वर्णित किया जाये ।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान ऋण का पुनर्गठन नहीं। है। वर्ष के दौरान कोई भी मामला कर्ज माफी/ऋण और ब्याज से संबंधित हमारे पास नहीं है। कंपनी ने ग्रेच्युटी देय राशि का भुगतान करने के लिए भारत सरकार से ली गई किस्तों का भुगतान करने में असमर्थता के कारण दंडात्मक ब्याज के रूप में 708.01 लाख रुपये खर्च किए हैं।
3.	क्या केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों के विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धन/प्राप्त करने योग्य धन है इसकी शर्तों और स्थितियां के अनुसार उसके खाते के अनुसार सही तरीके से उपयोग/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्र/राज्य सरकार से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि को उसके हिसाब से और शर्त के अनुसार सही ढंग से खाते और उपयोग किया जाता है।

अनुलग्नक 'स' स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हेवी इंजीनियरिंग–कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 के उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के साथ ही **हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का साथ में अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के साथ आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं देखरेख की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन पर है, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर मार्गदर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है।

इस जिम्मेदारी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव, जो इसके कारोबार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढ़ंग से काम कर रहे थे, इसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन सहित कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को पता लगाने तथा रोकना, लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारे अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना हमारी जिम्मेदारी है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शी नोट तथा आईसीएआई द्वारा जारी अंकेक्षण मानकों के अनुसार अपने अंकेक्षण का संचालन किया है जो कंपनी अधिनियम 2013 को निर्धारित करने के लिए समझा जा सकता है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर लागू होता हो, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण के लिए लागू होते हों और दोनों चार्टर्ड अकाउंटेट्स ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा जारी किए गए हों। उन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण की योजना बनाएं एवं प्रदर्शन करें जिससे यह पता चल सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया है एवं बरकरार रखा गया है या नहीं और यदि ऐसा है तो वह सभी मामलों में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग में उल्लेखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा उसके प्रभावी प्रदर्शन के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण में शामिल है वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना जहां मेटेरियल में खामी मौजूद है, और डिजाइन का मूल्यांकन एवं परीक्षण तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता का संचालन। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटरों के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरण के वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या फिर भूलवश।

हमें विश्वास है कि हमें जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे अंकेक्षण राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है जो आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय

नियंत्रण में वे नीतियां या प्रक्रियाएं शामिल हैं जो अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, कंपनी की परिसंपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को उचित विवरण, सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हों।

उचित आश्वासन प्रदान करता है कि आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण की तैयारी को अनुमति देने के लिए आवश्यक लेनदेन को दर्ज किया गया हो, और यह कि कंपनी की प्राप्तियों एवं व्यय को प्रबंधन के अधिकार और कंपनी के निदेशकों के अनुसार किया जा रहा है।

कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग की रोकथाम या प्रकृति का समय पर पता लगाने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करता है जिससे वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण के अधिरोहन का अनुचित प्रबंधन भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वस्तुगत गलतबयानी हो सकता है या इसका पता नहीं लग सकता है। साथ ही, आने वाले समय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम का विषय हो सकता है जिससे स्थिति में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन का परिमाण खराब हो सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी वस्तुगत मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और 31 मार्च 2018 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण मानदंड में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर मार्गदर्शी नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है।

कृते वी. के. जिंदल एवं कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 06511C

(आर. एस. अग्रवाल)
पार्टनर सदस्यता सं. - 076081
फर्म पंजीयन सं. - 001468C
UDIN : 190776081AAAAAQ7060

तिथि : 26.07.2019
स्थान : रांची

अनुलग्नक– 'स'

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी की जिम्मेदारी कंपनी प्रबन्धन की है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी मंतव्य व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत् निर्धारित अंकेक्षण पर मानक के अनुरूप स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित होगा। ऐसा कहा गया है कि यह अंकेक्षण रिपोर्ट उनके द्वारा किया गया है, जो दिनांक 26 जुलाई 2019 के उनकी ऑडिट रिपोर्ट को प्रतिस्थापित करता है।

हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष पर हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय ब्यौरे, कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6) (अ) के तहत पूरक अंकेक्षण कराया है। पूरक अंकेक्षण कार्य स्वतंत्र होकर निष्पादित किया गया है। जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक के दस्तावेजों का उपयोग नहीं किया गया और यह प्रारंभिक स्तर पर सांविधिक लेखा परीक्षक और कम्पनी कार्मिक के पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेख की चयन परीक्षण तक सीमित है।

हमारे पूरक अंकेक्षण के आधार पर मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को हमारे पास नहीं आया है जिस पर किसी प्रकार की टिप्पणीयाँ कंपनी अधिनियम की धारा 143(6) (b) के तहत सांविधित लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर पूरक टिप्पणी की जा सके।

क	लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ	जवाब
(i)	**नोट 30 : अन्य व्यय : रु. 28424.63 लाख** एचईसी लिमिटेड ने CISF की तैनाती की लागत का भुगतान जुलाई 2017 से 31 मार्च 2019 तक 3080.88 लाख रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया और इस प्रकार CISF पत्र संख्या R-11013/1 (5) / Acs / 05-333 दिनांक 30 मई 2005 के संदर्भ में 31 मार्च 2019 तक 1311.73 लाख रु. का ब्याज देने के लिए उत्तरदायी था जो पीएलआर से ऊपर/2 प्रतिशत का ब्याज प्रदान करता है अगर CISF बिल का भुगतान महीने के अंत तक नहीं किया जाता है। 1311.73 लाख रुपये के कर से पहले अन्य व्यय और हानि की न्यूनोक्ति में ब्याज के गैर प्रावधान के परिणामस्वरूप हुआ है।	CISF बिल के नामे डिफ़ॉल्ट भुगतान पर ब्याज शुरुआत से ही खातों की किताबों में स्वीकार नहीं किया गया है। हालाँकि, एचईसी अपनी देनदारियों को कम करने के लिए भारी नकदी हानि और नकदी संकट से जूझ रहा है, इसलिए एचईसी पर अतिदेय देनदारियों पर ब्याज नहीं लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष एक अनुरोध पत्र बनाया जाएगा।
(ii)	**नोट 26 : कर्मचारी लाभ व्यय : 13321.46 लाख रुपये** पेमेंट अ२फ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 की धारा 7 (3 ए) में ग्रेच्युटी की राशि पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान है जो एक महीने से अधिक समय तक अवैतनिक रहा। कंपनी ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 31 मार्च 2019 तक अवैतनिक ग्रेच्युटी पर 331.71 लाख रुपये की ग्रेच्युटी के डिफ़ॉल्ट भुगतान पर ब्याज नहीं दिया है। 331.71 लाख रुपये के कर से पहले अन्य व्यय और हानि की न्यूनोक्ति में ब्याज के गैर प्रावधान के परिणामस्वरूप हुआ है।	महत्त्वपूर्ण प्रकटीकरण वित्तीय विवरण के अन्य नोटों के Sl-No- 33.13 पर दिखाया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए खाते का अभिन्न अंग है। हालांकि यह अगले वित्तीय वर्ष से उपयुक्त होगा।

एच. ई. सी. मे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता दौड़ का आयोजन

एच. ई. सी. के वेलनेस सेन्टर मे आई कैम्प लगाया गया एवं मोतीया बिंद ऑपरेशन का भी आयोजन

एच. ई. सी. मे गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती मनाया गया।

'भारत मे भ्रष्टाचार उन्मूलन' विषय पर सेमिनार का आयोजन

एच. ई. सी. मे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

एच. ई. सी. मे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

सार्वजनिक उपकम दिवस का आयोजन

ख	**प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ**	
	वित्तीय विवरण के लिए अन्य नोट	
i	**नोट न. 3.1: - आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ** क) मेसर्स आदर्श एचईसी कर्मचारी क्रेडिट को-ऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा दावा किए गए रु. 1271.81 लाख जो 1995 से मार्च 2009 के बीच सदस्यों द्वारा जमा पर ब्याज है उपरोक्त में शामिल नहीं हैं। यह मामला झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।	यह आकस्मिक देयता के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।
	ख) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के तहत एनसीएल, निगाही के साथ सेवा कर मामलों से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की मांग पर देय ब्याज रु. 461.68 लाख उपरोक्त में शामिल नहीं हैं। यह मामला झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।	आदेश के अनुसार, एचईसी वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के संदर्भ में उचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 के संदर्भ में लागू ब्याज की मात्रा का पता लगाया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2019-2020 में आकस्मिक देयता के रूप में शामिल किया जाएगा।
	ग) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 78 के तहत विक्रेताओं/ठेकेदारों से एलडी शुल्क पर प्रतिफल के लिए जुलाई 2012 से जून 2017 के दौरान सेवा कर की मांग के कारण केंद्रीय माल एवं सेवा कर के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा लगाया गया अपने आदेश में जुर्माने की राशि रु. 106.03 लाख 8 मार्च 2019 से देय उपरोक्त में शामिल नहीं हैं।	इसे अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 में आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया जाएगा।

(इंदु अग्रवाल)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा
परीक्षा एवं पदेन् सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, राँची

स्थान - राँची
दिनांक - 23.09.2019

FORM NO. MGT 9

ANNEXURE-D

EXTRACT OF ANNUAL RETURN AS ON THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2019

[Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014]

1. **REGISTRATION & OTHER DETAILS :**

i	CIN	U27100JH1958GOI000630
ii	Registration Date	31/12/1958
iii	Name of the Company	HEAVY ENGINERRING CORPORATION PRIVATE LIMITED
iv	Category/Sub-category of the Company	COMPANY LIMITED BY SHARE/GOVERNMENT COMPANY
v	Address of the Registered office and contact details	PLANT PLAZA ROAD, DHURWA, RANCHI - 834004
vi	Whether listed company	No
vii	Name, Address and Contact details of the Registrar and Transfer Agent, if any.	N.A

2. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY:

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated :-

Sl. No	Name & Description of main products/services	NIC Code of the Product /service	% to total turnover of the company
1	Steel Plant Mining Equipments, Steel Casting, Forgings & Rolls	273	100

3. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY & ASSOCIATE COMPANIES

Sl. No	Name & Address of the Company	CIN/ GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of Shares Held	Applicable Section
1	N.A				
2	N.A				
3	N.A				

SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital Break up as percentage to Total Equity)

i. Category – wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual/HUF									
b) Central Govt.	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0
c) State Govt(s)									
d) Bodies Corporates									
e) Bank/FI									
f) Any other									
SUB TOTAL : (A) (1)	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
(2) Foreign									
a) NRI- Individuals									
b) Other Individuals									
c) Bodies Corp.									
d) Banks/FI									
e) Any other…									
SUB TOTAL : (A) (2)									
Total Shareholding of Promoter (A)= (A)(1)+(A)(2)	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0
B. PUBLIC SHAREHOLDING									
(1) Institutions									
a) Mutual Funds									
b) Banks/FI									
C) Central Govt									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital Fund									
f) Insurance Companies									
g) FIIS									
h) Foreign Venture Capital Funds									
i) Others (specify)									
SUB TOTAL (B)(1) :									
(2) Non Institutions									
a) Bodies Corporates									
i) Indian									
ii) Overseas									
b) Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs.1 lakhs									
ii) Individuals shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakhs									
c) Others (specify)									
SUB TOTAL (B)(2) :									
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)									

C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
Grand Total (A+B+C)	**0**	**6060788**	**6060788**	**100**	**0**	**6060788**	**6060788**	**100**	**0**

(ii) SHARE HOLDING OF PROMOTER

Sl . No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		NO of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged encumbered to total shares	NO of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged encumbered to total shares	
1	G.O.I	6060788	100	0	6060788	100	0	0
	Total	6060788	100	0	6060788	100	0	0

(iii) CHANGE IN PROMOTERS' SHAREHOLDING (SPECIFY IF THERE IS NO CHANGE) – N.A.

Sl. No.		Share holding at the beginning of the Year		Cumulative Share holding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	6060788	100	6060788	100
2	Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc)	0	0	0	0
3	At the end of the year	6060788	100	6060788	100

5. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment (Amt in Lakh)				
	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	18706.22	4789.00		23495.22
ii) Interest due but not paid		2638.53		2638.53
iii) Interest accrued but not due		123.28		123.28
Total (i+ii+iii)	18706.22	7550.81		26257.03
Change in Indebtedness during the financial year				
Additions				
Reduction				
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	6684.47	4789.00		11473.47
ii) Interest due but not paid		3267.63		3267.63
iii) Interest accrued but not due		491.94		491.94
Total (i+ii+iii)	6684.47	8548.57		15233.04

6. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole time director and/or Manager:

Sl. No	Particulars of Remuneration	Total Amount (Rs. Lakh)			
1	Gross salary	Avijit Ghosh	Arundati Panda	M. K. Saxena	Rana S. Chakravarty
	(a) Salary as per Provisions contained in Section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	24.38	27.82	25.92	23.81
		1.81	1.51	1.71	1.56
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961				
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961				
2	Stock Option				
3	Sweat Equity				
4	Commission -as % of profit -Other, Specify				
5	Others, please specify-				
6	Total (A)				
7	Ceiling As per the Act	26.19	29.33	27.63	25.37

B. Remuneration to other Directors :

Sl. No	Particulars of Remuneration	Name of Director				Total Amount (Amt in Rs.)
	Independent Directors	K. K. Singh	A. S. Sarangi	H. N. Ramakrishna	Taran Kumari Roy	
	(a) Fee for attending board committee meetings	110000	130000	90000	70000	400000
	(b) Commission (c) Others, please specify- Sitting Fees					
	Total (i)	11**0000**	**130000**	**90000**	**70000**	**400000**
	Other Non Executive Directors					
	(a) Fee for attending board committee meetings (b) Commission (c) Others, please specify- Sitting Fees					
	Total (ii)	110**000**	**130000**	**90000**	**70000**	400000
	Total B = (i+ii)	110**000**	**130000**	**90000**	**70000**	**400000**
	Total Managerial Remuneration					
	Overall Ceiling as per the Act					

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel				Total (Rs. Lakh)
1	**Gross Salary**	**CEO**	**Company Secretary**	**CFO**	**Total**	
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961.		11.49			11.49
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961					
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961					
2	Stock Option					
3	Sweat Equity					
4	Commission as % of profit others, specify					
5	Others, please specify					
	Total		11.49			11.49

7. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/Compounding fees imposed	Authority (RD/ NCLT/Court)	Appeal made if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
B. DIRECTORS					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty					
Punishment					
Compounding					

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र

₹ लाख में

		टिप्पणी सं.	31.03.2019 को	31.03.2018 को
I.	**इक्विटी एवं देयताएँ**			
	1. शेयरधारक फंड			
	(अ) शेयर पूँजी	2	60607.88	60607.88
	(ब) आरक्षित एवं अधिशेष	3	(59569.60)	(49628.24)
	2. शेयर उपयोग रकम			
	लंबित आवंटन		0.01	0.01
	3. गैर चालू देयताएँ			
	(अ) दीर्घकालीन उधारकर्ता	4	0.00	957.80
	(ब) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	5	845.78	1011.81
	(स) दीर्घकालीन प्रावधान	6	7876.61	7817.36
	4. चालू देयताएँ			
	(अ) लघुकालीन उधारकर्ता	7	6684.47	18706.22
	(ब) व्यवसाय देय		1146.45	668.60
	(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया			
	(i) उधारकर्त्ता के अतिरिक्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	8	11896.70	11611.13
	(स) अन्य चालू देयताएं	9	42769.58	31977.18
	(द) लघुकालीन प्रावधान	10	2878.68	4518.31
	कुल		**75136.26**	**88248.08**
II.	**परिसम्पत्तियाँ**			
	1. गैर चालू परिसम्पत्तियां			
	(अ) नियत परिसम्पत्तियां			
	(i) सम्पत्ति, प्लांट एवं उपस्कार	11	6133.33	6656.05
	(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियां	12	0.00	0.00
	(iii) पूँजीगत चालू कार्य	13	1684.86	922.40
	(ब) गैर चालू निवेश	14	0.36	0.36
	(स) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	15	14.31	15.02
	(द) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	16	15374.04	19912.61
	2. चालू परिसम्पत्तियाँ			
	(क) वस्तुसूचियां	17	8556.99	10510.89
	(ख) व्यवसाय प्राप्ययोग्य	18	23468.99	26019.83
	(ग) नकद एवं नकद समकक्ष	19	6503.04	4511.30
	(घ) लघुकालीन ऋण एवं अग्रिम	20	5573.66	3511.31
	(च) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	21	7826.68	16188.31
	कुल		**75136.26**	**88248.08**

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 1

वित्तीय विवरण का अन्य टिप्पणियाँ 33

टिप्पणी सं. 1 से 33 एवं कैश फ्लो विवरण, वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग है।

ए. के. कंठ	**आर. के. श्रीवास्तव**	**अरून्धती पंडा**	**मृदुल कुमार सक्सेना**
कम्पनी सचिव	व. उपमहाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट
कृते वी. के. जिंदल एवं कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(आर. एस. अग्रवाल)
पार्टनर सदस्यता सं. - 076081
फर्म पंजीयन सं. - 001468C
UDIN : 190776081AAAAAQ7060

स्थान : राँची
दिनांक : 26.07.2019

लाभ एवं हानि ब्यौरे

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

₹ लाख में

		टिप्पणी सं.	2018-19	2017-18
i.	प्रचालन से राजस्व	22	36384.25	40343.11
ii.	अन्य आय	23	3600.56	3531.57
iii.	कुल राजस्व		39984.81	43874.68
iv.	व्यय			
(क)	सामग्री खपत लागत	24	17765.50	14809.92
(ख)	समापन भंडार एवं प्रगतिशील कार्य के वस्तुसूची में परिवर्तन	25	2862.75	1005.53
(ग)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	13321.46	12572.56
(घ)	वित्तीय लागत	27	2772.45	2669.66
(ङ)	मूल्य ह्रास, परिशोधन एवं हानिकारक	28	740.91	743.30
(च)	अनुसंधान एवं विकास व्यय	29	92.12	93.52
(छ)	अन्य व्यय	30	28424.63	21748.23
	कुल व्यय		**65479.82**	**53642.72**
	पूर्व अवधि, अपवादित एवं असाधारण आइटम के पूर्व लाभ/हानि		(25495.01)	(9768.04)
	पूर्व अवधि संमजन (निवल)	31	(129.07)	(1425.60)
v.	अपवादिक, असाधारण आईटम एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)		(25624.08)	(11193.64)
vi.	अपवादिक आइटम			
vii.	असाधारण आईटम एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		(25624.08)	(11193.64)
viii	असाधारण आईटम	32	16257.05	62102.44
ix.	कर पूर्व लाभ (हानि) (VII-VIII)		(9367.03)	50908.80
x.	कर व्यय			
	(i) चालू कर	0.00		6308.92
	(ii) आस्थगित कर	0.00	0.00	0.00 6308.92
xi.	सतत प्रचालन के अवधि से लाभ/(हानि) (IX-X)		(9367.03)	44599.88
xii.	विच्छिन्न प्रचालन से लाभ/(हानि)		0.00	0.00
xiii.	विच्छिन्न प्रचालन से कर व्यय		0.00	0.00
xiv.	विच्छिन्न प्रचालन के अवधि से लाभ/(हानि) (XII-XIII)		0.00	0.00
	अवधि के लिए लाभ (हानि) (XI+XIV)		(9357.03)	44599.88
	प्रति शेयर उपार्जन (अंकित मुल्य रु. 1000) (1) रू. में मूल		(154.55)	735.88
	(2) रू. में कमी		(154.55)	735.88

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 1
वित्तीय विवरण के अन्या टिप्पणियाँ 33
टिप्पणी सं. 1 से 33 कैश फ्लो विवरण, वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग है।

ए. के. कंठ	**आर. के. श्रीवास्तव**	**अरून्धती पंडा**	**मृदुल कुमार सक्सेना**
कम्पनी सचिव	व. उपमहाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट
कृते वी. के. जिंदल एवं कम्पनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

(आर. एस. अग्रवाल)
पार्टनर सदस्यता सं. - 076081
फर्म पंजीयन सं. - 001468C
UDIN : 190776081AAAAAQ7060

स्थान : राँची
दिनांक : 27.07.2019

अप्रैल 2018–मार्च 2019 के तुलन पत्र पर संलग्न कैश फ्लो विवरण

₹ लाख में

		2018-19		2017-18
(अ) परिचालन कार्य से कैश फ्लो				
कर पूर्व निवल लाभ	(25624.08)		(11193.64)	
असाधारण आईटम	16257.05	(9367.03)	62102.44	50908.80
समायोजन हेतु				
मूल्य ह्रास	744.32		756.46	
ब्याज खर्च	2772.45		2669.66	
असाधारण आईटम	(16257.05)		(62102.42)	
पट्टा आय	(574.33)		(574.33)	
ब्याज कमाई	(68.23)		(27.23)	
इंक्रीमेंटल व्यवस्थाएँ	(1580.69)	(14963.53)	791.76	(58486.12)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ		(24330.56)		(7577.32)
समंजन हेतु :				
व्यापार एवं अन्य प्राप्य राशि	15451.04		(21748.63)	
वस्तु सूची	1953.90		2307.46	
व्यापार देय	11389.79		(34339.94)	
ऋण एवं अग्रिम	(2061.64)	26733.09	(211.22)	(53992.33)
परिचालन कार्यकलापों से प्राप्त रोकड़		2402.53		(61569.65)
आयकर चुकाया		0.00		6308.92
परिचालन कार्यकलापों से प्राप्त निवल रोकड़		2102.53		(67878.57)
(ब) निवेश कार्यक्लाप से कैश फ्लो				
स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रय	(235.25)		(374.11)	
स्थायी परिसम्पत्तियों का विक्रय/समंजन	122.32		289.24	
मूल्य ह्रास में समंजन	(108.70)		(240.24)	
पूंजीगत चालू कार्य में समंजन	(762.46)		(695.99)	
ब्याज कमाई	68.23		27.23	
पट्टा आय	574.33		574.33	
निवेश कार्य से प्राप्त निवल रोकड़		(341.53)		(419.54)
(स) वित्तीय कार्यकलाप से कैश फ्लो				
ब्याज भुगतान	(2772.45)		(2669.66)	
असाधारण आईटम	16257.05		62102.44	
अल्पकालीन ऋण	(12021.75)		4827.48	
दीर्घकालीन उधार	(957.80)		(957.80)	

अप्रैल 2017 मार्च, 2018 के तुलन पत्र पर संलग्न कैश फ्लो विवरण

₹ लाख में

	2018-19		2017-18	
आरक्षित एवं अतिरिक्त में परिवर्तन	(574.33)		48.23	
वित्तीय कार्यक्लाप से निवल रोकड़		(69.26)		(63350.69)
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में निवल वृद्धि / (ह्रास)		1991.74		(4947.42)
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष का प्रारंभिक शेष		4511.30		9458.72
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष का समापन शेष		6503.04		4511.30
		1991.74		**(4947.42)**

टिप्पणी : उपर्युक्त कैशफ्लो विवरण लेखा मानक - 3 के अन्तर्गत परोक्ष रूप से तैयार किया गया है।

ए. के. कंठ
कम्पनी सचिव

आर. के. श्रीवास्तव
व. उपमहाप्रबंधक (वित्त)

अरून्धती पंडा
निदेशक (वित्त)

मृदुल कुमार सक्सेना
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट
कृते वी. के. जिंदल एवं कम्पनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

(आर. एस. अग्रवाल)
पार्टनर सदस्यता सं. - 076081
फर्म पंजीयन सं. - 001468C
UDIN : 190776081AAAAAQ7060

स्थान : राँची
दिनांक : 27.07.2019

कॉर्पोरेट सूचनाएं

एच.ई.सी. एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है

एच.ई.सी. कैपिटल गुडस के निर्माण में लगी हुई है

टिप्पणी संख्या –1 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. वित्तीय विवरण सुनाम संस्थान के सदृश्य पुरानी लागत प्रथा एवं लेखाकरण जमा प्रणाली के अनुसार तैयार किये गये हैं, जो सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्त के अनुरूप है।

   ये सब वित्तीय विवरण लेखा मानक द्वारा अधिसूचित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3सी) (कम्पनी (लेखामानक) नियम, 2006, संशोधित एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्य प्रावधान को अनुपालन करने हेतु तैयार किया गया है।

2 अचल परिसम्पत्तियां

अचल परिसम्पत्तियां (राज्य सरकार से प्राप्त निःशुल्क भूमि को छोड़कर) अर्जन लागत या संचित अवमूल्यन रहित निर्माण के आधार पर उल्लिखित है। राज्य सरकार से निःशुल्क प्राप्त भूमि का मूल्य रु. 1/- प्रति एकड़ है।

3 वस्तुसूची मूल्य

(क) वस्तुसूची का मूल्यन वास्तविक/प्राक्कलित लागत शुद्ध प्राप्य कीमत इनमें से जो कम हो, के आधार पर किया जाता है।

(ख) तैयार माल एवं चालू कार्य का मूल्यन वास्तविक/प्राक्कलित कारखाना लागत या शुद्ध कीमत, इनमें से जो कम हो, के आधार पर किया जाता है।

(ग) कच्चे माल, उपस्कर, फुटकर औजार, स्टोर्स एवं स्पेयर्स का मूल्यन भारित औसत लागत पर किया जाता है।

(घ) आइटम जो सामान्यतया अन्तर परिवर्तनीय तथा जो उत्पादित माल या सेवाएं विशिष्ट परियोजनाओं के लिए पृथक किये गये हैं, का मूल्यन वैयक्तिक लागत की विशिष्ट पहचान पर किया जाता है।

(ङ) अस्वीकृत एवं रद्दी मालों का मूल्यन समापन खाता दर पर होता है, जहाँ कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है।

(च) उप उत्पादों का मूल्यन बाजार दर पर होता है।

(छ) चालू कार्य के पूरा करने का प्रतिशत अर्थात चालू कार्य के समापन का स्तर तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर शॉप प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

(ज) शॉप में निर्गत फुटकर औजारों, रेखांकन औजारों आदि को तकनीकी आधार पर बट्टे में डालकर वस्तु सूची में दिखाया गया है अर्थात् साधारण औजारों को 4 वर्षों में एवं अन्य औजारों को दस वर्षों में, मोल्ड्स को नौ वर्षों में एवं अन्य औजारों को अनुमानित जीवन के आधार पर बट्टे में डाल कर वस्तु सूची में रखा गया है। पैटर्न की कीमत उसके निर्गत वर्ष में दर्शायी जाती है। उन वस्तुओं का केवल मात्रात्मक अभिलेख शॉप स्तर पर जहाँ व्यावहारिक है, रखा जाता है।

4 राजस्व पहचान

(क) जब महत्वपूर्ण जोखिम एवं स्वामित्व का लाभ ग्राहकों के पास अंतरण होता है जो बिक्री रिकॉर्ड की जाती है। दीर्घकालीन संविदाओं के लिए आंशिक आपूर्तियां जिनके जी.एस.टी. बिल दिए गये हैं, उनका मूल्यन संविदा मूल्य या अन्तिम मूल्य पर लेखाबद्ध किया गया है।

(ख) संविदा पर वृद्धि युक्तियां ढंग से सुनिश्चित कर प्रासंगिक संविदा की शर्तों के अनुरूप लेखाबद्ध किया गया है, जिसकी सम्पुष्टि/स्वीकृति ग्राहकों द्वारा होती है।

(ग) संविदा के प्रावधान या ग्राहकों द्वारा साक्ष्य स्वीकृति के बाद विभिन्नताओं को लेखाबद्ध किया गया है।

(घ) बिक्री को जी.एस.टी. पर लेखाबद्ध किया गया है।

5 दीर्घकालीन टर्न की संविदाएं

(क) राजस्व पहचान

कार्य समापन की प्रतिशतता विधि आधारित संविदा की कुल प्राक्कलित लागत में प्रतिवेदित तिथि तक वास्तविक लागत खर्च के प्रतिशत के आधार पर राजस्व की पहचान की गई है।

उपस्कर/पद्धति के सप्लाई/इरेक्शन तथा सिविल कार्य से आम ग्राहकों को प्रेषण एवं प्रोजेक्ट साइट पर निष्पादित कार्य के आधार पर पहचान की गई।

(ख) अपूर्ण/आंशिक निष्पादित/ग्राहकों द्वारा मापी नहीं कार्य के लिए राजस्व पहचानः

वर्ष के अंत में निष्पादित कार्य, परन्तु मापी नहीं/आंशिक निष्पादित/अपूर्ण कार्य प्रोजेक्ट साइट पर कार्यरत एच.ई.सी. अभियंता और राजस्व पहचान के प्रयोजनार्थ हेतु ग्राहकों के प्रमाण पत्र के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

(ग) चालू कार्य का मूल्यन

संविदा कार्य के प्रमाणित मूल्य की सीमा तक वर्षानुवर्ष चालू कार्य पर की गई वृद्धि समेत व्यय को संबंधित संविदा के अन्तर्गत बिक्री में दिखाई गई राशि को घटाने के बाद चालू कार्य में लेखाबद्ध किया गया है।

(घ) हानि के लिए आवश्यक प्रावधान यदि कोई, कार्य निष्पादित होने पर किया गया है।

6. वारंटी प्रावधान

बिक्री पर 0.5 प्रतिशत का प्रावधान संविदात्मक बाध्यताएं/वारंटी के तहत देयता के लिए किया गया है। वारंटी व्यय को आय में पुनःलिखित हेतु एक वर्ष बाद में प्रावधान होगा। वारंटी/संविदात्मक बाध्यता के आधार पर व्यय जिसे भार ग्रहण के वर्षों में स्वाभाविक शीर्षों के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया गया है।

7. कर्मचारी हित लाभ

- दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ, कर्मचारी की सेवा प्रारंभ करने की तिथि से बारह महीने के उपरांत देय अस्वस्थता अवकाश एवं सेवा निवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्यूटी, सेवा निवृत्त यात्रा भत्ता और अवकाश नगदीकरण की गणना वार्षिक तीसरी पार्टी बीमांकित मूल्यन के आधार पर योजनागत यूनिट क्रेडिट प्रक्रिया के द्वारा छूट देकर की गई है एवं अवकाश यात्रा भत्ता (पात्र कर्मचारी हेतु) की गणना प्राक्कलित आधार पर की गई है।
- दीर्घकालीन कर्मचारी हित लाभ, तुलन पत्र में पहचान की गई है जो दायित्व को वर्तमान मूल्य प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि अचिन्हित विगत सेवा कीमत के लिए समायोजित किया गया है यदि कोई हो, योजनागत परिसम्पत्ति के उचित मूल्य द्वारा कमी के अनुरूप जहाँ लागू है तथा बीमांकित लाभ/हानि, लाभ और हानि लेखा में एक सीमा तक पहचान की गई है। बीमांकित लाभ एवं हानि को संक्रमण दायित्व के अचिन्हित भाग से अधिक की सीमा तक लाभ और हानि लेखा में पहचान की गई है।
- दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के संबंध में संक्रमण दायित्व को पांच वर्षों से अधिक की अवधि तक सीधी पंक्ति आधारित व्यय के रूप पहचान की गई।
- उपदान (ग्रेच्यूटी) और नगदीकरण अवकाश की व्यवस्था तुलन पत्र तिथि के आंकड़ों के आधार पर बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार की गई है।

8. मूल्य ह्रास

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में उपबंधित दर के अनुसार सीधी रेखा विधि के आधार पर अचल सम्पत्ति पर अवमूल्यन प्रभारित किया गया है, तथा वर्ष के दौरान अचल सम्पत्ति में वृद्धि/कटौती के संबंध में यथानुपात मासिक आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया गया है। जहाँ प्लांट एवं मशीनरी तथा प्लांट बिल्डिंग की नींव के लागत ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, वहाँ प्लांट बिल्डिंग पर चालू दर से अवमूल्यन प्रभारित है।

9. विविध देनदार

(अ) इसमें से बिल शामिल है जिनका मूल्य निर्धारण लंबित होने तथा ग्राहकों से औपचारिक आदेश न होने के कारण बिल अन्तिम दर पर दिये गये हैं, जिनके प्रासंगिक संविदा के लिए प्राप्त अग्रिम/प्रगति अदायगी के यथानुपात आधार पर समंजन के उपरांत बिल नहीं बनाये गये हैं।

(ब) यह प्रावधान नियत तारीख से 3 वर्ष से अधिक के बकाया देनदार के खिलाफ किया गया है।

10. सहायता अनुदान

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि को इसी मद में खर्च किया गया/ सहायकता अनुदान के अव्यचित शेष राशि चालू देयता के शीर्षाधीन बाद के लिए अग्रेनीत किया गया। अन्य राजस्व के लिए प्राप्त अनुदान को तत्संबंधित वर्षों में अन्य आय के रूप में दर्शाया गया है।

11. निवेश

एक वर्ष से अधिक समय के लिए किये गये/किये जाने वाले अर्थात दीर्घकालीन निवेश का मूल्यन लागत में से मूल्य की गिरावट (अस्थिर गिरावट को छोड़कर) को घटा कर किया जाता है, जबकि चालू अद्धृत निवेश का मूल्यन कम कीमत या बाजार मूल्य पर किया जाता है।

12. अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास से संबंधित मुख्य व्यय भार ग्रहण करने के वर्ष में लाभ एवं हानि लेखा के अन्तर्गत प्रभारित किया गया है। अनुसंधान एवं विकास संबंधी अचल परिसम्पतियों पर किये गये व्यय का प्रतिपादन अन्य अचल परिसम्पत्तियों पर किये गये व्यय के अनुरूप ही किया जाता है। ऐसी अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास अन्य अनुसंधान एवं विकास व्यय के साथ दर्शाया गया है।

13. विदेशी मुद्रा लेन–देन

आस्थगित उधार अदायगी समेत विदेशी मुद्रा लेन-देन से संबंधित मौद्रिक परिसम्पत्तियां एवं देयताएं तुलनपत्र तिथि के अनुसार बकाया शेष का वर्षांत की दर पर परिवर्तित किया गया है। वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियां एवं देयताएं तथा प्राप्य लाभ और विदेशी मुद्रा के लेन-देन में हानि के परिवर्तन में अंतर को अचल सम्पति के अर्जन से संबंधित जो अचल सम्पत्ति की लागत में समंजन किये गये हैं, जो छोड़कर लाभ एवं हानि लेखा में लेखाबद्ध किया गया है।

14. एच.ई.सी. बिल से कंपनी द्वारा/के लिए दावे/ परिनिर्धारित नुकसानी (एल.डी.) ग्राहकों से वसूली/ एचईसी द्वारा ग्राहकों के बिल से एलडी की करो की प्राप्ती

(क) संविदाओं के अनुसार विशेष परिनिर्धारित नुकसानी को अभिनिश्चयन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है तथा विशेष नुकसानी के मामलों व कंपनी द्वारा विवादित दावों के युक्ति संगत प्राक्कलन के आधार पर कंपनी द्वारा प्रावधान किया गया है।

(ख) प्राप्त की गई परिनिर्धारित नुकसानी को वर्ष में आय के रूप में पहचान की गई है। यदि प्राप्त की गई एल डी ग्राहकों को वापस की है तो इसे वर्ष के व्यय हेतु भुगतान के रूप में पहचान की गई है।

(ग) ग्राहकों द्वारा कटौती एल डी को वर्ष में व्यय हेतु पहचान की गई है। यदि कटौती एल डी ग्राहक द्वारा वापस की है तो इसे वर्ष में प्राप्त की गई आय समझा जायेगा।

(घ) निर्यात प्रोत्साहनों, रेलवे एवं बीमा दावे, विविध निपटान योग्य सामग्रियों तथा विशेष स्क्रैपों की बिक्री उत्पाद एवं सीमा शुल्क की वापसी तथा अन्य सदृश्य मदों से प्राप्त आय को राशि के अभिनिश्चयन तथा उनका प्राप्य/दावा की निश्चितता के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

15. अन्तर प्लांट लागत आवंटन

निम्नांकित व्यय निम्नवत वर्णित आधार पर विभिन्न प्लांटों में आवंटित किये गये हैं।

(अ) मुख्यालय व्यय (निवल) : प्रत्येक प्लांट के बजटीय उत्पादन

(ब) टाउनशिप (निवल) : प्रत्येक प्लांट के आवंटित आवास की संख्या

(स) ब्याज : पूर्ववर्ती वर्ष में प्रत्येक प्लांट द्वारा वास्तविक राशि का उपयोग

(द) के.ओ.सु.बल व्यय : प्रत्येक प्लांट में के.ओ.सु. बल के कार्मिक की प्रतिनियुक्ति।

16. वस्तु सूची

भंडार के अचल वस्तुसूची का विश्लेषण समय-समय पर किया गया है। प्रत्यक्ष सत्यापन में अधिशेष सामग्री को या तो निपटान कर दिया गया है या उसके वैकल्पिक उपयोग के लिए समीक्षा की गई है। यदि कोई हानि हो तो निश्चित होने पर लेखाबद्ध किया गया है। यद्यपि कि अचल आइटम तीन वर्षों से अधिक का है, अधिकतम प्रावधान यदि आवश्यक हो, तो वस्तुसूची की कीमत के 90 प्रतिशत तक सीमित होगा।

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2019		**31.03.2018**
टिप्पणी संख्या –2	**शेयर पूंजी**			
अधिकृत पूंजी				
10000000 (विगत वर्ष 10000000) इक्विटी शेयर प्रत्येक रु.1000/-		100000.00		100000.00
निर्गत एवं अभिदत पूंजी				
60,60,788 (विगत वर्ष 60,60,788) इक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 1000/-				
के पूर्णतः भुगतान किए गए, जिसमें 5496				
(विगत वर्ष 5496) शेयर के मूल्य नकद में				
न प्राप्त होकर अन्य रूप में प्राप्त हुए।		60607.88		60607.88
	निबल शेष	**60607.88**		**60607.88**
वर्ष के अन्त तक शेयर धारकों के पास 5% से अधिक शेयर है,				
इनका पूर्ण ब्यौरा	**शेयरों की संख्या**	**% पास में है**	**शेयर की संख्या**	**% पास में है**
नोमिनी के साथ भारत के राष्ट्रपति (पी.ओ.आई)	6060788	100%	6060788	100%
अंकित मूल्य प्रत्येक शेयर (रु.)		1000.00		1000.00
टिप्पणी संख्या –3	**आरक्षित एवं अधिशेष**			
पूंजी आरक्षित				
प्रारंभिक अधिशेष	10136.63		10088.40	
वर्ष के दौरान योग	0.00		622.65	
	10136.63		10710.96	
वर्ष के दौरान कटौती	574.33	9562.30	580.42	10136.63
सरप्लस				
प्रारंभिक अधिशेष	(59764.87)		(104364.75)	
वर्ष के दौरान योग	(9367.03)	(69131.90)	44599.88	(59764.87)
	योग	**(59569.60)**		**(49623.24)**
टिप्पणी संख्या –4		**दीर्घकालीन उधार**		
टर्म ऋण				
भारत सरकार से गैर-योगनागत ऋण		0.00		957.86
	योग	**0.00**		**957.80**
टिप्पणी संख्या –5	**अन्य दीर्घकालीन देयताएँ**			
ठेकेदार से प्रतिभूति एवं अन्य जमा		2.20		34.59
कन्ट्रा नोट संख्या 15 के अनुसार कर्मचारियों से जमानत एवं अन्य जमा		0.05		076
अन्य देयताएँ		599.55		736.04
विविध		243.98		240.42
	योग	**845.78**		**1011.81**

तुलन पत्र ब्योरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2019		31.03.2018
टिप्पणी –6		**दीर्घकालीन व्यवस्थाएँ**		
(अ) कर्मचारियों के लाभ हेतु व्यवस्था				
उपदान हेतु व्यवस्था	5126.78		5350.64	
छुट्टी नकदीकरण के लिए व्यवस्था	2215.00		1706.04	
सेवानिवृति यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	41.07		39.80	
छुट्टी यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	37.03	7419.89	35.33	7131.81
(ब) अन्य				
विकृत परिसम्पत्तियों हेतु व्यवस्था	63.41		69.12	
वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था	393.02	456.43	616.43	685.55
	योग	**7876.31**		**7817.36**
टिप्पणी –7		**अल्पकालीन ऋण**		
प्रतिभूत ऋण				
कार्यशील पूंजी हेतु बैंक से ऋण (कच्चामाल, तैयार माल, चालू कार्य, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों एवं खाता ऋण के हाइपोथिकेशन से प्रतिभूत)		6684.47		18706.22
	योग	**6684.47**		**18706.22**
टिप्पणी संख्या –8		**व्यवसाय देय**		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदार का कुल बकाया		11401.88		11247.79
माध्यम उद्यमों का कुल बकाया		494.82		363.34
	योग	**11896.70**		**11611.13**

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2019		31.03.2018
टिप्पणी संख्या –9		**अन्य चालू देयताएँ**		
कर्मचारियों के देयताएँ		6228.55		4436.63
स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना दायित्व		1.88		1.88
भारत सरकार से ऋण*	4789.00		3831.20	
जोडे : प्राप्त ब्याज परन्तु सरकारी ऋण पर देय नहीं	3759.57	8548.57	2761.81	6593.01
सरकारी अनुदान (अनयूटीलाइज्ड)				
कर भुगतान हेतु भारत सरकार से प्राप्त किए	18243.00		18243.00	
घटाये : पूंजी लाभ कर के विरूद्ध चार्ज (13-14)	9245.61		9245.61	
घटाये : पूंजी लाभ कर के विरूद्ध चार्ज (17-18)	6200.00		6200.00	
घटाये : अग्रिम कर शेष	2246.39		2054.39	
जोडे : ब्याज आय	2129.88	2680.88	1948.97	2691.97
ठेकेदारों से प्रतिभूति एवं अन्य जमा राशि		3111.12		3217.16
अनुसूचित बैंकों के साथ ओवर ड्राफ्ट खाता		200.51		269.84
सरकारी अनुदान से प्राप्त रकम		500.00		250.00
सरकारी अनुदान से प्राप्त राशि (स्वच्छय भारत)		55.00		55.00
विद्युत बकाया		5683.08		2907.18
जल कर बकाया		3820.71		3462.71
अन्य देयताएँ		1362.87		1090.66
ग्राहकों से अग्रिम		3649.84		3220.20
विविध		6926.57		3780.94
	योग	**42769.58**		**31977.18**
भुगतान के लिए मेच्यूरेड सरकारी ऋण का भाग				
टिप्पणी संख्या –10		**अल्पकालीन व्यवस्थाएँ**		
(अ) कर्मचारियों के हित लाभ हेतु व्यवस्था				
उपदान के लिए व्यवस्था	1096.92		995.50	
छुट्टी नकदीकरण के लिए व्यवस्था	949.06		726.42	
निवृति यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	5.70		5.01	
छुट्टी यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	178.39		174.52	
कर्मचारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण की व्यवस्था	511.88	2741.95	2470.20	4371.65
(ब) अन्य				
वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था		136.73		146.67
	योग	**2878.63**		**4518.31**

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

टिप्पणी संख्या –11 सम्पति, प्लांट एवं उपस्कर

परिसम्पतियों के स्वरूप	कुल खंड				मूल्य ह्रास				निबल खंड	
	01.04.18 को लागत	योग / समंजन	कटौती / समंजन	31.03.19 को लागत	31.03.18 को	वर्ष के लिए	योग / (कटौती)	31.03.19 तक	31.03.19 को	31.03.18 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भूमि (भूमि विकास सहित)	227.37	0.00	7.55	219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	219.82	227.37
भवन	5836.00	45.15	0.00	5881.15	5223.15	48.75	0.00	5271.90	609.25	612.85
सड़कें	266.16	0.00	0.00	266.16	252.91	0.00	0.00	252.91	13.25	13.25
प्लांट एवं मशीनरी	27930.34	51.12	0.81	27980.15	22789.79	645.38	(0.44)	23434.73	4545.92	5140.55
फर्नीचर एवं उपस्कर	124.19	35.12	0.00	159.31	107.08	2.59	0.00	109.67	49.64	17.11
मोटर गाड़ी	140.98	0.00	0.00	140.98	133.95	0.00	0.00	133.95	7.03	7.03
रेलवे पथिकाएँ	469.39	0.00	0.00	469.39	432.35	3.20	0.00	435.55	33.84	37.04
कार्यालय उपस्कर	176.07	42.82	0.00	218.89	164.28	4.08	0.00	168.36	50.53	11.79
कम्प्यूटर एवं डाटा प्रोसेसिंग यूनिट	529.62	39.92	0.00	569.54	473.99	19.57	0.00	493.56	75.98	55.63
विद्युत संस्थापनाएँ एवं उपस्कर	741.13	21.00	0.00	762.13	624.09	18.59	0.00	642.68	119.45	117.04
पाइपलाइन एवं सल्यूसेस	605.43	0.12	0.00	605.55	556.15	2.16	0.00	558.31	47.24	49.28
अन्य परिसम्पत्तियाँ (अ) के लघु योग	37046.68	235.25	8.36	37273.57	30757.74	744.32	(0.44)	31501.62	5771.95	6288.94
लीज में दिए गए परिसम्पत्तियाँ										
भूमि (भूमि विकास सहित)	22.32	0.00	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22.32	22.32
भवन	807.08	0.00	0.00	807.08	531.43	0.00	0.00	531.43	275.65	275.65
अन्य परिसम्पत्तियाँ (ब) के लघु योग	829.40	0.00	0.00	829.40	531.43	0.00	0.00	531.43	297.97	297.97
सम्पूर्ण परिसम्पत्तियाँ										
31.03.2018 को प्लांट एवं मशीनरी	1149.18	0.00	0.00	1149.18	1080.07	0.00	0.00	1080.07	69.11	69.11
2018-19 के दौरान प्लांट एवं मशीनरी	0.00	0.00	113.96	(113.96)	0.00	0.00	108.26	(108.26)	(5.70)	0.00

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

परिसम्पतियों के स्वरूप	कुल खंड				मूल्य ह्रास				निबल खंड	
	01.04.18 को लागत	योग / समंजन	कटौती / समंजन	31.03.19 को लागत	31.03.18 को	वर्ष के लिए	योग / (कटौती)	31.03.19 तक	31.03.19 को	31.03.18 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सम्पूर्ण परिसम्पतियाँ (स) के लघु-योग	1149.18	0.00	113.96	1035.22	1080.07	0.00	108.26	971.81	63.41	69.11
कुल योग टेन्जीबल स्थायी परिसम्पतियाँ (अ+ब+स)	39025.26	235.25	122.32	39138.19	32369.24	744.32	108.70	33004.86	6133.33	6656.00
विगत वर्ष के आंकड़े	33940.38	374.11	241.62	39556.11	31852.97	756.46	213.97	32823.10	6656.05	

चालू अवधि मूल्यह्रास	746.61
पूर्वकालिन मूल्यह्रास	(2.29)
कुल मूल्यह्रास	744.32
सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	(5.70)

टिप्पणी :- जमीन की स्थिती **एकड़**

(क)	झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित जमीन	2035.14
(ख)	सी.आई.एस.एफ. को हस्तांतरित जमीन	158.00
(ग)	स्मार्ट सिटी के लिए झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित जमीन	656.30
(घ)	अतिक्रमण जमीन	379.91
(ङ)	लीज में दिए गए जमीन	316.19
(च)	अपने यूज के लिए जमीन	3653.97
	मूल डिड (बिलेख) के अनुसार कुल जमीन	7199.51

टिप्पणी संख्या –12 **अमूर्त परिसम्पत्तियाँ**

योग (अ-ब)	**0.00**	**0.00**

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2019	31.03.2018
टप्पणी संख्या –13		**पूंजीगत चालू कार्य**	
पूंजीगत चालू कार्य			
प्लांट एवं मशीनरी		2467.31	1704.85
घटाये : व्यवस्था		782.45	782.45
	योग-	**1684.86**	**922.40**
टिप्पणी संख्या –14		**गैर–चालू निवेश**	
इक्विटी उपकरण में निवेश			
(व्यापार निवेशों के अलावा) अनुदघृत 3575 (विगत वर्ष 3575) ई.पी.आई.लि. के इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य रु. 10.00 प्रति शेयर है।		0.36	0.36
	योग-	**0.36**	**0.36**

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि. के इक्विटी शेयरों का अभिदत्त अंकित मूल्य इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि. के आदेश संख्या डी.एल.आई/एस.ई.सी/ए.जी.एम/003/40 दिनांक 22.03.2011 के अनुमोदन से रु. 38.95 से घटकर रु. 10.00 प्रति शेयर किया गया है।

टिप्पणी संख्या –15 — **दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम**

(अ) ऋण एवं अग्रिम						
अग्रिम ऋण तथा अग्रिम अन्य राशियाँ जो नकद वस्तु या प्राप्य मूल्य में वसुलने योग्य है (ठेकेदारों वाहय पार्टियों को आपूर्तित तथा/समंजन निलंबिन सामग्रियों के मूल्य सहित)	कुल रकम	व्यवस्था	निबल राशि	कुल रकम	व्यवस्था	निबल राशि
संदेहात्मक	659.14	659.14	0.00	526.90	526.90	0.00
(ब) प्रतिभूति जमा						
निजी पार्टियों के पास जमा	0.90	0.20	0.70	0.90	0.20	0.70
सरकारी अधिकारियों के पास जमा	197.71	187.85	9.86	197.12	187.26	9.86
कर्मचारियों (कन्ट्रा के टिप्पणी संख्या -5)	0.05	0.00	0.05	0.76	0.00	0.76
(स) अन्य						
कर्मचारियाँ का अग्रिम	24.26	24.26	0.00	16.03	16.03	0.00
प्राप्य दावें	180.54	176.84	3.70	180.18	176.48	3.70
स्त्रोत पर काटे गये आयकर	7.40	7.40	0.00	7.40	7.40	0.00
योग-	**1070.00**	**1055.69**	**1055.69**	**929.29**	**914.27**	**15.02**

दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम का विवरण		
प्रतिभूत प्राप्य समझे गये	0.20	0.91
अप्रतिभूत प्राप्य समझे गये	14.11	14.11
संदेहात्मक	1055.69	914.27
योग	**1070.00**	**929.29**
देयराशि		
निदेशक	0.00	0.00
अधिकारी	0.00	0.00

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2019		31.03.2018
टिप्पणी संख्या –16		**अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ**		
दीर्घकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य				
(अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग				
अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये	15220.22		19885.48	
संदेहात्मक	12765.91		9966.32	
योग (अ)	**27986.13**		**29851.80**	
(ब) अन्य				
अप्रतिभूत प्राप्य समझे गये	153.82		27.13	
संदेहात्मक	623.75		608.60	
योग (ब)	**777.57**		**635.73**	
लघु योग (अ+ब)	**23763.70**		**30487.53**	
घटायेः संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था	11088.60		7220.55	
एल.डी.कटौती एवं चार्ज के विरुद्ध व्यवस्था	2301.06	15374.04	3354.37	19912.61
किराया प्राप्य योग्य				
(अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग				
अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये	0.00		0.00	
संदेहात्मक	0.00		0.00	
योग (अ)	0.00		0.00	
(ब) अन्य				
अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये	0.00		0.00	
संदेहात्मक	0.00		0.00	
योग (ब)	**0.00**		**0.00**	
लघु योग (अ+ब)	**0.00**		**0.00**	
घटाये : सेदेहात्मक रियलाइजेशन के लिए व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग		**15374.04**		**19912.61**

1. दीर्घकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य में आपूर्ति की गई उपकरण और स्पेयर्स मद में 13983.89 लाख रुपया (विगत वर्ष 15829.49 लाख रु.) भी शामिल है जो देय नहीं है जिनकी वसूली कुछ संविदात्मक वाध्यता के अनुपालन पर निर्भर है।

तुलन पत्र ब्योरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2019		31.03.2018
टिप्पणी संख्या –17		**वस्तुसूची**		
(प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित)				
कच्चे माल तथा अवयव	6150.75		5528.16	
घटायेः व्यवस्था/स्टॉक समंजन	2915.31	3235.44	2468.27	3059.89
भंडार, अतिरिक्त पुर्जे एवं अवयव निर्माण सामग्रियों सहित	1021.71		940.84	
घटायेः व्यवस्था/स्टॉक समंजन	248.90	772.81	250.94	689.90
मार्गस्थ माल/ निरीक्षणाधीन	625.59		576.82	
घटायेः व्यवस्था	271.97	353.62	213.46	363.36
अलग्न औजार, (लूज टूल्स) रेखांकन यंत्र इत्यादि	1083.75		917.57	
घटायेः व्यवस्था	70.39	1013.36	70.03	847.54
निर्मित उत्पाद स्टॉक	389.62		2347.85	
घटायेः व्यवस्था	25.50	364.12	25.50	2322.35
प्रगतिशील कार्य	2914.50		3125.08	
घटायेः व्यवस्था	96.86	2817.64	91.17	3033.91
प्रगतिशील कार्य (टर्नकी प्रोजेक्ट)	0.00		193.94	
घटायेः व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	193.94
हटाया गया परिसम्पत्तियाँ	3.48		3.48	
घटायेः व्यवस्था	3.48	0.00	3.48	0.00
कुल वस्तु	12189.40		13633.74	
घटायेः व्यवस्था/स्टॉक समंजन	3632.41		3122.85	
	योग-	**8556.99**		**10510.89**

टिप्पणी :- 1. समापन भंडार में निर्मित एवं प्रगतिशील कार्य के लिए 115.68 लाख रुपये (विगत वर्ष 90.95 लाख रु.) मूल्य के बन्द, निरस्त पुराने कार्यदेशों की वे वस्तुएँ जिनका मूल्यांकन स्क्रैप दर पर किया गया है, शामिल है।

2. अचल कच्चा माल, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे जो तीन वर्ष के अधिक के है, का मूल्य 3415.24 लाख रुपये (विगत वर्ष 2900.66 लाख रु.) है एवं इसके लिए वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त पाया गया।

3. मार्गस्थ सामग्री में सी.भी. ड्यूटी 1.30 लाख रुपये शामिल हैं (विगत वर्ष 5.34 लाख रु.)।

4. शॉपफ्लोर में 459.65 लाख रु. का स्क्रैप सहित कच्चामाल एवं अवयव (विगत वर्ष 205.23 लाख रु.) शामिल है।

5. डिपो पर पड़े हुए एफ जी में शामिल है 9.76 लाख एवं (विगत वर्ष 9.76 लाख रु.)

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	31.03.2019			31.03.2018		
टिप्पणी संख्या –18	**व्यवसाय प्राप्य योग्य**					
अल्पकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य						
(अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग	छः महीने से ऊपर	अन्य ऋण	योग	छः महीने से ऊपर	अन्य ऋण	योग
अप्रतिभूत प्राप्यःसमझे गये	7208.65	16344.05	23552.70	17793.02	8100.89	25893.91
संदेहात्मक समझे गये	7048.76	139.79	7188.55	593.35	1704.94	2298.29
लघु योग (अ)	**14257.41**	**16483.84**	**30714.25**	**18386.37**	**9805.83**	**28192.20**
(ब) अन्य						
अप्रतिभूत प्राप्यः समझे गये	0.00	0.00	0.00	121.74	4.18	125.92
संदेहात्मक समझे गये	0.00	0.00	0.00	0.50	2.32	2.82
लघु योग (ब)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122.24**	**6.50**	**128.74**
योग (अ+ब)			**30741.25**			**28320.94**
घटाये : संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था			3081.74			572.78
घटाये : एल डी कटौती एवं चार्ज के विरुद्ध व्यवस्था			4190.52			1728.33
निबल योग			**23468.99**			**26019.83**

टिप्पणी :- 1. अल्पकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य में आपूर्ति की गई उपकरण एवं स्पेयर्स मद में 95.72 लाख (विगत वर्ष ₹ 1924.57 लाख) भी शामिल है जो देय नहीं है। जिनकी वसूली कुछ संविदात्मक बाध्यता के अनुपालन पर निर्भर है।

टिप्पणी संख्या –19	**नकद एवं नकद समकक्ष**			
(अ) अनुसूचित बैंक चालू खाता में शेष	2955.86		1783.54	
(ब) अपने पास रखे हुए नकद	1.90	2957.76	2.57	1786.11
(स) अन्य				
बैंकों के साथ चिहिंत शेष				
अनुसूचित बैंक के साथ अल्पकालीन जमा •	3323.92		2516.84	
अन्य बैंक के साथ अल्पकालीन जमा ••	221.36	3545.28	208.35	2725.19
योग-		**6503.04**		**4511.30**

• पूंजीलाभ कर 2680.88 रू. भुगतान के लिए अनुउपयोग सरकारी अनुदान सम्मलित है।

•• तीन महिने से अधिक का भूल मेच्युरिटी के साथ कोर्ट आर्डर के अनुसार अल्पकाल जमा।

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	31.03.2019	31.03.2018
टिप्पणी संख्या –20	**अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम**	
(अ) ऋण एवं अग्रिम		
अप्रतिभूति प्राप्य समझे गये	988.44	684.81
(ब) प्रतिभूति जमा		
निजी पार्टियों के पास जमा	5.64	3.40
सरकारी अधिकारियों के पास जमा	1757.41	1259.39
(स) अन्य		
कर्मचारियों का अग्रिम	44.25	38.44
पूर्वदत्त व्यय	60.10	95.29
प्राप्य दावे	1905.46	456.71
स्रोत पर काटे गये आयकर #	865.41	1025.81
लधु योग	**5626.71**	**3563.85**
घटायेः अप्राप्य एवं संदेहात्मक अग्रिम के लिए व्यवस्था	53.05	52.54
योग-	**5573.66**	**3511.31**
अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम का विवरण		
प्रतिभूत प्राप्य समझे गये	2822.17	1552.71
अप्रतिभूत प्राप्य समझे गये	2751.49	1958.60
संदेहात्मक	53.05	52.54
योग	5626.71	3563.85
देय राशि		
निदेशक	0.00	0.00
अधिकारी	0.00	0.00

टिप्पणी संख्या –21		**अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ**		
किराया एवं अन्य प्राप्य				
(अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग		4236.00		12971.40
अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये (झारखण्ड सरकार)				
अप्रतिभूत प्राप्य समझे गये	2962.45		2645.91	
संदेहात्मक	464.33	3426.78	307.86	2953.77
(ब) किराया				
अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये	627.68		569.41	
संदेहात्मक	197.72	825.60	167.14	736.55
(ब) प्राप्त ब्याज परन्तु देय नहीं		0.55		1.59
योग-(अ+ब+स)		**8488.93**		**16663.31**
घटाये : संदेहात्मक प्राप्य योग्य हेतु प्रावधान		662.25		475.00
निबल रकम		**7826.68**		**16188.31**

लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		2018-19		2017-18	
टिप्पणी संख्या -22			**प्रचालन से राजस्व**		
बिक्री एवं सेवाएं					
उत्पादों की बिक्री		35049.89		39602.38	
सेवाओं की बिक्री		571.23		602.27	
	लघु योग	**35621.12**		**40204.65**	
घटायेः उत्पाद कर		0.00	35621.12	302.21	39902.44
अन्य प्रचालन राजस्व					
आंतरिक उपयोग के लिए जॉब		763.13		440.67	
जोड़ेः अन्तर प्लांट हस्तान्तरण		0.00	763.13	0.00	440.67
	योग		**36384.25**		**40343.11**
टिप्पणी संख्या -23			**अन्य आय**		
ब्याज			68.23		27.23
किराया			1634.67		1502.14
स्टोर्स की बिक्री			63.37		29.74
विविध आय			927.29		494.38
एच टी आई से आय			30.28		25.73
परिसम्पत्तियों के बिक्री पर लाभ			102.10		305.76
अधिक प्रावधान प्रतिलेखित			513.57		841.55
जल एवं बिजली चार्ज			261.05		305.04
	योग-		**3600.56**		**3531.57**
टिप्पणी संख्या -24			**सामग्री खपत लागत**		
कच्चा माल एवं अवयवों की खपत		12973.12		12183.84	
घटायेः अंतर प्लांट हस्तान्तरण		3483.55	9489.57	3375.58	8808.26
स्टोर्स एवं स्पेयर्स की खपत		8390.03		6929.80	
घटायेः अंतर प्लांट हस्तान्तरण		114.10	8275.93	928.14	6001.66
	लघु योग		**17765.50**		**14809.92**

लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	2018-19		2017-18	
टिप्पणी संख्या - 25		चालू कार्य एवं निर्मित माल के वस्तुसूची में परिवर्तन		
चालू कार्य एवं निर्मित माल के मूल्य में ह्रास/(अभिवृद्धि)				
चालूकार्य				
प्रारंभिक स्टॉक	3319.02		3052.72	
समापन स्टॉक	2914.50	404.52	3319.02	(266.30)
तैयार स्टॉक				
प्रारंभिक स्टॉक	2347.85		3619.68	
समापन स्टॉक	389.62	1958.23	2347.85	1271.83
योग		**2362.75**		**1005.53**
टिप्पणी संख्या -26		कर्मचारी हितलाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी एवं बोनस		10189.89		8561.67
भविष्य निधि के मद में निगम अंशदान और कर्मचारी पेंशन फंड		1001.15		939.82
कामगार एवं कर्मचारी कल्याण व्यय		569.15		560.77
छुट्टी नकदीकरण		767.66		550.92
ग्रेच्यूटी (उपदान)		884.98		2052.90
लघु योग-		**13413.58**		**12666.08**
घटायेः अनुसंधान एवं विकास व्यय का अंतरण		92.12		93.52
योग-		**13321.46**		**12572.56**
टिप्पणी संख्या -27		वित्तीय लागत		
बैंक उधार पर ब्याज		1454.96		1358.79
सरकारी ऋण पर ब्याज		997.76		921.10
अन्य ऋण पर ब्याज		319.73		389.77
योग-		**2772.45**		**2669.66**

लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		2018-19		2017-18
टिप्पणी संख्या –28		मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय		
टिप्पणी सं. 11 के अनुसार मूल्य ह्रास डिपलेशन व्यय		746.61		756.46
टिप्पणी सं. 11 के अनुसार हानिकरण		(5.70)		(13.16)
योग-		**740.91**		**743.30**
टिप्पणी संख्या –29	अनुसंधान और विकास व्यय			
अनुसंधान और विकास व्यय				
वेतन एवं भत्ते		92.12		93.52
योग-		**92.12**		**93.52**
टिप्पणी संख्या –30		अन्य व्यय		
(अ) निर्माण सेवा लागत				
जल, ऊर्जा और इंधन		3610.79		2726.65
मरम्मती एवं अनुरक्षण				
प्लांट एवं मशीनरी	285.31		265.94	
बिल्डिंग	82.54		30.10	
अन्य	142.84	510.69	251.09	547.13
बीमा		154.80		168.30
उत्पाद कर		0.00		(490.51)
लघु योग (अ)		**4276.28**		**2951.57**
(ब) निर्माण एवं अन्य प्रचालन व्यय				
मशिनिंग एवं एसेम्बली चार्ज	761.59		1198.52	
अलग्न औजार चार्जड ऑफ	670.75		751.61	
वाह्य एजेंसी द्वारा निर्मित जॉब	4230.45		4459.43	
टर्न की प्रोजेक्ट व्यय	3747.99		3529.02	
उत्पादन के लिए अन्य प्रभार	1337.01	10747.79	892.52	10831.10
घटायेः अंतर प्लांट अंतरण (सेवाएं)		718.04		1279.46
लघु योग- (ब)		**10029.75**		**9551.64**
(स) प्रशासनिक बिक्री एवं वितरण व्यय				
किराया		31.86		24.58
बिजली एवं पेय जल व्यय		827.92		712.35
सुरक्षा व्यय		1885.35		2135.56
यात्रा एवं सवारी भत्ता		253.83		285.84
बैंक प्रभार		186.75		170.51
टेलीफोन एवं डाक व्यय		40.32		35.23
प्रिंटींग एवं स्टेशनरी व्यय		42.07		28.22
किताबें एवं आवधिक		3.77		3.78
विविध व्यय		781.48		506.31
सीईएफसी व्यय		498.00		128.14
मोटर वाहन चालन व्यय		244.25		213.53
परामर्शी एवं वैधिक व्यय		216.40		226.39
नगरपालिका कर/प्रभार		8.00		8.00

लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		2018-19		2017-18
एल.डी कटौती एवं चार्जड		1416.63		1892.80
बिक्री उन्नयन		246.90		340.56
अंकेक्षक पारिश्रमिक				
अंकेक्षक शुल्क	2.25		2.25	
कर अंकेक्षण शुल्क	0.38		0.38	
रिर्म्बसमेन्ट व्यय	0.40	3.03	0.40	3.03
प्रशिक्षण व्यय		3.84		11.39
लघु योग (स)		**6690.40**		**6726.22**
(द) अन्य प्रावधान/व्यय बट्टे में डालना				
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	6619.55		1881.18	
अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	123.66		67.93	
स्टॉक सत्यापन के अन्तर हेतु प्रावधान	0.00		10.34	
वारंटी व्यय के लिए प्रावधान	178.11		204.86	
विदेशी मुद्रा अंतर हेतु प्रावधान	27.09		2.88	
विविध प्रावधान	477.79		330.99	
विविध हानियां बट्टे में डालना	0.00	7428.20	20.62	2518.80
लघु योग - (द)		**7428.20**		**2518.80**
कुल योग (अ+ब+स+द)		**28424.63**		**21748.23**

टिप्पणी संख्या –31 — **पूर्व अवधि समंजन**

आय

अंतर प्लांट हस्तान्तरण	(66.48)		(23.53)	
विविध आय	0.00	(66.48)	(56.39)	(79.92)

घटायेः व्यय

कच्चा माल की खपत	50.44		1334.13	
कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	5.38		7.79	
टाउनशीप लोड	7.11		0.00	
मूल्य ह्रास	(2.29)		0.00	
विविध व्यय (शुद्ध)	1.95	62.59	3.76	1345.68
पूर्व अवधि समंजन (निवल)		(129.07)		(1425.60)

टप्पणी संख्या –32 — **असाधारण आईटम**

आय

भारत सरकार से अनुदान (पूंजी लाभकर के विरूद्ध)	0.00		6200.00	
जमीन हस्तांतरण के विरूद्ध विक्री विचाराधीन	16257.05	16257.05	55902.44	62102.44
झारखण्ड सरकार को जमीन हस्तांतरण का लागत		7.55		25.96
निबल		**16257.05**		**62102.44**

टिप्पणी संख्या 33 – ''वित्तीय विवरण के लिए अन्य टिप्पणियां''

33.1 आकस्मिक देयताएँ और प्रतिवद्धता (प्रदान नहीं की गई) रू. लाख में

₹ लाख में

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
1	ठेका की अनुमानित राशि, शेष को पूँजी खाते में डाला जाएगा और इनके लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।	14330.44	7149.11
2	क्रेडिट की असमाप्त पत्र	392.36	1469.82
3	असमाप्त बैंक गारंटी	17453.26	15804.69
4	होल्डींग कर	615.00	0.00
5	जल बकाया	1094.42	1094.42
6	पी. एफ बकाया राशि के प्रति हर्जाना। ई.पी.एफ. बकाया का भुगतान में चुक होने से रिजनल भविष्यनिधि आयुक्त, राँची का भुगतान हेतु नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। एच. ई. सी लि. अध्यक्ष केन्द्रीय निदेशक बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को 03/76 से 09/99 तक के बीच की अवधि में 9501.54 लाख रु0 की क्षति को माफ करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसे रिजनल भविष्य निधि आयुक्त, राँची द्वारा दिनांक 12.11.2010 को अस्वीकृत किया गया। कम्पनी ने फिर से नागरिक विविध पेटीशन (सी एम पी) में पेटीशन सी. पी 05/2004 दायर की, इसमें पहले झारखण्ड की माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व की आदेश के खिलाफ आगे के आदेश तक, नुकसान की वसूली पर रोक लगा दी। (ब) उपर्युक्त रकम, अक्टूबर 99 से मार्च 2005 तक सी.पी.एफ	9501.54	9501.54
7	**कानूनी केस :-** एच. ई. सी. के विरुद्ध दावा दायर की परन्तु ऋण का पावती नहीं	3691.64	3243.05

केस	रकम
(अ) आरवीटेशन	1034.10
रांची गौशाला से संबंधित 157.42 एकड़ भूमि का अधिग्रहण तत्कालीन सरकार ने एचईसी और उसके सहायक और संबद्ध उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 3500 रुपये प्रति एकड़ की दर से वर्ष पचास के दशक में किया था। मुआवजे का भुगतान और कब्जे को एचसी को सौंप दिया गया था। बाद में 1971 में LA केस नंबर 22/1971 रांची गौशाला द्वारा मुआवजे में वृद्धि के लिए दायर किया गया था, जिसे निर्णय दिनांक 12.01.1998 और अवार्ड दिनांक 19. 01.1998 के फैसले से बढ़ाया गया था। एलडी अदालत ने प्रति एकड़/20000 रुपये के मुआवजे को बढ़ाने के अलावा एक साल के लिए/ 30% और ब्याज/9% (17.10.1958 से 16.10.1959 के लिए) और 15% प्रति वर्ष राशि 17.10.1959 से राशि प्राप्ति तक का अवार्ड (पुरस्कार) प्रकाशित किया। इस प्रकार पहले से भुगतान किए गए 4.68 लाख के मुआवजे के समायोजन के बाद, रांची गौशाला को मुआवजे की राशि रु. 247.22 लाख 31.12.1997 को प्रारम्भिक और ब्याज का समावेश में आ गई। पुरस्कार से दुखी होकर, मेसर्स एचईसी लिमिटेड ने माननीय उच्च न्यायालय में एफए नंबर 43ध्98 से विचार निवारक के लिये एक अपील दायर की और रांची गौशाला ने सिविल कोर्ट, रांची में पुरस्कार के कार्यान्वयन के लिए केस संख्या 15/1998 दायर किया है।	591.22
(ब) एम एस एम इ डी	535.71
(स) अन्य कानूनी केस	1530.61

<table>
<tr>
<td>8</td>
<td>
वाणिज्य कर (वैट)
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>विवरण</th><th>रकम</th></tr>
<tr><td>2008-09</td><td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td><td>10.78</td></tr>
<tr><td>2009-10</td><td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td><td>19.63</td></tr>
<tr><td>2010-11</td><td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td><td>92.41</td></tr>
<tr><td>2011-12</td><td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td><td>80.13</td></tr>
<tr><td>2012-13</td><td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td><td>25.8</td></tr>
<tr><td>2013-14</td><td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td><td>7.03</td></tr>
<tr><td>2014-15</td><td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td><td>10.71</td></tr>
</table>
वाणिज्य कर (सी एस टी)
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>विवरण</th><th>रकम</th></tr>
<tr><td>2008-09</td><td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td><td>10.35</td></tr>
<tr><td>2009-10</td><td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td><td>57.76</td></tr>
<tr><td>2010-11</td><td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td><td>137.18</td></tr>
<tr><td>2011-12</td><td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td><td>849.06</td></tr>
<tr><td>2012-13</td><td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td><td>759.62</td></tr>
<tr><td>2013-14</td><td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td><td>298.77</td></tr>
<tr><td>2014-15</td><td>मूल्यांकन आदेश के अनुसार मांग। आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td><td>80.20</td></tr>
</table>
</td>
<td>2439.43</td>
<td>1472.10</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>
सेवा कर
<table>
<tr><td>1</td><td>अक्टूबर 2006 से मार्च 2007 के अवधि का एन. सी. एल. निगाही (प्रोजेक्ट विभाग) के लिए सेवा कर की मांग। आदेश संख्या 43/एस टी/कॉम/2013 दिनांक 28.03.2013)/सी ई एए टी ए टी, कोलकाता के पास अपील लम्बित है।</td><td>617.96</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अक्टूबर 2007 से मार्च 2010 के अवधि का एन. सी. एल. निगाही (प्रोजेक्ट विभाग) के लिए सेवा कर की मांग। आदेश संख्या 59/एस टी/कॉम/2016 दिनांक 13.04.2016)/सी ई एस टी ए टी, कोलकाता के पास अपील लम्बित है।</td><td>816.05</td></tr>
<tr><td>3</td><td>शॉवल पूर्ति के लिए कन्ट्रेक्ट सेवा के कुछ अंश में सेवा कर की मांग। (आदेश संख्या वी (65) 34/एच ई सी, एडजन/रान 1/2015/8304 दिनांक 23.09.2015). आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।</td><td>221.05</td></tr>
<tr><td>4</td><td>जुलाई 12 से 17 जून के अवधि के प्राप्त एल डी रसीद जो समानों की आपूर्ति के विरूद्ध बेन्डर ठिकेदारों के लिए सेवा कर की मांग। (आदेश संख्या 05/एसटी/एड.क./रान/2019 दिनांक 8.3.2019। आयुक्त, राँची के पास अपील लम्बित है।</td><td>106.03</td></tr>
</table>
</td>
<td>1761.09</td>
<td>1655.06</td>
</tr>
</table>

10			उत्पाद शुल्क		
		1	सीनवेट क्रेडिट के गैर रिवर्सल के लिए उत्पाद शुल्क की मांग जिसे हमलोगों ने उपयोग किया/लाभ और पूँजी हेतु वित्तीय विवरण में कुछ प्रावधान किया है। सी ई एस टी ए टी कोलकाता में अपील लम्बित है।	1180.18	1180.18	1185.02
	योग				52459.70	42574.81

33.2 पुनरुत्थान पैकेज

(i) कम्पनी का खाता "गोइंग-कंसर्न" के आधार पर खोला गया था। बहुत बड़े नकारात्मक निवल मूल्य (नेगेटिव नेट वर्थ) के साथ युग्मित घाटे के लम्बे समय तक रहने के कारण कम्पनी को बीमार घोषित किया गया और उसे 24-02-1992 को बी आई एफ आर को भेजा गया। 26-08-1996 को बी आई एफ आर ने एक पुनर्वास पैकेज की मंजूरी दी जिसे भारत सरकार द्वारा 07-02-1997 को अनुमोदित किया गया। इसके बाद 06-07-2004 को बी आई एफ आर ने योजना विफल होने की घोषणा की और कंपनी को पूरी तरह से समटने या बंद करने का आदेश दिया।

(ii) उक्त समापन आदेश के खिलाफ कंपनी ने 18-08-2004 को झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समापन आदेश खारिज करने/रोक लगाने के लिये एक रिट याचिका संख्या 4513/04 दायर किया। झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने भारत सरकार, झारखण्ड सरकार एवं एच.ई.सी. को, एच.ई.सी. के पुनरुद्धार के लिये एक प्रस्ताव न्यायालय के सामने जमा करने का मौका दिया। इसके बाद दिनांक 9-9-2004 से 13-11-2009 के बीच कई सुनवाईयाँ हुईं और अंततः झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 13-11-2009 को भारत सरकार, झारखण्ड सरकार, एच. ई. सी. एवं उससे संबंधित पार्टियों को निर्देश दिया कि जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित किया गया था उसे अमल में लाया जाय और वाइंडिंग-अप को 2004 के सी. पी. संख्या 5 के साथ डबल्यू पी संख्या 4513 को बंद किया जाए, और आशा एवं उम्मीद जताई कि भविष्य में पिछली घटनाओं को दुहराया न जाए और एच.ई.सी., जो राष्ट्र का गौरव है, और सारी कंपनियों की मदर कंपनी है वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करें।

झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निम्नलिखित पुनरुत्थान पैकेज भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। इस तरह के प्रस्तावों का विवरण एवं उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार हैं :

(A) भारतीय सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुत्थान पैकेज की स्थिति :–
(7–10–2005 को बी. आर. पी. एस. ई. द्वारा अनुशंसित एवं 15–12–2005 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित)

भारतीय सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता	कार्यान्वयन की स्थिति
अ) 31.03.2005 को 1527.49 लाख रु. के योजना ऋण का इक्विटी में रूपांतरण	मार्च 2006 में कार्यान्वित
ब) 31-03-2005 तक गैर-योजना ऋण पर छूट और योजना एवं गैर-योजना ऋण पर ब्याज 110101.96 लाख रु.	मार्च 2006 में कार्यान्वित
स) 10200.00 लाख रुपये के गैर-योजना ऋण को 9203 लाख रुपये के बिना योजना ऋण के रूप में देना, 498.50 लाख रु. के योजना ऋण को, जो कंपनी द्वारा दोबारा तीन वर्षों में चुकता किया जाएगा और साथ ही साथ 498.50 लाख रु. इक्विटी के रूप में भी। (क्र.सं0 अ,ब,स 13.07.2006 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा अनुमोदित।)	मार्च 2006 में कार्यान्वित

द)	राज्य सरकार को पूर्व में ही किराए पर दिए गए आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों को झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण, कंपनी के ठेकेदारों तथा पूर्व कर्मचारियों के साथ लंबी अवधि पर आवासों के निपटान के लिए पट्टा (लीज), वाणिज्यिक एवं संस्थागत क्षेत्रों का निपटान तथा स्कूलों और अस्पतालों के निजीकरण के माध्यम से संसाधन जुटाना (लगभग 33000.00 लाख रु.)	आवासीय क्वार्टर के दीर्घकालीन पट्टे से कंपनी ने 8543.82 लाख रुपये अर्जित किए।

ब. भारत सरकार द्वारा सितंबर 2008 में अनुमोदित पुनरुत्थान योजना :

अ)	योजना ऋण (582.50 लाख) और गैर योजना ऋण (10221.00 लाख) का इक्विटी में रूपांतरण	मार्च 2009 में कार्यान्वित
ब)	2005-06 और 2006-07 में 4480.54 लाख बकाया ब्याज प्राप्त किया जिसे दिनांक 18.09.2008 तक इक्विटी में हस्तांतरण किया।	मार्च 2009 में कार्यान्वित
स)	कार्यशील पूंजी की मांग को पूरा करने के लिए सरकारी गारंटी को 15000.00 लाख से 25300.00 लाख बढ़ाना	मार्च 2009 में कार्यान्वित
द)	सीआईएसएफ को कंपनी की भूमि के अनुरूप राशि का हस्तांतरण करके सीआईएसएफ के 7906.00 लाख रु. की देनदारी का निपटारा	7906.00 लाख रुपये की बकाया राशि के परिसमापन के लिए मार्च 2009 में 158 एकड़ भूमि सीआईएसएफ को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सितम्बर 2008 में भारत सरकार द्वारा सीआईएसएफ पर बकाया राशि 3790.62 लाख रु. पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज की माफी और 31-7-2008 के बाद ब्याज और दंडात्मक ब्याज पर निर्णय को अनुमोदित और कार्यान्वित किया गया था।

स. पुनरुद्धार पैकेज की स्थिति : डीएचआई, भारत सरकार, झारखण्ड सरकार और एच.ई.सी. लिमिटेड के बीच सहमति व्यक्त की।

अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज — करोड़ रू. में

	सीसीईए	झारखंड सरकार की ओर से दायर हलफनामे और झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय की मंजूरी के अनुसार।	माफ/ समायोजित/प्राप्त की जाने योग्य राशि	माफ/ समायोजित/ प्राप्त की गई राशि	माफ/समायोजित/ प्राप्त की जाने योग्य शेष राशि
1	बिजली बकाया माफी विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं। परंतु 5,00,000.00 लाख की बिजली बकाया राशि की माफी का प्रस्ताव झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत।	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के पश्चात, 30637.42 लाख रु. की बिजली बकाया राशि की माफी और विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) का जेएसईबी द्वारा अंतिम निष्पादन।	96984.68 लाख रु. कुल राशि की माफी/ समायोजन किया जाना है।	85342.46 लाख (31.08.2008 तक 30637.42 लाख का बिजली बकाया और 54705.04 लाख का डीपीएस की माफी)	01.09.2008 से 31.03. 2010 तक डीपीएस के विरुद्ध 11642.22 लाख रु. माफ किया जाना है।

2	3103.00 लाख का पीएचईडी बकाया माफ	31.03.2007 तक पी एच ई डी बकाया 3264.80 लाख की माफी।	3264.80 लाख (माफ)	3264.80 लाख (माफी)	कुछ नहीं
3	2551.00 लाख रुपये की बिक्री कर बकाया राशि की माफी	झारखण्ड सरकार ने सहमति व्यक्त की है कि एचईसी द्वारा 2551.00 लाख रुपये भुगतान को 31.03.2007 तक सभी वाणिज्यिक कर देयता का पूर्ण और अंतिम निपटान माना जाएगा, जिसमें विलंबित भुगतान के लिए दंड/दंडात्मक ब्याज आदि भी शामिल है, जो सीटी दायित्व के आकलन से संबंधित है। इसके अलग दायित्व और बाद में पाये गये किसी भी दायित्व को प्रासंगिक कानून/दिशानिर्देशों के अनुसार माना जाएगा।	1) झारखण्ड सरकार द्वारा 2551.00 लाख का भुगतान किया जाना है। 2) कंपनी को झारखण्ड सरकार के पास 2551.00 लाख़ रुपये जमा करना है। 3) 31.03.2007 तक सभी वाणिज्यिक कर देयता पर माफी का आदेश झारखण्ड सरकार द्वारा जारी किया जाना है।	1) 25.51 करोड़ 2) वाणिज्यिक कर के एवज में एचईसी द्वारा 2551.00 लाख रुपये जमा किए गए। 3) आदेश जारी नहीं किया गया	1) कुछ नहीं 2) कुछ नहीं 3) झारखण्ड सरकार द्वारा 31.03.07 तक सभी बकाया राशि पर माफी के लिए आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।
4	भविष्य में किसी प्रकार की भूमि या भवन के हस्तांतरण की प्रतिबद्धता के बिना एचईसी को झारखण्ड सरकार से 25000.00 लाख रुपये प्राप्त करने के लिए अधिकृत करना	27551.00 लाख रुपये का अनुदान जिसमें ऊपर क्र. सं. 3 में उल्लेखित 2551.00 लाख रुपये शामिल है।	27551.00 लाख़ रुपये	20021.00 लाख	7530.00 लाख रूपये
5	एचईसी को 2342 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के लिए झारखण्ड सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुमति देना। इसमें इमारत के लिए संबंधित भूमि की 85 एकड़ जमीन भी शामिल है।	एचईसी को झारखण्ड सरकार को 2342 एकड़ भूमि सौंपना है।	झारखण्ड सरकार को 2035.14 एकड़ भूमि पर अधिकार दे दिया गया है जिसमें लिए हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया गया। शेष 306.86 एकड़ भूमि को अतिक्रमण हटाने के बाद सौंप दिया जाएगा।		
6	एचईसी को 17 इमारतों और 1155 आवासीय क्वार्टर के साथ-साथ 14223.00 लाख मूल्य की सटी हुई जमीन को झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अनुमति देना।	एचईसी को 17 गैर आवासीय इमारत तथा 1148 आवासीय क्वार्टर झारखण्ड सरकार को सौंपना है।	17 गैर आवासीय भवनों, 1148 आवासीय भवनों तथा संबंधित भूमि के 85.11 एकड़ पर पहले से ही झारखण्ड सरकार को 31.03.2009 तक के लिए किराए पर देने के लिए अधिकृत किया जा चुका है और इसे झारखण्ड सरकार को सौंप दिया गया। भवनों का पंजीकरण अभी किया जाना बाकी है।		

33.3) दिनांक 12.04.2017 को भारत सरकार द्वारा निगम की 675.43 एकड़ जमीन को 74298.00 लाख रू. में झारखण्ड सरकार को हस्तान्तरण हेतु अनुमोदन दिया गया। दिनांक 23.05.2018 को हस्तांतरण विलेख अनुसार 675.43 एकड़ जमीन में 508.44 एकड़ जमीन को 55928.40 लाख रू. में झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण किया गया और दिनांक 31.03.2018 तक 55928.40 लाख रू. और हस्तांतरण विलेख के अनुसार दिनांक 17.01.2019 को 16264.60 लाख रूपया में 143.46 एकड़ जमीन झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण किया गया। कुल 72193.00 लाख रूपया में अबतक मात्र 67957.00 लाख रूपया प्राप्त किया एवं बकाया राशि 4236.00 लाख रूपया टिप्पणी संख्या 21 में झारखण्ड सरकार से प्राप्य योग्य हेतु दर्शाया गया है।

भारत सरकार ने झारखण्ड सरकार को एच0 ई0 सी0 भूमि के हस्तान्तरण के कारण पूँजीगत लाभ कर देयता को पूरा करने के लिए स्वीकृत अनुदान के उपयोग करने की अनुमति भी प्रदान कर दी है।

33.4) वर्ष के दौरान, 5 क्युबिक मीटर हाईड्रोलिक एक्सवेटर - एच.ई.एक्स-400 के विकास हेतु प्रोजेक्ट में डी.एच. आई. का अनुदान राशि 500.00 लाख रू. विगत वर्ष 250.00 लाख एस.ई.सी. द्वारा प्राप्त किया और दिनांक 31.03.2019 तक 513.43 लाख रू. का उपयोग किया गया। उपयोग राशि डब्लू आई पी एवं अनुदान को चालु दायित्व में नोट संख्या 09 पर दर्शाया गया है।

33.5) वर्ष 2017-18 में डी.एच.आई. ने स्वच्छ अभियान हेतु 55.00 लाख रू. का अनुदान को एच.ई.सी. ने प्राप्त किया और दिनांक 31.3.2019 को प्राप्य राशि 61.74 लाख को वित्तीय वर्ष 2018-19 में सी डब्ल्यू आई पी में रखा गया है जिसे कमीशनिंग के बाद समंजन किया जायेगा। जो चालू दायित्व के नोट संख्या 09 में दर्शाया गया है।

33.6) डी.एन.आई. एवं एचईसी के बीच कॉम्य इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र के लिए एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया गया है। जिसमें प्रशिक्षण, स्कील विकास, कन्सल्टेशन एवं विकास और वितरण, आविष्कार, प्रौद्योगिकों की विपणन हेतु व्यवस्था की गई है। इसमें मेल्टिंग, स्टील मेकिंग, वेल्डिंग, गीयर का निर्माण इत्यादि है।

डी.एच.आई. द्वारा 5000.00 लाख रू. कोमन इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र के लिए एच.ई.सी. में प्रशिक्षण संस्थान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त रकम 5000.00 लाख रू. में सरकारी अनुदान रकम 3000.00 लाख रू. और एच.ई. सी. द्वारा रकम 2000.00 लाख रू. का योगदान होगा।

दिनांक 24.12.2016 को एच.ई.सी. एवं सी.ई.एफ.सी., प्रथम के बीच करार में हस्ताक्षर हुआ। एच.ई.सी. प्रर्यवेक्षण कम्पनी एवं सीईएफसी, प्रथम इसको कार्यान्वित करने वाला कम्पनी होगा।

दिनांक 31.03.2019 तक इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा रकम 1675.00 लाख रू. और एच.ई.सी. द्वारा 737.89 लाख रू. तक योगदान दिया गया। (चालू वर्ष 498.00 लाख रू., वित्तीय वर्ष 2017-18), 128.14 लाख रू. वित्तीय वर्ष 2016-17, 111.75 लाख रू.) जो एचईसी लेखा में दर्शाया गया है। पत्रांक 12.26.2015 एच ई एवं एम टी दिनांक 11.01.2019 के अनुसार एचईसी को फंड की हस्तांतरण एवं अन्य सम्पत्ती और दायित्व देने के बाद सीईएफसी, प्रथमा फाउन्डेशन की बन्दी पर डी एच आई द्वारा जरूरी कार्रवाई के करने हेतु फैसला लिया है।

सीईएफसी प्रथमा का सम्पती की हस्तांतरण और दायित्व का ऑडिट प्रगति पर है। अतः लेखा में सम्पत्ती और दायित्व नहीं दर्शाया गया है। सी ई एफ सी, प्रथमा के लिए स्क्रो खाना में रकम 299.62 लाख रू. पड़ा हुआ है जो लेखा के दायित्व पर टिप्पणी संख्या 9 अन्य चालू दायित्व में दर्शाया गया है।

33.7) मेसर्स एन0 सी0 एल0 से लम्बित ₹ 1458.03 लाख जो विगत 20 वर्षो से लम्बित है के लिए व्यापार प्राप्य के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि सचिव सार्वजनिक लोग उद्यम, भारत सरकार, द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा एच. ई. सी. के पक्ष में निर्णय दिया गया है। इस निर्णय को अतिरिक्त सचिव, कानून एवं कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा पुष्टि कर दी गई है। इसके बाद एन. सी. एल. ने माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एक अपील दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। अतएव, उपरोक्त राशि की प्राप्ति पर कोई अनिश्चितता नहीं है। एन. सी. एल. के अपील पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जुलाई, 2016 को एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की है तथा मामले पर सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। दिनांक 14.05.2019 को दोनों पार्टियों में सोल आरबीट्रटर के साथ बैठक हुई। कार्यवाही अभी तक प्रगति पर है।

33.8) सरकार ने वित्त वर्ष 2014-15 में ग्रेच्युटी देयता को समाप्त करने के लिए ₹ 4789.00 लाख का गैर-योजना ऋण प्रदान किया जो 2015-16 से प्रति वर्ष पाँच वार्षिक किश्तों में देय होगी। वित्तीय संकट के कारण कम्पनी उस किश्त और ब्याज का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। दिनांक 31.03.2019 को ब्याज/पेनल ब्याज सहित रू. 8548.57 बकाया है।

33.9) 1995-96 तक दीर्घकालीन लीज़ में 16357.06 लाख रुपया प्राप्त किया। लीज़ काल में 574.33 लाख रू. (विगत वर्ष 580.42 लाख रू.) को आय में परिशोधित किया गया था और पूंजी आरक्षित टिप्पणी संख्या 3 में समंजन किया गया है।

33.10) 4315.68 लाख रुपयों का इंटरप्लांट हस्तांतरण (पिछले वर्ष 5583.18 लाख) कंपनी के संचालन के कुल राजस्व से बाहर रखा गया है।

33.11) 31.03.2019 को या उससे पहले प्रभावित बिक्री को 26.04.2019 तक ग्राहक के समक्ष प्राप्त किया गया, यह माना गया है।

33.12) डी.एच.ई. से दिनांक 01.01.2017 से वेतन पुनरीक्षण से संबंधित किसी दिशानिर्देश/अनुदेश के अभाव में, वर्ष के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

33.13) वित्तीय संकट के कारण, कम्पनी समवर्ती आधार पर अनुसूची के समय के अनुसार ग्रेच्युटी देयता 3418.34 लाख रू. को चुकाने की स्थिति में नहीं है। और परिणामी देयता के लिए इस स्तर पर कोई प्रावधान जरूरी नहीं है, यदि कोई हो।

33.14(अ) परिचालन से राजस्व अनुमोदित विलिंग कार्यक्रम एवं समस्त कार्य के रियर के विलिंग देन और निरीक्षण के आधार पर भुगतान की शर्त इन दोनों के आधार पर प्रोजेक्ट डिवीजन द्वारा निष्पादित प्रमुख अनुबन्ध (पिछले वर्ष 10861.41 लाख रु0) के मद्देनजर 8275.22 लाख रु0 की राशि शामिल है।

01.04.2003 को या उसके बाद निर्माण संविदा से संबंधित खुलासे लेखांकन मानक एएस-7 (संशोधित) के आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार हैं :

लाख रु. में

	2018-19	2017-18
वर्ष के दौरान चिन्हित अनुबंध राजस्व	**8275.22**	10861.41
31.03.2019 तक अनुबंध की प्रगति के संबंध में		
लागत खर्च और चिन्हित लाभ (न्यूनतम चिन्हित हानियां)	**134875.33**	126918.11
प्राप्त अग्रिम की राशि	**131768.32**	120250.20
प्रतिधारण की राशि (अस्थगित ऋण)	**0.00**	193.94
उचित नेटिंग ऑफ के बाद ग्राहकों से बकाया राशि के संबंध में		
एक परिसंपत्ति के रूप में ठेका पर काम करने के लिए ग्राहकों से बकाया सकल राशि	**3107.01**	6667.91
एक दायित्व के रूप में ठेका पर काम करने के लिए ग्राहकों पर बकाया सकल राशि	**89.74**	720.07
आकस्मिक व्यय	**कुछ नहीं**	कुछ नहीं

(ब) निर्माण संविदा के संबंध में 1 अप्रैल 2003 को या उससे पहले के कुल लागत और कुल राजस्व का अनुमान लेखा मानक (एएस) - 7 (आर) के अनुसार निर्माण संविदा पर प्रबंधन द्वारा समीक्षा की गयी, उसे समयानुसार नवीनतम बनाया गया एवं चालू वर्ष के खाते में आवश्यक समायोजन किए गये।

33.15) फुटकर देनदार की शेष राशि की पुष्टि के लिये प्रमुख ग्राहकों के लिये पत्र जारी करने के बावजूद ग्राहकों से आज तक कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। जमा, ऋण और अग्रिम, विविध लेनदार आदि के बारे में पुष्टि, संबंधित पक्षों से प्राप्त नहीं की जा सकी।

33.16) सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित अतिदेय राशि पर ब्याज नहीं दिया गया। उसी को नीचे दर्शाया गया है-

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम, 2006		
		लाख रु. में
	2018-19	**2017-18**
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में विलंबित भुगतान बकाया के कारण		
सिद्धांत	1644.33	727.34
ब्याज	1863.91	2077.98
अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष के दौरान सभी विलंबित भुगतान पर दिया गया कुल ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं
इस अधिनियम के तहत ब्याज की राशि के बिना वर्ष के दौरान देय तिथि के बाद मूलधन राशि पर बकाया ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं (वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज दर्शाया गया है लेकिन बकाया नहीं है क्योंकि ब्याज देय तिथि से मासिक आधार पर गणना की जाती है)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल बकाया ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया (सभी ब्याज राशि जो पूर्व के वर्षों से बकाया है को एक साथ दर्शाया गया है जबतक कि ब्याज वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है। मुख्य रूप से आयकर प्रयोजन के लिए गैर स्वीकार्य ब्याज राशि का पता लगाने के लिए)	कुछ नहीं	कुछ नहीं

33.17 विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) संस्थान द्वारा जारी एएस-22 के रूप में अस्थगित कर परिसंपत्तियों (नेट) को वहां आभासी निश्चितता के अभाव में मान्यता प्रदान नहीं किया गया, जो ठोस सबूत द्वारा समर्थित है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध रहेगा जिसके खिलाफ इस तरह के अस्थगित कर संपत्ति को महसूस किया जा सकता है।

33.18 व्यवस्था का विवरण :

क्र. सं.	**विवरण**	**दिनांक 01.04.2018 को प्रारंभिक अधिशेष**	**जोड़े : अवधि के दौरान व्यवस्था बनाया**	**घटाये : अवधि के दौरान व्यवस्था का उपयोग**	**घटाये : अवधि के दौरान अनुपयोग व्यवस्था का रिर्वस किया**	**दिनांक 31.03.2019 को समापन शेष**
1	बोनस के लिए प्रावधान	142.06	143.75	142.06	0.00	143.75
2	अप्राप्य एवं संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था	8268.33	6619.51	14.49	40.76	14832.59
3	ग्राहक द्वारा प्राप्त हरजाना के लिए व्यवस्था	5082.70	1415.78	1.63	5.28	6491.57
4	दावा प्राप्त हेतु व्यवस्था	199.91	8.59	0.00	0.00	208.50
5	अन्य के साथ संदेहात्मक जमा हेतु व्यवस्था	187.27	0.58	0.00	0.00	187.85
6	सप्लाइर/सब-ठेकेदार के लिए संदेहात्मक अग्रिम हेतु व्यवस्था	579.44	132.75	0.00	0.00	712.19

7	विवादित केस, जॉब, इ.एम.डी, एस. डी अग्रिम, बैट, प्राप्ति हेतु व्यवस्था	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
8	वस्तु सूचि के लिए व्यवस्था	3122.85	522.79	12.20	1.05	3632.39
9	उपदान हेतु व्यवस्था	6346.15	144.29	180.48	86.26	6223.70
10	छुट्टी नकदीकरण हेतु व्यवस्था	2432.45	736.35	4.73	0.00	3164.07
11	सेवानिवृत यात्रा भत्ता का व्यवस्था	44.80	4.87	2.72	0.18	46.77
12	एल.टी.सी./एल.टी.ए के लिए व्यवस्था	209.85	32.08	20.41	6.24	215.28
13	अस्वस्थ अवकाश हेतु व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	वेतन पुनरीक्षण हेतु व्यवस्था	2470.20	0.00	1958.32	0.00	511.88
15	वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था	2.76	5.70	0.00	2.76	5.70

33.19 ग्राहक द्वारा कटौती एवं वेन्डर का बिल के लिए परिनिर्धारित नुकसानी (एल डी) हेतु इस वर्ष लेखा नीतियों में परिवर्तन किया है। (लेखा नीति क्रम संख्या 14(i) & (ii)) एवं इस परिवर्तन से कम्पनी को घाटे में 649.94 लाख रू. की कमी हुआ है। वारण्टी व्यय के लिए लेखा नीतियों में परिवर्तन किया है (लेखा नीति क्रम संख्या - 6) और इससे कम्पनी को घाटा में 114.95 लाख रू. की कमी हुआ है।

33.20 1 अप्रैल, 2007 के संशोधन नियमों (वित्तीय मानक), 2008 के तहत कंपनी लेखा जोखा मानक 15 द्वारा किए गए संशोधन (पुनरीक्षित 2005) के तहत कर्मचारियों को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए बाध्य है :

(अ) आईसीएआई (ICAI) के द्वारा जारी पुनरीक्षित लेखा मानक 15 - कर्मचारी हितों के प्रावधानों के तहत कंपनी 31 मार्च 2019 तक कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए कृत संकल्प है।

(ब) 31 मार्च, 2019 को वास्तविक मूल्य निर्धारण के अनुसार हितों के प्रावधानों को परिभाषित किया जाए।

(1) **उपदान -** कर्मचारी जो 5 वर्ष या इससे अधिक कम्पनी की सेवा करते हैं उन्हें 15 दिन का वेतन प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर सेवानिवृति के उपरांत उपदान स्वरूप देय होगा। उपदान की देय राशि 20 लाख तक सीमित है।

(2) **छुट्टी नकदीकरण -** अर्जित अवकाश की राशि सेवानिवृति होने पर पूरा देय होगा। अर्जित अवकाश अधिक से अधिक पूर्ण सेवा काल तक 300 दिन ही जमा कर सकते हैं। जमा किए गए अर्जित अवकाश की नकदीकरण एक कैलेण्डर वर्ष में एक ही बार 30 दिन का देय होगा।

(3) **भविष्य निधि -** मूलवेतन और मंहगाई भत्ता के 12% राशि कम्पनी की भविष्य निधि संगठन के ट्रस्ट में जमा होता है।

(4) **सेवानिवृति के बाद का फायदा -** सेवानिवृति उपरान्त कर्मचारियों को अपने स्थायी गृह स्थान तक जाने को राशि देय है।

(5) कम्पनी की योगदान वर्ष के दौरान भविष्य निधि ट्रस्ट में लाभ हानि के विवरण पश्चात देय है। कम्पनी की भविष्य निधि ट्रस्ट को विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के धारा 17 के तहत् छूट-प्राप्त हैं। ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज वैधानिक दर को माध्य से भविष्य निधि खाता में मूल्यांकन के आधार पर देय है।

(6) प्रोविडेन्ट फंड के अलावा परिभाषित लाभ दायित्व अनफंड है।

(7) लेखा मानक (ए. एस) - 15 (कर्मचारियों के लाभों पर संशोधित) के तहत उपेक्षित अन्य प्रकटीकरण निम्नलिखित है :-

लाख रू. में

	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	निवृति यात्रा भत्ता
मार्च 31, 2019 के लिए वर्ष की समाप्ति पर लाभ व हानि के आधार पर खर्च का ब्यौरा			
1. तात्कालिक सेवा मूल्य	294.80	886.40	3.23
2. पूर्व सेवा मूल्य	0.00	0.00	0.00
3. ब्याज सेवा मूल्य	494.65	189.60	3.49
4. एचपीएल के कारण अनुग्रह राशि में कटौती	0.00	0.00	0.00
5. वर्ष के दौरान वास्तविक लाभ या हानि का लेखा जोखा	95.53	(10.84)	(3.05)
कुल खर्च	884.98	1065.16	3.67
बैलेंस शीट में वर्णित वास्तविक सम्पत्ति (जिम्मेदारी)			
1. अनुग्रह का वर्तमान मूल्य (तात्कालिक)	1096.93	949.08	5.70
2. अनुग्रह का वर्तमान मूल्य गैर (तात्कालिक)	5126.77	2215.00	41.07
3. अनुदान का लेखा जोखा	(6223.70)	(3160.08)	(46.76)
4. बैलेंस शीट में चिन्हित वास्तविक सम्पत्ति	6223.70	3164.08	46.76
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान अनुग्रह राशि के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन			
1. 1 अप्रैल 2018 को अनुग्रह राशि का तात्कालिक मूल्य	6346.15	2432.47	44.80
2. वर्तमान सेवा दर	294.80	886.40	3.23
3. ब्याज दर	494.65	189.60	3.49
4. पिछला सेवा दर	0.00	0.00	0.00
5. अनुदान देय	(1007.44)	(333.55)	(1.70)
6. अनुग्रह पर वास्तविक लाभ या हानि	95.53	(10.84)	(3.05)
7. 31 मार्च 2019 को अनुग्रह राशि का तात्कालिक मूल्य	6223.70	3164.08	46.76
अनुमानित ब्यौरा			
1. छूट दर	7.70%	7.70%	7.70%
2. क्षतिपूर्ति दर में बढ़ोतरी	8.00%	8.00%	8.00%
3. मोरटेलिटी दर एलआईसी (2006-2008) टेबल			

33.21) ICAI द्वारा वित्तीय मानक-17 (AS-17) द्वारा जारी खंड युक्त सूचनाओं की प्रस्तुति निम्नलिखित है- विभिन्न व्यवसायिक इकाइयों (खंडों) 2018-2019 के बारे में सूचनाएँ :--

(लाख रु. में)

	एफ.एफ.पी प्लांट	एच.एम.बी.पी. प्लांट	एच.एम.टी.पी. प्लांट	प्रोजेक्ट (टर्नकी)	एच.ई.सी.
राजस्व					
बाहरी बिक्री	3859.39	22346.74	1139.77	8275.22	35621.12
इंटर-प्लांट/अपने उपयोग के लिए किया गया कार्य	4174.33	523.00	381.49	0.00	5078.82
कुल राजस्व	8033.72	22869.74	1521.26	8275.22	40699.94
कुल लाभ (ब्याज पूर्व कर पश्चात)	(2146.90)	(1001.62)	1049.65	(4475.71)	(6594.58)
ब्याज	711.29	1963.05	98.11	0.00	2772.45
कुल लाभ	(2858.19)	2984.67	951.54	(4475.71)	(9397.03)
विशेष वस्तुएं	8941.38	5039.69	2275.98	0.00	16257.05

	एफ.एफ.पी प्लांट	एच.एम.बी.पी. प्लांट	एच.एम.टी.पी. प्लांट	प्रोजेक्ट (टर्नकी)	एच.ई.सी.
पूर्व के समय में हुई आमदनी	(68.10)	(9.54)	(51.43)	0.00	(129.07)
सामान्य गतिविधियों से कुल लाभ (कर पश्चात)	(11731.47)	(8014.82)	(1213.01)	(4475.71)	(25525.01)
अन्य सूचनाएँ					
सम्पत्ति के खंड	10446.78	37862.05	2571.67	9781.65	60662.15
वर्ष के दौरान वृद्धि	91.24	75.98	40.90	1.37	209.49
अविभाजित सम्पत्ति					14264.62
कुल सम्पति					75136.26
खंडों की जवाबदेही	14891.67	16951.43	1798.75	11227.33	44869.18
अविभाजित खंडों की जवाबदेही					29228.79
कुल देयताएं					74097.97
पूंजी खर्च	80.44	637.74	(38.88)	1.37	680.67
अविभाजित पूंजी खर्च					194.72
कुल पूंजी खर्च					875.39
मूल्यह्रास	534.77	130.24	18.01	1.20	684.22
अविभाजित मूल्यह्रास					60.11
कुल मूल्यह्रास					744.32

33.22) ICAI द्वारा वित्तीय मानक -18 (AS & 18) द्वारा पार्टी से संबंधित आवश्यक सूचनाओं की प्रस्तुति निम्नलिखित है -

संबन्धित पार्टी का ब्यौरा लेन देन का विवरण (लाख रु. में)

	मुख्य प्रबंधन कर्मचारी	अवधि	पारिश्रमिक	सत्रीय लाभ
1	श्री मृदुल कुमार सक्सेना निदेशक (कार्मिक) एवं प्रभार सीएमडी	04/2018-03/2019 01/2019-03/2019	25.92	2.91
2	श्रीमती अरून्धती पंडा निदेशक (वित्त)	04/2018-03/2019	27.82	3.29
3	श्री राणा एस चक्रवर्ती निदेशक (विपणन)	04/2018-03/2019	23.81	0.70
4	श्री अविजीत घोष, पूर्व सीएमडी	04/2018-12/2018	24.38	2.69
		कुल	**101.93**	**11.80**

उपरोक्त के अलावा उन्हें घर, कार इत्यादि रियायती दर पर मिलता है।

33.23) कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में घाटे की स्थिति में यह कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के खाते में ऐसा कोई घाटा परिलक्षित नहीं है।

33.24) वर्ष के दौरान कुछ विशेष क्षेत्रों में जैसे परिवहन और चिकित्सा, जैसे खुदरा सामान, दवाएँ और अन्य वस्तुओं को खर्च हो चुका माना गया।

33.25) 31.03.2018 को कम्पनी का नेटवर्थ पोजेटिव परन्तु 250 करोड़ से कम था अतएव वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एएनडी ए.एस लागु नहीं है।

33.26) हमारे विचार से केन्द्रीय विद्यालय संगठन पर हमारे दावे और केन्द्रीय विद्यालय का 140.23 लाख रू. की दावा, जो कागजात के अभाव में प्रप्री नहीं है और इसलिए इसका कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।

33.27) विगत वर्षों के हिसाब या लेखा जोखा को पुनर्विभाजित, पुनर्वर्गित, पुनर्परिभाषित और पुनर्व्यवस्थित करना है ताकि चालू वर्ष की तुलना में उसे और व्यावहारिक बनाया जा सके।

33.28 अतिरिक्त सूचना

₹ लाख में

		चालू वर्ष	विगत वर्ष
अ.	**1.** उन कर्मचारियों का विवरण जो पूरे वर्ष भर नियोजित थे एवं जिनका वार्षिक परिश्रमिक (लाभों सहित) 60,00,000.00 रुपये या इससे ज्यादा था या ऐसे कर्मचारी जो एक वर्ष से कम समय के लिए नियोजित थे एवं जिनका मासिक पारिश्रमिक (लाभों सहित) 5,00,000.00 रुपये या इससे ज्यादा था।	शून्य	शून्य
अ.	**2. लेखा परीक्षक व्यय**		
	(i) सांविधिक लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	2.25	2.25
	(ii) कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.38	0.38
	(iii) व्यय की प्रतिपूर्ति	0.40	0.40

(ब) कच्चे माल, अवयवों, भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों की खपत मूल्य (तैयार माल की खरीद सहित) तथा उनकी प्रतिशतता

₹ लाख में

		2018 - 19		2017 - 18	
(ए)	**कच्चे माल**	**मूल्य**	**%**	**मूल्य**	**%**
	(1) आयातित	6323.38	35.97	3876.11	31.81
	(2) स्वदेशी	11256.23	64.03	8307.73	68.19
	योग	**17579.61**	**100.00**	**12183.84**	**100.00**

(बी) भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे (मरम्मत तथा रख रखाव के लिए प्रयोग में लाये गए भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे सहित)

	(1) आयातित	530.75	13.65	24.14	0.61
	(2) स्वदेशी	3358.26	86.35	3520.11	99.03
	योग	**3889.01**	**100.00**	**3544.25**	**100.00**

टिप्पणी : निर्धारित एजेन्सियों द्वारा आयातित वस्तुओं को छोड़कर

(स) सी.आई.एफ. के आधार पर आयात का मूल्य

कच्चे माल, अतिरिक्त पुर्जे, जी.आई.टी		
अवयव	4816.95	3240.78
पूंजीगत वस्तुएँ	0.00	0.00
योग	**4816.95**	**3240.78**

एच. एम. बी. पी. के मामले में कच्चा माल, स्पेयर पार्ट्स के सी. आई. एफ. मूल्य में सामग्री का दाम एवं सामग्री दाम का 5.5 प्रतिशत बीमा और भाड़ा के लिए सम्मिलित है।

(द) विदेशी मुद्रा में व्यय

विदेश यात्रा-भत्ता विदेश यात्रा भत्ता	5.67	20.35
योग	**5.67**	**20.35**

33.29) नोट संख्या 1 से 32 और मुद्रा संबंधी तथ्य इस खाते के अभिन्न अंग है।

(ए. के. कंठ)	**(आर. के. श्रीवास्तव)**	**(अरून्धती पंडा)**	**(मृदुल कुमार सक्सेना)**
कम्पनी सचिव	उप महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

कृते वी. के. जिन्दल एवं कम्पनी
चार्टड एकाउटेंटस

(आर. एस. अग्रवाल)
पार्टनर सदस्यता सं. - 076081
फर्म पंजीयन सं. - 001468C
UDIN : 190776081AAAAAQ7060

स्थान - राँची

दिनांक - 26.07.2019

कंपनी की कार्यक्षमता

प्लांट विविध उत्पादों का निमार्ण करने में समथ है, जिसमें कुछ उत्पादों का विवरण निम्नांकित है:

फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट

आयरन कास्टिंग्स	: 100 टन वजन तक
स्टील कास्टिंग्स	: 90 टन वजन तक
नन-फेरस कास्टिंग्स	: 2 टन वजन तक
फोर्जिंग्स	: 40 टन वजन तक
रॉल्स	: हॉट रॉलिंग मिल, स्लैबिंग, ब्लोमिंग मिल हेतु 40 टन वजन तक फोर्ज्ड इंडक्शन हारडेंड रॉल्स, एस.सी., आयरन रॉल्स

हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट

- ब्लास्ट फर्नेस : क्षमता 1719,2000 एवं 3200 घन मी.
- कोक ओवेन बैटरिज : 4.3 से 7 मी. की ऊँचाई
- सिन्टरिंग प्लांट्स : आकार 75 वर्ग मी., 80 वर्ग मी., 252 वर्ग मी. एवं 312 वर्ग मी.
- 100 टन/130 टन एवं 300 टन एल.डी कन्वर्टर्स समेत स्टील मेल्टिंग शॉप इक्विपमेंट
- कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन : स्लैबस एवं ब्लूम्स हेतु
- रॉलिंग मिल इक्विपमेंट
- इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल्सः क्षमता 5 घन मी., 12.5/15 घन मी.
- हाईड्रोलिक शॉवेल्सः क्षमता 3 से 8 घन मी.
- वाकिंग डैगलाइन्स 20/90 एवं 24/96
- उच्च शक्ति के मेटालर्जिकल क्रेन एवं अन्य ई.ओ.टी. क्रेनः क्षमता 450 टन एवं रोटेटिंग टौंग क्रेन
- मैटेरियल हैण्डलिंग इक्विपमेंट यथा-वैगन टीपलर, एपरॉन फीडर, रिक्लेमर्स आदि।
- मूल उद्योगों की जरूरत हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण यथा प्राइमरी जाइरेटरी एवं अन्य क्रसर्स
- ओवर बर्डेन ब्लॉस्ट होल ड्रिल्सः 250 मि.मी. व्यास
- प्रोजेक्ट डिवीजन निम्नांकित क्षेत्रों में टर्न-की आधारित प्रोजेक्टों का कार्य निष्पादन करने में समर्थ है :
  - मैटेरियल हैंडलिंग सिस्टम
  - कोल डीगेशन प्लांट
  - कोल डीगैसीफिकेशन प्लांट
  - स्टील प्लांट फैसिलिटीज यथा : सिन्टरिंग प्लांट, कंटिन्यूअस कास्टिंग प्लांट एवं कोक ओवेन बाई-प्रोडेक्ट प्लांट
  - सीमेंट प्लांट

हेवी मशीन टूल्स प्लांट

रेलवे हेतु विशेष प्रयोजनार्थ मशीन टूल्स समेत विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स, इसके साथ-साथ प्लांट कुछ मॉडल के सी.एन.सी मशीन के उत्पादन में भी समर्थ है।

CAPABILITIES OF THE COMPANY

The plants can manufacture various products, some of which are as here under:

Foundry Forge Plant

Iron Castings	- Weighing upto 100 T
Steel Castings	- Weighing upto 90 T
Non-Ferrous Casting	- Weighing upto 2 T
Forgings	- Weighing upto 40 T
Rolls	- Forged induction hardened Roolls weigh ing upto 40 T for Hot Rolling Mils, Slabbing Mills, Blooming Mills, SG Iron Rools etc.

HEAVY MACHINE BULDING PLANT

- Blast Furance of Capacity 1719,2000 and 3200 Cu. M
- Koke Oven Batteries from 4.3 to 7m height
- Sinter plants of 75M2, 80 M2 252m2 and 312 M2 sige
- Steel Melting Shop Equipment Inclusive of 100T/130T and 300T L.D. Converters
- Continuous Casting Machines for Stabs & Blooms
- Rollin Mill Equipment
- Electric Rope Shovels of capacity 5 M3, 10M3, 12.5/15M3
- Hydrualic Shovels of 3 to 8 Cu. M. capacity
- Walking Draglines 20/90 and 24/96
- Metallurgical Cranes and other EOT Cranes of high capacity up to 450 T and Rotating Tong Cranes
- Material Handling equipment namely, Wagon Tippler, Apron Feeder, Reclaimers etc.
- Various other equipment namely, Primary Gyratory and other Crushers needed by core sector industries.
- Over Burden Blast Hole Drills-Dia 250 mm
- The Project Division can take up execution of projects of turnkey basis in the following areas
  - Material handlling system
  - Coal Deshelling Washery
  - Caol Degasification Plant
  - Steel Plant facilities like Sintering Plant, Continuous Costing Plant and Coke Oven By-Product Plant
  - Cement Plants

HEAVY MACHINE TOOLS PLANT

Various types of machine tools including special purpose machine tools for Railways. The plants is capable of producing CNC Machine Tools of some models as well.

एच. ई. सी.

HEC

ISO 9001 - 2015 Company

HEAVY ENGINEERING CORPORATION LIMITED

CORPORATE OFFICE

Plant Plaza Road, Dhurwa, Ranchi - 834004, Jharkhand (India)

Phone : +91 651 2401249/2401176, Fax : +91 651 2400579/2401571

2767/19 • Kailashpaper.org • 92631 80313 / 14 / 15

BRANCH OFFICES

NEW DELHI :

HEAVY ENGINEERING CORPORATION LIMITED
E-84, Masjid Moth, Greater Kailash–III
New Delhi – 110 048
Tel. : +91 11 29220224, 41437422
Fax : +91 11 29220225
Email : hecdelhi@hecltd.com

KOLKATA :

HEAVY ENGINEERING CORPORATION LIMITED
77, Park Street
Kolkata – 700 016
Tel : +91 33 22172397, 22290661
Fax : +91 33 22291509
Email : heckolkata@hecltd.com